Tuesday, 18 April, 1972

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 26, मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972/29 चैत्र, 1894 (शक)

No. 26, Tuesday April 18, 1972/Chaitra 29, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
441 वर्तमान व्यापार व्यवस्था को वर्ष 1975 तक बनाए रखने के लिये भारत की ब्रिटेन से बातचीत	India's Approach to U. K. for Extension of Existing Trade Arrangements Up to 1975	1—3
442 लखनऊ आगरा ऐक्सप्रैस में लूटपाट	Looting in Lucknow-Agra Express	3—6
444 हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम के विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by H.H.E.C. Employees Posted Abroad	6—9
445 कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Coal	9—12
446 दक्षिण बिहार में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं	Inadequate Irrigation Facilities in South Bihar	12—14
447 पश्चिम बंगाल में हावड़ा आमता लाइट रेलवे को पुनः चालू करना	Re opening of Howrah-Amta Light Railways in West Bengal	14—15
448 अफ्रीका देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये उपाय	Steps to Promote Trade with African Countries	15—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
449 पूर्व यूरोपीय देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि के लिये उपाय	Steps to Increase Exports to East European Countries	17—19
450 कलपक्कम आणविक बिजली घर से विभिन्न राज्यों को बिजली का वितरण	Distribution of Power to Different States from Kalpakkam Atomic Power Plant	19—21
452 निर्यात संवर्धन परिषद संबंधी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee Regarding Export Promotion Council	21—2?

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
443 पार्सल तथा माल उतारने चढ़ाने के ठेके लेने वाली सहकारी समितियों को रेलवे पास जारी करना	Issue of Railway Passes to Cooperative Societies having Parcels and Goods Handling Contracts	22
451 आमों और केलों का निर्यात	Exports of Mangoes and Bananas	22—23
45? हेनोवर में अन्तर्राष्ट्रीय मशीनी औजार प्रदर्शनी	International Machine Tool Exhibition at Hanover	23
454 चाय के निर्यात के सम्बन्ध में श्री लंका के साथ समझौता	Agreement with Ceylon Regarding Export of Tea	23—24
455 बक्सर से कोइलावाड तक तटबन्धों का निर्माण करना	Construction of Embankment from Baxar to Koilwar	24
456 रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन	Reorganisation of RPF	24
457 अमरीका को होने वाले निर्यात में वर्ष 1971 में वृद्धि	Increase in Exports to USA during 1971	24—25
458 पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में माल के लदान में देरी होने के कारणों की जाँच	Investigation into Causes of Delay in Lifting Goods Traffic on Eastern and South Eastern Railways	26
459 कावेरी नदी जल विवाद	Cauvery River Water Dispute	26
460 सांत्यागों, चिली में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन का सम्मेलन	UNCTAD Conference of Santiage Chile	26—27

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3063	केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की स्थापना	Vamanapuram Irrigation Project in Kerala	27
3064	उत्तर पूर्व से दक्षिण को जाने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए अभ्यावेदन	Representation for increased facilities to long distance passengers from North East to South	27
3065	सूती कपड़े एवं कृत्रिम कपड़े का उत्पादन तथा उसकी खपत	Production and Consumption of Cotton textiles and fibre cloth	28—29
3066	निर्यात के लिए ईरानी किस्म के गलीचों को बनाना	Manufacture of Persian Carpets for Export	30
3067	थाइलैण्ड के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता	Trade talks with Thailand	30
3968	कपड़ों तथा कपड़ों के उत्पादों के निर्यात द्वारा अर्जित राशि	Export earnings of textiles and textile Products	30
3069	चर्म उत्पादों के निर्यात द्वारा अर्जित धन-राशि	Export earnings of Leather Products	30—31
3070	दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अर्जित लाभ	Profits earned by South Central Railway	81—32
3071	उत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर और गार्ड सी का चयन	Selection of Assistant Station Masters and Guards 'C' (Northern Railway)	32
3072	कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन की दिशा परिवर्तन करना	Diversion of Lines in Kangra Valley	32—33
3073	दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कपड़े की गांठों का गुम होना	Loss of Bales of cloth at Delhi Main Station	33
3074	मध्य रेलवे पर माल यातायात से अर्जित राजस्व	Revenues earned on Central Railway through Goods Traffic	34
3075	129 अप I 130 डाउन वाराणसी आसनसोल पैसेंजर गाड़ी और 9 अप/10 डाउन दून एक्सप्रैस में तीसरे दर्जे के और अधिक डब्बों का लगाना	Attaching of more Third Class Bogies to 129 Up/130 Down Varanasi Asansole Passenger Train and 9 Up/10 Down Doon Express	34
3076	चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिये सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Orissa during Fourth Plan	34

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3077	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व	Representation of Scheduled Castes in Appointment of Judges of Supreme Court and High Courts	35
3078	निर्यातजनक परियोजनायें	Export Oriented Projects	35
3079	पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग	Jute Industry in West Bengal	35–36
3080	बूंदी दरबार में बूंदी तक रेलवे लाइन	Railway Line from Bundi Darbar to Bundi	36
3081	इलाहाबाद डिवीजन के पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त श्रमिकों की सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन	Representation Regarding Inadequate Supply of Labour by Parcel Handling Contractor, Allahabad Division	36
3085	गत युद्ध के दौरान भारत द्वारा पकड़ा गया माल और जहाज	Goods and Ships seized by India during Last War	36—37
3086	विमान द्वारा ले जाये जाने वाले माल के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of the working Group on Air Cargo	37
3087	दिल्ली और नई दिल्ली में रेलवे अस्पतालों का विस्तार	Expansion of Railway Hospitals in Delhi and New Delhi	37—38
3088	उदयपुर (राजस्थान) में गाँवों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Villages in Udaipur (Rajasthan)	38
3089	उदयपुर के लिये माल डिब्बों की आवश्यकता	Requirement of Wagons for Udaipur	38—39
3090	रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Vigilance Inspector of Railway Board	39
3091	बीजक संख्या 20 और 21 के अन्तर्गत खुराई से इलाहाबाद जाने वाले माल का दोबारा बुक किया जाना	Re-Booking of Consignment under invoice No. 20 and 21 Ex-Khurai to Allahabad	39–40
3092	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के डिविजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के निवास स्थान पर रिटर्न कोरियर से रसोइये का काम लेना	Utilisation of Return Courier as Cook at residence of Divisional Commercial Superintendent Allahabad Division (Northern Railway)	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3093	पार्सल हेंडलिंग कंट्रेक्टर टुंडला द्वारा श्रमिकों के भुगतान का रोका जाना	Withholding of Payment to Labourers by Parcel Handling Contractor, Tundla	40—41
3094	दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्रों की चाय के निर्यात में कमी होना	Decline in Export of Tea to Hard Currency Areas	41
3095	इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेल पथ निरीक्षकों की यात्रा भत्ता सम्बन्धी बिलों का भुगतान न किया जाना	Non-Payment or T.A. Bills to Permanent Way Inspectors, Allahabad Division (Northern Railway)	41—42
3096	मोरेना रेलवे स्टेशन से प्राप्त राजस्व	Revenue earned from Morena Railway Station	42
3097	नेपाल द्वारा भारत को बिजली सप्लाई करने की पेशकश	Nepal's Offer to Supply Power to India	42
3098	भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक के विदेशों में दौरे	Foreign Tours by Chairman and General Manager of HHEC	42—43
3099	विदेशों में हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम के दुकानों के स्टाक में गड़बड़ी	Discrepancies in Stocks of HHEC Shops in Foreign Countries	43—44
3100	केरल में निर्माणाधीन रेलवे के उपरि/भूमिगत पुल	Railway over/under Bridges under Construction in Kerala	44
3101	बिहार के गया जिले में गांवों का विद्युतीकरण	Number of Villages Electrified in Gaya District (Bihar)	44
3102	रेलवे स्टेशनों पर वेन्डरों (हाकरों) द्वारा हैंडलूम के वस्त्रों की बिक्री	Sale of Handloom Cloth on Railway Stations through Vendors	44
3103	पूर्व रेलवे के गया और मानपुर जंक्शनों के बीच फालगुन स्टेशन का निर्माण	Construction of a Railway Station at Phalgupump between Gaya and Manpur Junctions (Eastern Railway)	44—45
3104	भारत पाक युद्ध के दौरान रेलवे को हुई क्षति का ब्यौरा	Break up of loss Suffered by Railways during Indo Pak War	45
3105	भारत के निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Election Commission of India	45
3106	इन्दौर रोलिंग मिल, इन्दौर को आयात लाइसेंस देना	Issue of Import Licences to Indore Rolling Mill, Indore	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3107	पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में क्लर्क श्रेणी एक के पद पर पदोन्नति	Promotion to Post of Clerk Class I Accounts Department (Western Railway)	46
3108	पश्चिम बंगाल में बिजली की मांग और सप्लाई	Demand and Supply of Power in West Bengal	46
3109	सिंचाई परियोजनाओं पर राज्यवार हुआ व्यय	Expenditure Incurred on Irrigation Projects State-wise	47
3111	आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Schemes Recommended by Andhra Pradesh Government to the Central Government	47
3112	आंध्र प्रदेश से तम्बाकू एवं केले का निर्यात	Export of Tobacco and Plantain Fruit from Andhra Pradesh	47– 48
3113	खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Employees in Khurda Division (South Eastern Railway)	48
3114	7 डाउन पुरी हावड़ा एक्सप्रैस (दक्षिण पूर्व रेलवे) के इंजिन के पटरी से उतरने की जांच करना	Investigation regarding Derailment of Engine of 7 Down Puri Howrah Express (South Eastern Railway)	48—49
115	जाजपुर-क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेल दुर्घटना	Railway Accident at Jajpur Keonjhar Road Railway Stations (South Eastern Railway)	49—50
3116	उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या	Number of Villages Covered under Rural Electrification in Orissa	50
3117	झारसुगड़ में हाई स्कूल का निर्माण	Construction of High School at Jharsugarh	50
118	उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण	Rural Electrification in Orissa	50—51
3119	कन्टई उप प्रभाग (पश्चिम बंगाल) में बड़ाचन्का बेसिन जल निकासी योजना	Scheme for Drainage of Barachanka Basin in Contai Sub-Division (West Bengal)	51
3120	नवम्बर 1971 में सिगनल और दूर संचार शाला के कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप अनशन और प्रदर्शन	Protest Fast and Demonstration by Signal and Telecommunication Staff in November, 1971	51—52
3121	सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदण्ड	Approved Yard-Stick for Signal and Telecommunication Staff	52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3122	सूखे मेवे व्यापार निगम	Dry Fruit Trading Corporation	52
3123	धनबाद क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान सुविधाओं पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Facilities during Strike by Railway Employees in Dhanbad Region	52—53
3124	वीरामगाम ओखला पोरबंदर सेक्शन (पश्चिम रेलवे) की रेल लाईन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion to Board Gauge of vinamgam Okhla Porbandar section (Western Railway)	53
3125	गुजरात में रेलवे लाईनों की बड़ी लाईनों में बदलना	Conversion to Broad Gauge Lines in Gujarat	53—54
3126	मध्य प्रदेश में बालाघाट गोंदिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Narrow Gauge Balaghat-Gondia Line into Broad Gauge in Madhya Pradesh	54
3127	चौथी योजना के दौरान नई रेलवे लाइनों के लिये मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव	Proposals by Madhya Pradesh Government for New Railway Lines during Fourth Plan	54
3128	मध्य प्रदेश में खोले गये नये रेलवे स्टेशन	New Railway Stations opened in Madhya Pradesh	54—55
3129	मध्य प्रदेश में मिलों द्वारा नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन न करना	Non Production of Controlled Cloth by Mills in Madhya Pradesh	55
3130	मध्य प्रदेश में खानों के मुहानों से कोयले की ढुलाई	Transportion of Coal from Pitheads in Madhya Pradesh	55—56
3131	गोदावरी से कावेरी तक नदियों को जोड़ना	Linking of Rivers from Godavari to Cauvery	56
3132	पोंग बांध क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से निष्क्रमित लोगों को दिया गया मुआवजा	Compensation paid to Custees of Pong Dam Area (H.P.)	56—57
3133	हावडा डिवीजन (पूर्वी रेलवे) की लिलुआ कालोनी के रेलवे क्वार्टरों का बेहतर रखाव	Better Maintenance of Railway Quarters at Liluah Colony, Howrah Division (Eastern Railway)	57
31 4	सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के डिवीजनल सुपरिंटेंडेन्ट द्वारा बच्चों की पढ़ाई फीस की प्रतिपूर्ति करने से इंकार	Refusal to Reimburse Children's Tution fees by Divisional Superintendent Sealdah Division (Eastern Railway)	57—58

अग्रता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3135	उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत	Per Capita Availability and Consumption of Power in North Bihar	58
3136	कोसी गण्डक और राजस्थान नहर परियोजना पर किया गया व्यय	Expenditure on Kosi Gandak and Raja:than Canal rojects	58
3137	बिहार में सिंचाई सुविधायें बढ़ाना	Augmenting of Irrigation Facilities in Bihar	59
3138	आयात व्यापार में नियंत्रण आदेश में संशोधन	Amendment of Import Trade Control Order	59
3139	पटना स्थित ईस्टर्न रेलवे होस्टल में गुण्डा गर्दी	Rowdyism in Eastern Railway Hostel at Patna	59—60
3140	रेलवे कर्मचारियों द्वारा कचहरियों में दायर किये गए मुकदमों की संख्या में वृद्धि	Increase in Number of Court Cases filed by Railway Staff	60
3141	कुसुन्दा में रेलवे कर्मचारियों पर घातक हमले	Brutal Assaults on Railway Employees at Kusunda	60—61
3142	रेलवे में ईंधन निरीक्षकों और फायरमैन निरीक्षकों को पदों पर स्थायी करना	Confirmation on Posts of Fuel Inspectors and Fireman Inspectors on Railways	61—62
3143	अमरीकी मंडियों में चीन के प्रवेश से भारत के निर्यात पर प्रभाव	Effect on India's Exports consequent upon China's Ent.y into US Markets	62
3144	रेलवे द्वारा मितव्ययता के लिये उठाये गए कदम	Economy Measures adopted by Railways	62—63
3145	तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान माल परिवहन की क्षमता	Capacity of Goods. Traffic during Third and Fourth Plans	63—54
3146	कासगंज माल गोदाम (पूर्वोत्तर रेलवे) में टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था	Provision of Telephone Facilities at Goods shed Kasganj (North Eastern Railway)	64
3147	कासगंज जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) में पूछताछ कार्यालय खोलना	Opening of an Enquiry Office at Kasganj Junction (North Eastern Railway)	64
3148	पूर्वोत्तर रेलवे पर होने वाली चोरियों और छुट पुट चोरियों के कारण रेलवे द्वारा किया गया मुआवजा	Compensation paid by Railway due to Thefts and Pilferages on North Eastern Railway	64—65

अ॰ ता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3149	दिल्ली से अहमदाबाद तक की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion into Broad Gauge line from Delhi to Ahmedabad	65
3150	रूसी रूई का मूल्य	Price of Russian Cotton	65
3151	राज्यों में बिजली का संकट	Power Crisis in States	65—66
3152	कोटा, राजस्थान, की मालडिब्बों की मांग	Requirement of wagons for Kota, Rajasthan	66—67
3153	चम्बल नहर का विस्तार	Extension of Chambal Canal	67
315-	गांधी सागर बांध से बिजली प्राप्त करने वाले गांव	Number of Villages Electrified from Gandhi Sagar Dam	67
3155	यू फोम के लिये आयात लाइसेंस जारी करना	Issue of Import licences for 'U' foam	67—68
3156	सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलों के लिये दिया गया मुआवजा	Compensation paid for Textile Mills taken over by Government	68
3157	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Areas given priority during Rural Electrification	68
3158	रेल विभाग पर की गई डिगरियों की धनराशि	Amount of decrees made on Railway department	68—69
3159	रेल उपकरणों का आयात	Import of Railway equipment	69
3160	फर्मों द्वारा निर्यात संबंधी उत्तरदायित्व निभाने में असफलता	Failure of firms to discharge their export obligations	69
3161	टी स्टालों और अन्य स्टालों का आबंटन करने के लिये प्रार्थना पत्र	Applications for allotment of tea and other stalls	69—70
3162	इंदौर (पश्चिम रेलवे) के लिये क्षेत्रीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति	Zonal Railway users consultative Committee for Indore (Western Railway)	70
3163	ढोढर और जावरा रेलवे स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) के बीच स्टेशन खोलना	Opening of Railway Station between Dhodhar and Jaora Railway Stations (Western Railway)	70
3164	गांधी सागर बाँध के जलस्तर को बढ़ाना	Raising of Gandhi Sagar Dam Water Level	70

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3165	कपड़े के निर्यात के लिये ब्रिटेन के साथ नया समझौता	New agreement with U.K. for export of textiles	71
3166	बीवर स्थित एडवर्ड टैक्सटाइल मिल का बन्द होना	Closure of Edward Textile Mill, Beawar	71
3167	रेशम प्रतिनिधिमंडल	Silk Delegation	71—72
3168	टसर रेशम का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Tasar Silk	72—73
3169	मालडिब्बों की कोयला खानों से वापसी तथा लाने ले जाने में तेजी लाना	Quick Withdrawal of Wagons and their Movement	73
3170	जम्मू और काश्मीर में सलाल परियोजना का निर्माण	Construction of Salal Project in Jammu and Kashmir	73—74
3171	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का मार्च, 1972 में हुआ सम्मेलन	Conference of Chief Justice of High Courts held in March, 1972	74
3172	एशियाई देशों के साथ व्यापार संतुलन	Balance of Trade with Asian Countries	74
3173	एशियाई देशों को इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात का बढ़ाया जाना	Boosting of Engineering Exports to Asian Countries	75—76
3174	नेपाल से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegation from Nepal	76
3175	भाखड़ा बांध से निष्कासित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of Bhakra Dam Dutstees	76—77
3176	कच्छ क्षेत्र में स्टेशनों से नमक भरने के लिये माल डिब्बे	Wagons for Loading of Salt from Stations in Kutch Area	77
3177	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के नैमित्तिक कर्मचारियों की जांच पड़ताल	Screening of Casual Workers Delhi Division (Northern Railway)	77
3178	सिगनल तथा दूर संचार विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment Among staff of Signal and Telecommunication Department (North Eastern Railway)	77—78
3179	बम्बई के जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को जारी किये गए आयात लाइसेंस	Import Licences issued to General Film Distributors of Bombay	73—79

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3180	प्रशासकीय लोगों को कम्पलीमेंन्ट्री पास	Complimentary Passes in Private Persons	79
3181	दरभंगा से पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक पहले से चल रहे शयनयान के स्थान पर दूसरा शयनयान चलाना	Repla cement of the existing sleeper coach running from Darbhanga to Palezaghat (North Eastern Railway)	79
3182	तृतीय श्रेणी के शयनयान सहित जयनगर से पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक तीव्र गति वाली यात्री गाड़ी का चलाया जाना	Introduction of a Fast Passenger Train from Jaynagar to Palezaghat with a Third Class Sleeper (North Eastern Railway)	80
3183	कलकत्ता से मधुबनी (पूर्वोत्तर रेलवे) तक पहुंचने में पार्सल को लगा समय	Time taken by Parcels from Calcutta to Madhubani (North Eastern Railway)	80
3184	माल के परिवहन में हुई हानि । क्षति के लिये दावा	Claim for Loss/Damage of Goods in Transportation	80—81
3185	गुन्टूर हुबली तथा गुन्तकल सिकन्दराबाद लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Guntur-Hubli and Guntakal-Secunderbad Lines into Broad Gauge	81
3186	रायलसीमा में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना तथा नई लाइनें बिछाना	Conversion of Metre Gauge into Broad Gauge and laying of New Lines in Rayalaseema	81
3187	केरल में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Kerala	81
3188	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	82
3189	दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन की गड़ियों में शयनयानों की वृद्धि	Increase in Sleeper Coaches in Metre Gauge Trains on Southern Railway	82
3190	भिन्न-भिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति पर वरिष्ठता का निर्धारण	Fixation of Seniority of Different Categories of Employees on Promotion	82
3191	बिछिया परियोजना संबंधी प्रतिवेदन	Bichhia Project Report	82—83
3192	मध्य प्रदेश में मण्डला जिले में उपलब्ध सिंचाइ के संसाधन	Irrigation resources available in Mandla Distt. (M. P.)	83
3193	बोधघाट परियोजना प्रतिवेदन	Bodhghat Project Report	83
3194	निर्यात लक्ष्यों के बारे में एकाधिकार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Monopolies Commission regarding Export Targets	83

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3195	नर्मदा नदी पर बर्गी बांध का परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of Bargi Dam on River Narmada	83—84
3196	उत्तर प्रदेश के लिये विद्युत संयंत्र का आयात	Import of Power Plant for Uttar Pradesh	84
3197	रेलवे में संरक्षित कर्मचारी की घोषणा	Declaration of Protected Workmen in Railways	84
3198	रेलवे कर्मचारियों की वर्गवार कार्मिक संघों। एसोसिएशनों को मान्यता	Recognition of Category-wise Unions/Associations of Railway Employees	85
3201	पारेषण और वितरण में विद्युत की क्षति	Loss of Power in transmission and distribution	85—86
3202	विद्युत उत्पादन योजनायें	Power generation schemes	86—7
3203	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में कोयले की चोरी में अन्तर्ग्रस्त रेलवे अधिकारी	Railway officials involved in coal pilferage on Northeast Frontier Railway	87
3204	आसाम में पटसन मिलों के लिए स्वीकृत तकुओं की संख्या	Spindles for Jute Mill sanctioned for Assam	87
3205	उड़ीसा के लिये माल डिब्बों की कमी	Wagon shortage for Orissa	88
3206	क्लर्क ग्रेड 1 के अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से उन्हें स्थायी किये जाने के बारे में पश्चिमी रेलवे के उपमुख्यलेखाधिकारी अजमेर को दिया गया अभ्यावेदन	Representations regarding confirmation of non-gazetted staff clerk I to Dy. C. A. O. Western Railway Ajmer	88
3207	आसाम को माल डिब्बों की सप्लाई	Supply of Wagons to Assam	88—89
3208	दिल्ली बम्बई राजधानी एक्सप्रैस को बड़ौदा स्टेशन पर रोकना	Halt of Delhi Bombay Rajdhani Express at Baroda	89
3209	आंध्र प्रदेश में जल की कमी	Shortage of water in Andhra Pradesh.	89—90
3210	मद्रास डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी	Shortage of Commercial Clerks in Madras Division (Southern Railway)	90
3211	रेलवे बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों को समयोपरि भत्ता देना	Overptime paid to Lower Division Clerks in Railway Board's Office	90—91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3212	अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में तृतीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार	Workload in III Class Booking Office, Ajmer Station (Western Railway)	91
3213	राज्यों को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देना	Financial Assistance to States for Irrigation flood Control and Power Projects	92
3214	मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच का खोला जाना	Setting up a Bench of Allahabad High Court at Meerut	93
3215	शहडौल रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) में निचले पुल का निर्माण	Construction of an under-bridge at Sahdol Railway Station (Madhya Pradesh)	93
3216	हावड़ा मद्रास इक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा कर रही एक युवती की मृत्यु के बारे में जांच	Investigation regarding death of a Girl Travelling in Howrah-Madras Express	93
3217	दिल्ली में मदन पार्क में बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Madan Park in Delhi	94
3218	झंझरपुर और तमुरिया स्टेशनों के मध्य दीप में और फोफरडीहा और निरमीली स्टेशनों के बीच पारसा में रेलवे हाल्ट स्टेशनों की व्यवस्था	Provision of Railway Halts at Deep between Jhanjharpur and Tamuria Stations and at Parsa between Phophardiha and Nirmali Stations	94
3219	राजस्थान में पम्प सेट्स की आवश्यकता	Requirement of Pump-sets in Rajasthan	94—95
3220	राज्यों में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita consumption of power on States	95
3221	राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण	Rural Electrification in Rajasthan	96
3222	एर्णाकुलम-क्विलोन-त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन पुनालूर सेक्शनों पर रेलगाड़ियों में भारी भीड़ के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां कम करने का प्रस्ताव	Proposal to Mitigate sufferings of Passengers in over crowded trains on Ernakulam-Quilon-Trivandrum and Quilon-Punalur Sections	96—97
	विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	97
	पाइलाइन जाँच आयोग के समक्ष दिये गये कतिपय कथित वक्तव्य	Alleged Certain Statements made before Pipeline Inquiry Commission	97—98

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	98
अनुदानों की मांगें, 1972–73	Demands for Grants. 1972-73	98
संचार मंत्रालय	Ministry of Communications	98
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	98
श्रीमती सहोदराबाई राय	Shrimati Sahodrabai Rai	100
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	100—102
श्री रामकंवर	Shri Ramkanwar	102
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna	102—108
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture	108
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Battacharyya	109—110
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	110—111
श्री विजय पाल सिंह	Shri Vijay Pal Singh	111—112
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	112—113
श्री एम० राजंगम	Shri M. Rajangam	113—115
श्री जगन्नाथ पहाड़िया	Shri Jagannath Pahadia	115—116
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	116—117
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	117
श्री आर० वी० स्वामी नाथन	Shri R: V. Swaminathan	117—129
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh	129—131
प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	131—132

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972/29 चैत्र, 1894 (शक)

Tuesday, April 18, 1972/Chaitra 29, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वर्तमान व्यापार व्यवस्था को वर्ष 1975 तक बनाए रखने के लिए भारत की ब्रिटेन से बातचीत

*441. श्री †नरेन्द्र कुमार सांघी :
श्री पी० के० देव :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने, ब्रिटिश मण्डियों में भारतीय माल के लिए वर्तमान तरजीही व्यवस्था को वर्ष 1975 तक बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को 21 फरवरी, 1972 को एक स्मारक पत्र दिया था जिसमें भारत के निर्यातों से सम्बद्ध समस्याओं का उल्लेख था और इन समस्याओं के सम्बन्ध में उपयुक्त हल निकालने की दृष्टि से भारत सरकार के साथ शीघ्र विचार-विमर्श करने का आग्रह किया था ।

(2) इस स्मारक-पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने अफ्रीका, प्रशान्त और केरिबियन क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रमण्डलीय देशों के व्यापारिक हितों को

31 जनवरी, 1975 तक संरक्षण देने के आश्वासन दिये हैं और सुझाव दिया गया है कि ऐसे आश्वासन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में भी दिये जायें। स्मारक पत्र में यह प्रस्ताव भी किया गया है कि यदि ब्रिटेन के साथ भारत के सम्पूर्ण निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में इस प्रकार के आश्वासन देना सम्भव न हो तो भी समुदाय में ब्रिटेन के प्रवेश करने से पहले, ब्रिटेन सहित यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत सरकार के बीच संतोषजनक व्यापारिक प्रबन्धों के सम्पन्न होने तक के लिए, कम से कम ब्रिटेन को भारत से निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पादकों के सम्बन्ध में, 31 जनवरी, 1975 तक की अन्तरिम अवधि के लिये, समुचित संरक्षण अभी दे दिया जाये।

21 फरवरी, 1972 के स्मारक पत्र में उठायी गई बातों पर ब्रिटेन सरकार का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : पहले यह कहा जाता रहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सम्मिलित होने के बाद इन करारों पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि साझा-बाजार को किये जाने वाले हमारे निर्यातों को पुनः शुरू करने सम्बन्धी वार्ताओं में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ क्या प्रगति हुई है ? एक ओर तो अफ्रीकी तथा केरिबियन देशों जिन्हें साझा बाजार को किए जाने वाले निर्यात में विशेष स्थान प्राप्त है, और दूसरी ओर भारत के बीच क्या अन्तर है ?

श्री ए. सी. जार्ज : 1.1.73 से ब्रिटेन के यूरोपीय आर्थिक समुदाय में प्रवेश करने के पश्चात हमें प्राप्त अधिकांश वरीयताएं समाप्त हो जायेंगी। परन्तु अफ्रीकी और केरिबियन देशों को कुछ वस्तुओं पर विशेष व्यवस्था द्वारा वरीयताएं 1975 तक उपलब्ध रहेंगी। हमने इस मामले को उठाया है और निवेदन किया है कि हमें भी 1975 तक अफ्रीकी और केरिबियन देशों के समकक्ष रखा जाये। हमने एक स्मरण पत्र 21 फरवरी, 1972 को भेजा था। बाद में हमारे विदेश व्यापार मन्त्री ने सर ऐलक ह्यूम से मार्च में और तत्पश्चात सर मैक्स ब्राउन के साथ इस मामले पर बातचीत की थी। यह मामला अभी भी विचाराधीन है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री० नरेन्द्र कुमार सांघी : मन्त्री महोदय को भली प्रकार विदित है कि फ्रांस यूरोपीय साझा बाजार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, जिसने ब्रिटेन के साझा बाजार में प्रवेश पर निषेधाधिकार का दो बार प्रयोग किया था। क्या अंकटाड' सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते समय श्री ललित नारायण मिश्र की यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात करने के बारे में फ्रेंच अधिकारियों से पेरिस में बातचीत हुई थी ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि विदेश व्यापार मन्त्री ने फ्रांस के मन्त्रियों से बातचीत की थी परन्तु उसका विवरण प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि वह अभी सांटियागो चिली, से वापस नहीं आए हैं।

श्री जगनाथ राव : चूंकि ब्रिटेन ने वरीयताएं जारी रखना स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारत को कपड़ा निर्यात पर कितनी सम्भावित हानि होगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारा कपड़ा खुले रूप में ब्रिटेन जाता रहा है। नए प्रबन्धों के अनुसार हमें 20 लाख वर्ग गज का कोटा दिया गया है जिस पर 15 प्रतिशत शुल्क लगाया गया है। उस सीमा तक हमारे कपड़ा उद्योग को निश्चित रूप में हानि होगी। अभी इस हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि उनकी कार्यवाही के जवाब में ब्रिटिश माल पर वैसे ही आयात शुल्क नहीं लगाए गये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : नई व्यवस्था भारत के प्रति भेद-भाव नहीं है अपितु इसका एशिया के सभी राष्ट्र मण्डलीय देशों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह भारत के प्रति भेद-भाव है।

लखनऊ आगरा ऐक्सप्रेस में लूटपाट

***442. श्री †प्रसन्न भाई मेहता :**
श्री अमर नाथ चावला :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 मार्च, 1972 को लखनऊ-आगरा ऐक्सप्रेस से यात्रा करने वाले 50 यात्रियों से डाकुओं ने लगभग एक लाख रुपये के मूल्य का कीमती सामान लूट लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का संक्षेप में ब्यौरा क्या है और चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां। 19–3–1972 की रात को 00.55 से 01.30 बजे के बीच चलती गाड़ी से 6–7 डाकुओं ने लगभग 55000/- रुपये का मूल्यवान सामान लूट लिया।

(ख) एक विवरण जिसमें संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

19–3–1972 को 00.55 से 01.30 बजे के बीच 13 अप लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस गाड़ी जैसे ही कन्नौज स्टेशन से रवाना हुई, बन्दूकों आदि से लैस छः व्यक्ति दो टियर वाले डिब्बा नं० वी० टी० सी० डब्ल्यू 7657 में सवार हो गये। यह पीछे की ओर से चौथा डिब्बा था। उन्होंने हवा में चार बार गोलियां चलायीं और यात्रियों का लगभग 55000 रुपये का सामान लूट लिया और उसे डिब्बे से बाहर फेंक दिया। वे लोग खतरे की जंजीर खींच कर जसोदा रेलवे स्टेशन के समीप गाड़ी से उतर गये। जैसे ही गाड़ी रुकी गाड़ी के साथ चल रहा रेलवे पुलिस दल और गाड़ी का गार्ड लूटे गये डिब्बे में आये। गाड़ी को पांच किलो मीटर की दूरी तक पीछे ले जाया गया और डाकुओं द्वारा फैंका गया लगभग 39000 रुपये का सामान बरामद कर लिया गया।

अभी तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके दूसरे साथियों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में फर्रुखाबाद की रेलवे पुलिस ने 19–3–72 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395-397 के अधीन मामला नं० 44 दर्ज कर लिया है और आगे जांच पड़ताल जारी है।

गाड़ियों तथा रेल परिसीमाओं में डकैतियां, लूट-पाट और दूसरे घृणित अपराधों को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(क) प्रभावित क्षेत्रों में यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिये रात में चलने वाली सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों में रेलवे पुलिस अनुरक्षकों की यथा सम्भव व्यवस्था की जाती है।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल कर्मचारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे रेलों पर ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेवार अपराधियों की तलाश करने में रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस को अपना सक्रिय सहयोग दें।

(ग) प्रभावित खण्ड में काम करने वाले गुण्डों पर कड़ी निगरानी रखने के लिये रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है।

(घ) प्रभावित खण्डों में रेलवे पुलिस द्वारा छापे मारने की भी व्यवस्था की जाती है।

(ङ) रेलवे सुरक्षा दल द्वारा रेलवे पुलिस और पुलिस के अधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर अक्सर बैठकें की जाती हैं ताकि बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और अपराध की करागर ढंग से रोकथाम की जा सके और उसका पता लगाया जा सके।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : रेलों में आधुनिक तरीके से डाके और लूट-मार की घटनाएं एक भयानक स्थिति का द्योतक हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में इस प्रकार की कितनी घटनाएं घटीं और क्या कोई प्रस्ताव रेलवे के विचाराधीन है जिसके अधीन बड़े पैमाने पर चलती गाड़ियों में सुरक्षा की व्यवस्था की जा सके।

श्री के० हनुमन्तैया : मेरे पास पूरे वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें भेज सकता हूं।

ये उपाय किये जा रहे है। रेलवे सुरक्षा दल रात को गाड़ियों के साथ चलता है; रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सरकारी रेलवे पुलिस को पूरा सहयोग देने के अनुदेश दिये गये हैं जिससे ऐसी घटनाओं के लिये उत्तरदायी अपराधियों को पकड़ा जा सके; इस सैक्शन पर सक्रिय गुण्डों पर निगाह रखने के लिए रेलवे पुलिस तथा सामान्य पुलिस के बीच पूरा समन्वय रखा जा रहा है; अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की बैठकें थोड़े थोड़े समय बाद बुलाई जा रही हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि ये घटनाएं कभी-कभी घटती हैं। इसलिये प्रतिरोधक उपाय कर पाना असंभव है क्योंकि डाकू किसी निश्चित दिन

अपराध नहीं करते। खेद की बात है कि देश में अभी भी डाके पड़ रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इतनी अधिक संख्या में डाके केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ते हैं...(व्यवधान)

श्री पीलू मोदी : दिल्ली के डाकुओं ने अभी आत्म-समर्पण नहीं कया है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव चिरकाल से उनके विचाराधीन है; और यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री के० हनुमंतैया पुनर्गठन की मात्रा से इस संबंध में कोई सुधार नहीं होगा। मैं सदन को विश्वास में लूंगा और कहूंगा कि रेलवे सुरक्षा दल में बुराई यह है कि स्वयं इसमें कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराध करते हैं और चोरों के साथ मिले हुए हैं। मेरे लिये यह खोजना कि वे कौन है एक समस्या बन गया है।

संविधान के अनुच्छेद तथा उसके अधीन बने कानून ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा नहीं करने देते। वास्तव में यदि रेलवे सुरक्षा दल पूरी तरह ईमानदार होता तो 75 प्रतिशत चोरियां नहीं होतीं। चित्र के इस पहलू के साथ मैं निःसहाय हो संघर्ष कर रहा हूं।

Shri Narsingh Narain Pandey : How many persons have been arrested in this dacoity and are any persons of R.P.F. are also involved therein ?

श्री के० हनुमन्तैया : अभी तक छः अपराधी पकड़े गये हैं ; अन्य की खोज अभी नहीं की जा सकी। आर. पी. एफ. का इस अपराध के साथ कोई सबन्ध होने का प्रमाण नहीं मिला ?

श्री बसंतराव पुरुषोत्तम साठे : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस अवसर पर प्रहरियों का संरक्षण उपलब्ध था और इस बात पर ध्यान देते हुए कि ये घटनाएं केवल इन लाइनों पर होती हैं, क्या इन लाइनों पर नियमित सुरक्षा व्यवस्था विशेषतः रात के लिये की जायेगी ?

श्री के० हनुमन्तैया : यही तो मैंने कहा था कि इस हम उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे · उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। पहला प्रश्न था कि क्या यह इस मामले में उपलब्ध था ?

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर रखे गए विवरण में यह जानकारी दी गई है।

श्री आर० वी० स्वामी नाथन : उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने बताया कि इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में होती हैं। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर दो डाके की घटनाएं हुई और एक महिला की हत्या भी कर दी गई। मंत्री महोदय के पास इसका क्या उत्तर है ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह इक्के-दुक्के मामले हैं, नियोजित डाके नहीं हैं

श्री आर० वी० बड़े : वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है

"....कड़ी निगरानी रखने के लिये रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के बीच समन्वय रखा जाता है...।"

क्या यह सच है कि रेलवे पुलिस और राज्य की पुलिस में कोई सहयोग नहीं है ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह स्थिति कुछ महीने पहले थी, जैसा कि माननीय सदन को विदित है, मैंने प्रत्येक राज्य में एक-एक समन्वय समिति स्थापित की है जिसमें राज्य पुलिस रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस के प्रतिनिधि होंगे। सम्बन्धित राज्य के गृह-सचिव उसके सभा-पति है। यह समन्वय भली प्रकार स्थापित हो गया है।

श्री अमर नाथ चावला : मैं मंत्री महोदय द्वारा दी गई जानकारी की प्रशंसा करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जो अपराधी पकड़े गये हैं उनमें से कोई उन 6 व्यक्तियों में से भी हैं जो उस गाड़ी पर सवार हुए थे ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन शस्त्रों का उपयोग किया गया था और जो गोलियां चलाई गई थीं उनकी आवाज रेलवे पुलिस द्वारा नहीं सुनी जा सकी और उक्त डिब्बे और पुलिस सुरक्षा दल में कितना अन्तर था ?

श्री के० हनुमन्तैया : यह पीछे से चौथा डिब्बा था। परन्तु दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसकी जांच की जा रही है।

हस्तशिल्प और हथकरघा नि ति निगम के विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा त्यागपत्र

†
*444. **श्री नवल किशोर शर्मा** :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम के विदेशों में नियुक्त कुछ कर्मचारियों ने, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उन्होंने त्यागपत्र देने के क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उन्हें भारत वापस बुलाये बिना सरकार द्वारा उनके त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं।

विवरण

(क) जी हां। भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के छः कर्मचारियों ने, जिन्हें विदेशों में नियुक्त किया गया था, अपनी प्रति नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर निगम की सेवा से त्यागपत्र दे दिया।

(ख) कर्मचारियों ने मुख्यतया वैयक्तिक कारणों से पद-त्याग किये हैं।

(ग) पार-पत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पार पत्र देने से इन्कार करने की शक्तियां सरकार को प्राप्त नहीं हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : त्याग पत्रों के चाहे कुछ भी कारण रहे हों, परन्तु ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों ने उन्हें जारी किये गये पार-पत्रों का लाभ उठाया है। मैं जानना चाहता हूं इस बात को देखते हुए क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को वापस बुलाने का है और यदि हां, तो उन्हें वापस बुलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; यदि नहीं, तो उन-कर्मचारियों का वापस न बुलाने का क्या कारण है ?

श्री ए० सी० जार्ज : आरम्भ में इन कर्मचारियों ने अमरीका में रुके रहने की प्रार्थना की थी। उन्हें तुरन्त भारत लौटने को कहा गया था और चेतावनी दी गई थी यदि वे वापस नहीं आये तो उनकी और उनके परिवारों की वापसी टिकटें रद्द कर दी जायेंगी। परन्तु उस चेतावनी के बावजूद उन्होंने अमरीका में ही रहना पसन्द किया और अपने त्याग-पत्र भेज दिये। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम के पास त्यागपत्र स्वीकार करने के सिवाय कोई विकल्प है नहीं वर्तमान नियमों के अनुसार, मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है कि क्या इन कर्मचारियों को वापस बुलाने की कोई व्यवस्था है।

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या सरकार सदन को इन कर्मचारियों के नाम तथा पद बताएगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी हां। एच० ई० सी० का न्यूयार्क कार्यालय—श्री राम नारायण क्लर्क, श्री जे० एस० प्रेमी, आशुलिपिक, श्री यू० एस० चौपड़ा, स्टोर व्यवस्थापक, श्री टी० के० अनन्तनारायणन, आर्गेनाइजर, और श्री आक्षय प्रसाद, शोफर कम कमोडिटी एसिस्टेंट छठा व्यक्ति एच० ई० सी० के मोन्ट्रीयल कार्यालय की सहायक प्रबन्धक श्रीमती सरला शर्मा हैं।

श्रीमती सावित्री श्याम : मंत्री महोदय ने अभी अभी बताया कि उन्हें भारत लौटने के लिये कहा गया था। परन्तु मैं जानना चाहती हूं कि उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या थीं ? क्या उन्हें अवधि समाप्ति के पश्चात भारत लौटना था ? क्या यह सच है अथवा क्या सरकार को पता है कि उन्होंने उन विदेशी कम्पनियों में नौकरी करली है जिनके भारत से व्यापार संबंध हैं, अथवा उन्होंने अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया है। यदि ऐसी बात है तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? जो सरकार के व्यय पर गये हैं अथवा जिन्होंने सरकारी व्यय पर अनुभव प्राप्त किया है उन्हें वापस आना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इन कर्मचारियों ने उन्हें दिये गये अवसरों का स्पष्टत: दुरुपयोग किया उनकी प्रति नियुक्ति की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख था कि उन की अवधि की समाप्ति के पश्चात उन्हें भारत लौटना है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि, जहां तक हमारी जानकारी है, उन्होंने अपना व्यापार शुरू नहीं किया है और न किसी

विदेशी कम्पनी में लगे हैं। उनमें एक भूटान के स्थायी मिशन में तथा अन्य अमरीका में कोई दूसरा कार्य कर रहें हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि भविष्य में, हमें दृढ़ शर्तें रखनी चाहिएं और पर्याप्त उपबन्ध रखने चाहियें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कर्मचारी अभी भी भारतीय नागरिक हैं अथवा उन्होंने अमरीकी नागरिकता प्राप्त कर ली है। दूसरे उनका त्यागपत्र क्यों स्वीकार किया गया ? उनकी सेवाएं समाप्त क्यों नहीं कर दी गयी ? भारत सरकार ने उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया ?

श्री ए० सी० जार्ज : राष्ट्रीयता के बारे में हमारे पास कोई विशेष सूचना नहीं है। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने अमरीका की राष्ट्रीयता नहीं ली है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरे प्रश्न के बाद वाले भाग का क्या हुआ ? उनका त्यागपत्र क्यों स्वीकार किया गया ? उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री ए० सी० जार्ज : वे अमरीका में थे।······**(व्यवधान)** मैं उनकी नियुक्ति की शर्तों में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करुंगा। इसके अलावा चूंकि वे विदेश में थे इसलिए उनके विरुद्ध कार्यवाही करना असम्भव था।

श्री ए० पी० शर्मा : देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए यदि ये लोग पदत्याग कर के कोई अन्य रोजगार अपनाते हैं तो उसमें क्या बुराई है ? जानना चाहता हूं कि इसमें क्या बुराई है **(व्यवधान)**। जो कोई भी सरकारी नौकरी कर रहा है वह पदत्याग करने को स्वतंत्र है, यदि इन लोगों ने पद त्याग करके अच्छा रोजगार अपना लिया है तो इसमें सरकार को क्या गलत दिखाई देता है ? **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें भारत वापिस आना था। उन्होंने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है।

श्री ए० पी० शर्मा : सरकार अधिक से अधिक उनसे टिकट के किराये की मांग कर सकती है। उन्हें भारत क्यों वापिस आना चाहिए ? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सरकार की क्या नीति है ? क्या वे उन कर्मचारियों को वापिस भारत बुलाना चाहते हैं और फिर उन्हें वापिस जाने को विवश करेंगे अथवा वे उनके त्याग पत्र स्वीकार करेंगे ताकि वे वहां अच्छा रोजगार अपना सकें ? **(व्यवधान)** अमरीका का कोई प्रश्न नहीं है, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। किसी बात की सीमा होनी चाहिए··· **(व्यवधान)**

श्री ए० सी० जार्ज : मैं विस्तृत प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, परन्तु मैं केवल नौकरी की शर्तों पर ही कहूंगा। उन्होंने नौकरी की शर्तों का उल्लंघन किया है। हमने विदेश मन्त्रालय से परामर्श किया था और विदेश मन्त्रालय का यह मत था कि इन कर्मचारियों को

वापिस भारत लाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है और उन्होंने पासपोर्ट अधिनियम 1947 के अन्तर्गत उनको सामान्य पासपोर्ट देना अस्वीकार कर दिया था।

श्री पीलू मोदी : मैं मन्त्री महोदय से विशेषकर उत्तर के अन्तिम भाग को देखते हुए जानना चाहता हूं कि अनुबन्ध को पूरा न करने का क्या तात्पर्य है। यदि उन्होंने आपसे एक विशेष समय में कोई विशेष कार्य करने का अनुबन्ध किया होता और यदि वह अवधि समाप्त हो जाती है तो अनुबन्ध को पूरा न करने का यहाँ क्या तात्पर्य है ? जो भी हो इन कर्मचारियों ने अपने को स्वदेश लाने का आपका खर्चा बचा दिया है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं मानता हूं कि उन्होंने नौकरी की शर्तों का उल्लंघन किया है ...।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्हें वापिस आना पड़ेगा।

श्री ए० सी० जार्ज : आप भले ही मुझ से सहमत न हों कि उन्होंने नौकरी की शर्तों का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्हें इस विशेष शर्त पर भेजा गया था तथा नियुक्त किया गया था कि उन्हें अवधि की समाप्ति पर वापिस आना होगा।

श्री पीलू मोदी : मैंने यह नहीं पूछा था कि क्या उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया था अथवा नहीं। मैंने पूछा था कि कार्य पूरा न करने का क्या तात्पर्य है, मैं यह बात समझ सकता हूं कि यदि आपने उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए भेजा होता और उन्होंने एक वर्ष के पश्चात पद त्याग दिया होता तब यह कार्य का पूरा न करना माना जा सकता है, परन्तु यहां तो अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी बात हुई है। चूंकि वे वापिस नहीं आना चाहते हैं इसलिए आप उन्हें दण्डित करना चाहते हैं ? आप में से कितने वापिस आना चाहेंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमारे विचार में यह कदाचार है क्योंकि इस प्रकार के अवसरों का अन्य व्यक्ति भी दुरुपयोग कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

The Government does wrong and gives a wrong version.

कोयले के मूल्य में वृद्धि

*445. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने कोयले के मूल्य को बढ़ाना स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप रेल विभाग को प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन की लागत में वृद्धि हो जाने से कोयला खानों को प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य के कोयले की कीमत में वृद्धि की गयी है।

(ग) लगभग 1.6 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त खर्च रेलों के नाम आने का अनुमान है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कोयला खान मालिकों द्वारा उत्पादन की ऊंची लागत की प्रतिपूर्ति के लिए रेलवे उन्हें 1 करोड़ 60 लाख रुपये दे रही है, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गत एक या दो वर्षों से कोयला खानें भारी लाभ कमा रही हैं और वे कृत्रिम अभाव पैदा कर रही हैं ? क्योंकि उनकी शिकायत है कि कोयले को अन्य स्थानों पर ले जाये जाने के लिए माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं ? मैं नहीं जानता कि सरकार किस प्रकार सरकारी कोष से 1 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय करके इसकी प्रतिपूर्ति कर सकती है ?

श्री के० हनुमन्तैया : लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने इस प्रश्न की वैज्ञानिक ढंग से जांच की थी। उन्होंने उत्पादन लागत तथा महंगाई भत्ता जो बढ़ा दिया है, सहित इस मामले के सभी पहलुओं और माल डिब्बे में ढुलाई के बारे में जांच की थी, इन सभी कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय किया और हमने काफी सीमा तक उनकी सिफारिश स्वीकार कर ली है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : लगता है कि सरकार ने समिति की कुछ सिफारिशों का पालन किया है परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह उचित है कि कोयला खान मालिकों को 1 करोड़ 60 लाख रुपये दिये गये हैं जो कि गत एक अथवा दो वर्षों से भारी लाभ कमा रहे हैं ? इस संदर्भ में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इसमें से कितने कोयला-खान मालिक गैर-सरकारी हैं और उन्हें कितना धन दिया गया है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस समय मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिससे मैं गैर-सरकारी कोयला-खान मालिकों और सरकारी कोयला-खान मालिकों को दिये गये धन का ब्यौरा दे सकूं। यह सच है कि ऐसी भी सरकारी कोयला खान है और उन्होंने ऊंचे मूल्य की मांग की है और इसलिए यह प्रश्न लागत तथा मूल्य ब्यूरो को सौंपा गया था। सभी मंत्रालयों के सचिवों की एक समिति द्वारा बाद में इसकी जांच की गई और अन्त में मंत्रिमण्डल ने इसे मंजूरी दी। मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं कि हमें उचित मूल्य से अधिक पैसा न तो सरकारी कोयला खानों को देना चाहिए और न ही गैर सरकारी कोयला खानों को, लेकिन जब मूल्य निर्धारित किया जाता है, तो इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री दामोदर पांडे : सरकारी क्षेत्र ने अपनी उत्पादन लागत की गणना की है। उनकी उत्पादन-लागत ज्यादा है, क्योंकि वे अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को पता है कि 50 प्रतिशत उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है और 50 प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र में ? सरकारी क्षेत्र अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन दे रहा है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र मजूरी बोर्ड के अवार्ड को क्रियान्वित नहीं करता और न अपने कर्मचारियों को ज्यादा वेतन ही देता है। इसलिए, इस वृद्धि को क्या वह सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों अथवा केवल उन गैर सरकारी कोयला खानों तक ही सीमित रखेंगे जिन्होंने मजूरी बोर्ड के पंचाट को क्रियान्वित किया है और कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रश्न पर भी तीनों स्तरों पर चर्चा की गई थी। अन्ततोगत्वा यह निर्णय किया गया कि कोयले की कीमतों में फर्क नहीं होना चाहिए और कोयला खानों के परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की योजना से उसे सम्बद्ध नहीं करना चाहिए। रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को कोयला खानों द्वारा मंजूरी बोर्डों के पंचाटों को क्रियांवित कराने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिये। मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग मंत्रालय है और एक अलग अधिनियम है, हम तो जो भी मूल्य निर्धारित हो, वह अदा करने के जिम्मेदार हैं।

श्री दामोदर पाण्डे : क्या रेल मंत्री रेलवे प्रशासन को इस आशय की सलाह देंगे कि उन कोयला खानों को क्रयादेश न दिये जांय, जिन्होंने मजूरी बोर्ड के पंचाटों को क्रियान्वित नहीं किया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय हमें यह बतायेंगे कि क्या यह सच है रेल विभाग ने एक निर्णय लिया था कि रेल के कोयले का क्रयादेश उन कोयला खानों को नहीं दिया जायेगा, जिन्होंने मंजूरी बोर्ड के पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया है ? यदि ऐसा है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है कि कोयले के क्रयादेश केवल उन कोयला खानों को ही दिये जांय, जिन्होंने मजूरी बोर्ड के पंचाटों को क्रियान्वित किया है ? दूसरी बात यह कि इस कारण रेल विभाग के व्यय में 1.8 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी, 1.6 करोड़ रुपये नहीं।

श्री के० हनुमन्तैया : मेरी जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं था। जहां तक अधिनियम के अनुसार मजूरी के भुगतान का सम्बन्ध है, हम भी सहयोग करेंगे, लेकिन मूलतः यह श्रम मंत्रालय का काम है। लागत में 0.2 करोड़ रुपये का अन्तर आपकी अपनी राय है। मैं नहीं कह सकता कि 1.6 करोड़ रुपये की राशि पूर्णतया सही है। यह तो केवल एक अनुमान हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। समाचार पत्रों में इस आशय का समाचार है कि मन्त्रिमण्डल ने जहां इस प्रश्न पर निर्णय लिया था, वहीं इसने इस प्रश्न पर भी विचार किया था कि उन कोयला खानों द्वारा मजूरी बोर्ड के पंचाट को किस प्रकार क्रियान्वित कराया जाय, जिन्होंने अभी तक उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। यह समाचार पत्रों में छपा समाचार है।

अध्यक्ष महोदय : वह इसका खण्डन कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह इससे बच रहे हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : आप मिलना सोचते हैं, उससे ज्यादा मैं आपकी सहायता कर रहा हूं।

श्री था किरुत्तिनन : इस कारण रेलवे को होने वाली हानि और अन्य परिणामों के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है। कोयले के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रेलवे के मामले में इस कारण कितना अतिरिक्त व्यय होगा ? क्या इस बढ़ी हुई राशि को रेलवे बोर्ड देगा अथवा इसके लिए राज सहायता दी जायेगी ? इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री के० हनुमन्तैया : इस प्रश्न के लिए मेरे पास प्रत्येक रेलवे के लिए अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। यह कोयले की सप्लाई पर निर्भर करता है। मैं उनको यह सूचना देना चाहता हूं कि दक्षिणी क्षेत्र ने कुछ उपाय किये हैं जिसके कारण तीन महीने के कोयले की खपत में वस्तुत: कमी हुई है और इस कारण उन्हें किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक प्रत्येक क्षेत्र में खपत सम्बन्धी आंकड़ों का प्रश्न है, उनमें अन्तर है। अगर माननीय सदस्य आंकड़े चाहें तो मैं उन्हें आँकड़े दे दूंगा।

श्री था किरुत्तिनन : मैं यह जानना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे द्वारा यदि कुछ अतिरिक्त व्यय किया जाये तो क्या उसे रेलवे बोर्ड वहन करेगा अथवा स्वयं दक्षिण रेलवे ?

श्री हनुमन्तैया : व्यय को इस प्रकार वहन नहीं किया जाता। इन सब बातों का निर्धारण समग्र बजट सम्बन्धी प्रवधान द्वारा होता है।

श्री पीलू मोदी : इससे रेल के घाटे में वृद्धि होगी।

श्री जगन्नाथ राव : कोयला खानों के मालिक अनेक वर्षों से मूल्य में वृद्धि की मांग करते रहे हैं। वर्ष 1969-70 में, जब उन्होंने 2 रु० प्रति टन की मूल्य वृद्धि की मांग की, तो सिर्फ 85 पैसे टन की वृद्धि की गई। पिछले साल कोई वृद्धि नहीं की गई। इस साल, वृद्धि क्यों होनी चाहिए ? रेलवे वृद्धि के लिए क्यों सहमत हो। रेलवे कोयला खानों से कोयले का कुल कितना लदान करती हैं ?

श्री हनुमन्तैया : मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती, यदि बढ़ी हुई कीमतें न देनी पड़तीं। वस्तुत: मैं तो इसका समर्थक भी था। परन्तु इन अन्य मन्त्रालयों ने दावा किया, जो कोयला खानों की मालिक थी, तो मूल्य निर्धारण का मामला एक निष्पक्ष प्राधिकरण—ब्यूरो को सौंपा गया। इसलिए, इस बात की जांच की गई कि मूल्य वृद्धि की मांग को किस सीमा तक माना जाय ?

श्री जगन्नाथ राव : कोयला-खानों से कोयले की कुल कितनी खरीद की गई ?

अध्यक्ष महोदय : एक बार में इतने सारे प्रश्नो के उत्तरों की आशा नहीं करनी चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव : उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए।

Mr. Speaker : Only one question will continue, if I do not check this.

Inadequate Irrigation Facilities in South Bihar

*446. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that adequate irrigational facilities not been provided in South Bihar;

(b) whether Government have under consideration any scheme for providing irrigational facilities there; and

(c) if so, the broad outline thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : **(a) to (c)** : A statement is laid on the table of the House.

Shri Ishwar Chaudhry : Mr. Speaker, I have seen the statement. It is a matter of great surprise that only 18 lakhs of acres of land out of 92 lakh acres has got irrigation facilities in five districts, Patna, Shahabad, Gaya, Bhagalpur and Monghyr in South Bihar. I would like to know how long would it take to start Sore Canal, Chandan reservoir and other medium schemes so that remaining 74 lakh acres of land could also be irrigated ? I would also like to know the names of the major irrigation schemes proposed by the Bihar Government ? I would also like to know how long would it take to have the feasibility survey of medium and small irrigational schemes ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एस० राव) : सभी मामलों में 100 प्रतिशत सिंचाई

की सुविधा उपलब्ध करना सम्भव नहीं हो सकेगा, परन्तु हम 50 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय, दक्षिण बिहार में सिंचाई का अनुपात लगभग 20 प्रतिशत है। मेरे विचार में हमारा लक्ष्य 50 प्रतिशत तक की आवश्यकता की पूर्ति करना अथवा उसमें वृद्धि करके 50 प्रतिशत करना है।

माननीय सदस्य ने कुछ परियोजनाओं का उल्लेख किया है जो निर्माणधीन है जैसे सोन उच्च स्तर नहर और चन्दन जलाशय आदि। एकमात्र कमी है संसाधनों की। फिर भी मुझे उम्मीद है कि वे अगली तीन या चार वर्षों में अधिकांशत पूरी हो जायेंगी। राज्य सरकार ने पाँच अन्य सिंचाई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है और उत्तरी कोयला परियोजना, तिलैया, कोनार नदी बेसिन परियोजना और बांटाने परियोजना सहित दो अन्य परियोजनायें हैं। ये परियोजनायें अभी भी तैयारी और जांच पड़ताल की स्थिति में हैं और उनमें से कुछ भेजी जा चुकी हैं। कुछ अन्तर राज्यीय पहलू भी हैं जिन पर विचार किया जाना है और जब उन को मंजूरी मिल जायेगी, तब उनको भी क्रियान्वित किया जायेगा। यह कहना सम्भव नहीं है कि इन परियोजनाओं पर कब कार्य आरम्भ होगा और वे कब पूरी होंगी।

Shri Ishwar Chaudhry : I wodld like to know whether Government would persuade the Government of Madhya Pradesh not to come in the way of Bansagar Project so that irrigation facilities may be ensured for South Bihar ?

डा० के० एल० राव : मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार सरकार बनसागर परियोजना में क्यों रुकावट डालेगी। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभ होगा। मैंने इस परियोजना के बारे में विचार-विमर्श किया है और मुझे आशा है कि इन अन्तर्राज्यीय प्रश्नों का समाधान करना सम्भव हो सकेगा। पानी के आबंटन का प्रश्न हल होते ही, इस योजना पर कार्य प्रारम्भ करने का विचार है। यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बद्ध राज्यों को अन्तर्राज्यीय समाधान करने की आवश्यकता है।

Shri S. C. Besra : Mr. Speaker, I would like to know through you whether water stored in Masangjor dam and Maithan dam of Bihar is supplied to Bengal ? Whether a lift, irrigation scheme would be launched to utilise that water in Bihar ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये।

Shri S. C. Besra : Whether a lift irrigation scheme would be launched to utilise that water ?

डा० के० एल० राव : जहां तक संथाल परगना और छोटा नागपुर का सम्बन्ध है, यह सच है कि मैथान बांध के पानी का उपयोग निम्न धरातल पर होता है। इसका संथाल परगना में उपयोग नहीं किया जा सकता। वहाँ अन्य परियोजनायें प्रारम्भ की जा सकती हैं। मुझे खेद है कि जहाँ तक सिंचाई का सम्बन्ध है छोटा नागपुर में सिंचाई सुविधायें कम हैं। कुछ योजनायें बनाई जाती हैं। तत्पश्चात्, हम उस पर विचार कर सकते हैं।

Shri S. C. Besra : I had asked whether a scheme for lift irrigation would be launched ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिये।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या यह सच है कि दक्षिण बिहार में सिंचाई की उपलब्धता लगभग 20 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में 5 प्रतिशत से भी कम है ? क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश सरकार दक्षिण बिहार में सिंचाई सुविधाओं के और अधिक विस्तार न करने का सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय से बार-बार अनुरोध करती रही है, क्योंकि इस दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़ा है और वह सोन नदी के जल का प्रदेश में ही उपयोग करना चाहेगी ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य सम्भवत बनसागर परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। हमने इसे मंजूरी नहीं दी है और इसे तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायगा जब तक अन्तर्राज्यीय आधार पर जल के वितरण का प्रश्न हल नहीं हो जाता।

श्री ए० पी० शर्मा : क्या सरकार इस परियोजना के साथ साथ, विशेषत: तीनों जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए नलकूपों और पम्पिंग-सैटों जैसी लघु सिंचाई योजनायें प्रारम्भ करेगी ?

डा० के० एल० राव : इस क्षेत्र में लघु सिंचाई की अच्छी सम्भावनायें हैं। यह विषय कृषि मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

पश्चिम बंगाल में हावड़ा आमता लाइट रेलवे को पुनः चालू करना

*447. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में हावड़ा-आमता लाइट रेलवे को पुन: चालू करने की सम्भावनाओं की पुन: जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार इसकी सम्भावनाओं पर विचार कर रही है।

(ख) यह पश्चिम बंगाल सरकार पर निर्भर है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र में यह लाइट रेलवे चलती थी, प्रधान मंत्री ने चुनावों के दौरान वहां था दौरा करते समय हावड़ा जिले में बेदनान नामक स्थान पर लोगों को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार इस लाइट रेलवे को पुन: चालू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री के. हनुमन्तैया : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रकार दिये गये आश्वासन की एक प्रति प्रस्तुत करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे अधीन कोई सचिवालय काम नहीं कर रहा है जैसा कि उनके अधीन है और ना ही हमारी कोई गुप्तचर सेवा है। इस बात का पता लगाना उनका काम है।

मैंने अपनी जिम्मेदारी पर यह प्रश्न सभा में पूछा है। क्या मंत्री महोदय ने आज सभी राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार को पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल सरकार लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में ले रही है ? इसी संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के साथ, जो कल तक दिल्ली में थे, कोई बातचीत की थी ? यदि हां, तो उस बातचीत का ब्यौरा क्या है, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने के सम्बन्ध मे की थी ?

श्री हनुमन्तैया : यह बात सुदृढ़ आधार पर कही गई है। माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले प्रशासन ने इस रेलवे लाइन को अपने नियंत्रण में लेने से इन्कार कर दिया था ···मैं उनके दल की कोई निन्दा नहीं कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस समय वहां राष्ट्रपति का शासन था। आप क्या बात कर रहे हैं।

श्री के० हनुमन्तैया : मैं ठीक कह रहा हूं। राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इन्कार कर दिया था। मैंने कल पश्चिम बंगाल के मुख्य मत्री से जो बातचीत की थी उसे जानकर माननीय सदस्य प्रसन्न हो जायेंगे। नये मुख्य मंत्री इस लाइन को पुनः चालू करने के लिये उत्सुक हैं। वह स्थिति पर विचार कर रहे हैं।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये उपाय

*448. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के व्यापार सम्बन्धों में विस्तार करने कीं सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

अफ्रीकी देशों के साथ भारतीय व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने की सम्भावनाओं की लगातार समीक्षा की जाती है।

2. जो कार्यवाही की गई है उनमें ये शामिल हैं : व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, व्यापार करारों का किया जाना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन, अफ्रीका सम्बन्धी, सं० राष्ट्र आर्थिक आयोग के साथ तालमेल, विशेष क्षेत्रीय अध्ययन करना आदि।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : 55 अफ्रीकी देशों में से 5 या 6 देशों–मिस्र, सूडान, नाइजीरिया, टांगानिका, कीनिया आदि के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध हैं। उनके साथ पटसन उत्पाद और सूती कपड़े जैसी परम्परागत वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। अफ्रीकी देशों की अ[illegible]

में प्रगति को देखते हुए मेरे विचार से हमें पूंजीगत वस्तुओं और इंजीनियरी के हल्के सामान का भी उन्हें निर्यात करना चाहिये । परन्तु यदि हम इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी उन देशों से कई वस्तुओं का आयात करना होगा । क्या सरकार इन देशों के साथ व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग सम्बन्धी द्विपक्षीय करार करने के लिये सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत नहीं हूं। हमारे व्यापारिक सम्बन्ध 44 देशों के साथ हैं । गत तीन वर्षों में हमारे निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है–वर्ष 1968-69 में 72 करोड़ रुपये का निर्यात व्यापार हुआ था जो 1969-70 में बढ़कर 88.11 करोड़ और वर्ष 1970-71 में 139.29 करोड़ रुपये हो गया है । अप्रैल-सितम्बर, 1971 के आंकड़े भी उत्साहजनक है । जहाँ तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, अफ्रीका के साथ हमारे व्यापार में भुगतान-सन्तुलन की स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है और हम इस स्थिति में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । वर्ष 1968-69 में आयात 148.22 करोड़ रुपये का था, वर्ष 1969-70 में 149.44 करोड़ रुपये का और वर्ष 1970–71 मे 169.82 करोड़ रुपये का था । इस वर्ष 150 करोड़ रुपये से अधिक का आयात हो सकता है और भुगतान संतुलन की स्थिति औसत रूप से लगभग 30 करोड़ रुपये तक हमारे प्रतिकूल है । अतः यह सच नहीं है कि हम उनसे आयात नहीं कर रहे हैं ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : हमारे दूतावास कितने देशों में है और कितने देशों में हमारे व्यापार प्रतिनिधि हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रश्न के लिये अलग से नोटिस दिया जाना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : विदेश व्यापार मंत्रालय पूरे आंकड़े बताता है परन्तु वह प्रतिशत का कोई उल्लेख नहीं करता जिससे सही स्थिति का ज्ञान हो सके । क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इन 44 देशों को हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है और यदि हां तो उन देशों के कुल आयात की दृष्टि से उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने ऐसे आंकड़े बताये हैं जिनसे स्थिति स्पष्ट हो जाती है । वर्ष 1970-71 में हमारा निर्यात 139 करोड़ रुपये का था । इससे आसानी से प्रतिशत का पता लगाया जा सकता है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : वह मेरा प्रश्न नही समझ पाये हैं । हम कहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़ा है परन्तु विश्व के सम्पूर्ण निर्यात को देखते हुए हमारा प्रतिशत कम हो गया है । इसी लिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्रतिशत के हिसाब से भी उसमें वृद्धि हुई है ।

श्री ए० सी० जार्ज : इस समय मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं ।

डा० रानेन सेन : हमारी सरकार ने उन अफ्रीकी देशों के साथ कितने संयुक्त उपक्रम स्थापित किये हैं ? और भारत में विद्यमान गैर सरकारी और एकाधिकार वाले उद्योगपतियों ने कितने उपक्रम स्थापित किये हैं और क्या संयुक्त उपक्रमों में वे लोग भी शामिल है जिन्होंने भारत सरकार की सहायता से अफ्रीका में एकाधिकार वाले उद्योग समूह स्थापित किये हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : हमने अफ्रीकी देशों में 52 संयुक्त उपक्रमों की स्वीकृति दी है। इनमें से 15 उपक्रमो में उत्पादन चल रहा है अन्य 15 उपक्रमों का विचार छोड़ दिया गया है। शेष उपक्रमों को स्थापित किया जा रहा है और उनकी स्थिति अलग-अलग है। अफ्रीकी देशों के साथ हमारा कोई राजकीय संयुक्त उपक्रम नहीं है।

डा० दानेन सेन : मैं यह पूछना चाहता था कि जिन संयुक्त उपक्रमों के स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है क्या उनमें वे उद्योगपति भी सम्मिलित हैं जो वहां एकाधिकार-वादियों के रूप में व्यापार कर रहे हैं अथवा मिल चला रहे हैं

श्री ए० सी० जार्ज : चूंकि ये संयुक्त उपक्रम विदेशों में स्थापित हैं इसलिए उन पर उन्हीं देशों के कानून लागू होते हैं। फिर भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वहां पर हमारे उद्योग-पतियों की किसी अनुचित बात से हमारी प्रतिष्ठा को धक्का न लगे।

डा० दानेन सेन : इस उत्तर का प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तथ्य जानना चाहता हूं और वह नीति बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग प्रश्न का नोटिस दीजिए अथवा आप स्वयं कोई निष्कर्ष निकाल लीजिये।

पूर्व-यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि के लिए उपाय

*449. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व-यूरोपीय देशों को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि की काफी गुंजाइश है; और

(ज) यदि हां, तो क्या इन देशों को दिए जाने वाले निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं का पूरा उपयोग करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात बढ़ाने की विभिन्न संभावनाओं की सरकार निरन्तर समीक्षा करती रहती है। पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात बढ़ाने की संभाव्यताओं का उपयोग करने के लिए किये गये उपायों में इन देशों, अर्थात बल्गारिया चैकोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रूमानिया, सोवियत संघ तथा यूगोस्लाविया के साथ वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार करार करना शामिल है जिसका उद्देश्य भारत से विभिन्न प्रकार के माल के निर्यात का उत्तरोत्तर विविधीकरण के साथ-साथ उसका तेजी से विस्तार करना भी है। भारतीय फर्मों

सरकारी क्षेत्र के संगठनों तथा निर्यात संवर्द्धन परिषदों को इन देशों में समय समय पर होने वाले मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। इन देशों में निर्यात संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए बिक्री-सह-अध्ययन दलों तथा बाजार सर्वेक्षणों की व्यवस्था की गई है। इन देशों के क्रय प्रतिनिधिमण्डलों को, इन देशों को हमारे देश से निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न विनिर्माणक केन्द्रों का दौरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

श्री० एच० एन० मुकर्जी : जैसा कि अभी भी साल्वे ने कहा, हमारे निर्यात की वृद्धि की धीमी गति को ध्यान में रखते हुये वृद्धि की दर वर्ष 1971-72 में 4 प्रतिशत थी जबकि विश्व की औसत दर अभी हाल के वर्षों में 8 प्रतिशत रही क्या मैं जान सकता हूं कि अपनी 10 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य के लिये क्या कोई गणना की गयी है, जो मन्त्री महोदय द्वारा भाग (क) के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं प्रतीत होती कि समाजवादी देशों को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि की काफी गुंजाइश है।

ए० सी० जार्ज : पिछले दस वर्षों में पूर्व यूरोपीय देशों को भारत द्वारा किये गये निर्यात में 361 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विश्व स्तर पर हमारे निर्यात में 96.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1960–61 के दौरान पूर्व-यूरोपीय देशों का अंश दान 7.5 प्रतिशत था जो 1968-69 में 19.61 प्रतिशत हो गया और अब 23.7 प्रतिशत है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : 10 प्रतिशत वृद्धि के बारे क्या प्रगति हुई है।

श्री ए० सी० जार्ज : हमने 10 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। हम केवल 8 प्रतिशत तक पहुंच सके हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सन् 1964 में 'अंकटाड' में हुई इस चर्चा की दिशा में क्या प्रगति हुई है कि समाजवादी देश लम्बी अवधि के करारों, समझौतों, विकास योजनाओं के तालमेल तथा तकनीकी जानकारी के विनिमय आदि द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : यह एक अच्छा विचार है और हम इस पर अब भी काम कर रहे है। इसका कार्यान्वयन हो रहा है।

श्री पीलू मोदी : क्या यह सच है कि विदेश व्यापार मन्त्रालय ने अभी हाल में पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ व्यापार में भारी कमी करने के लिए कुछ कदम उठाये हैं?

श्री ए० सी० जार्ज : भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि समाजवादी देशों के साथ व्यापार में कमी की जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उनके मन्त्रालय के कुछ अधिकारी वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्व-यूरोपीय देशों के स्पष्ट हमारे निर्यात में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं और क्या 'स्विच डील' के नाम पर अनेक छापे डाले गये हैं और वे जानबूझ कर पूर्व-यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार को कम करने की कोशिश कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह आपका अपना सुझाव है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : 'स्विच ड्रेड' किस सीमा तक हमारे निर्यात की जड़ों को काट रहा है ? प्रश्न यह है।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि कर्मचारियों ने सरकार की नीति में बाधा डाली है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा कही गयी 'स्विच डील' की बात का प्रश्न है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं नहीं समझता कि तथाकथित स्विच डील हमारे निर्यात की जड़े काट रहा है।

कलपक्कम आणविक बिजली घर से विभिन्न राज्यों को बिजली का वितरण

*450. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम आणविक बिजली घर के पूरा होने पर इससे विभिन्न राज्यों को बिजली का वितरण करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और तमिल नाडु सरकार के बीच एक समझौता हुआ है।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत केरल को कितनी बिजली मिलेगी और प्रति यूनिट इसकी लागत क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कल्पक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से बिजली के हिस्से के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

इस क्षेत्र में केरल तथा अन्य राज्यों का कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयन्त्र से कितनी बिजली की सप्लाई की जायेगी, इसका हिसाब, इन राज्यों की उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार लगाया जाएगा जब विद्युत केन्द्र तैयार हो जाएगा। प्रति यूनिट की लागत भी वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निकाली जाएगी।

श्री वयालार रवि : आप इस संयंत्र को कब तक चालू करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने तमिलनाडु सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से जो इस संयंत्र के लाभान्वित होंगी। कोई प्रारम्भिक बातचीत की है ? यदि हां, तो भारत सरकार को क्या सुझाव भेजे गये और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : संयत्र के आगामी पंचवर्षीय योजना

के पहले अथवा दूसरे वर्ष अर्थात 1975-76 में चालू होने की आशा है। तमिलनाडु सरकार के साथ कुछ बातचीत हुई थी। अन्य राज्य सरकारों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। इस कलपक्कम बिजली घर की बिजली के वितरण की समस्या का अभी तक समाध्यान नहीं किया गया।

श्री वयालार रवि : इस संयत्र से पैदा होने वाली बिजली की ऊंची लागत की दृष्टि में क्या भारत सरकार सस्ती बिजली पैदा करने के लिए केरल को अधिक वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

डा० के० एल० राव : केरल को अधिक बिजली की आवश्यकता हो तो इसमें से हिस्सा उसे मिल सकता है लेकिन यहां वित्तीय सहायता देने का प्रश्न कैसे पैदा होता है ?

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या वह सच नहीं कि कलपक्कम् बिजली घर की बिजली के वितरण के सम्बन्ध में तमिलनाडु तथा केरल सरकार के बीच प्रारम्भिक बातचीत हुई थी, जिसमें मन्त्री महोदय की उपस्थित थे ? क्या यह सच नहीं कि बातचीत के दौरान तमिलनाडु सरकार ने केरल को इस शर्त पर कि केरल सरकार पानी सप्लाई करेगी बिजली घरों से बिजली सप्लाई करने की पेशकश की थी ?

डा० के० एल० राव : कलपक्कम बिजली घर के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई पहले यह विचार था कि कलपक्कम बिजली घर योजनाकाल में तैयार हो जायेगा लेकिन इसमें बहुत विलम्ब हो गया है। अत: इस प्रश्न पर पुन: विचार करना है। पानी को बिजली के बदले देने सम्बन्धी दूसरे प्रश्न के बारे में मैं नहीं समझता कि इसका निपटारा इस प्रकार के प्रश्नकाल में हो सकता है।

श्री एम० एस० संजीवीराव् : ऐसा कहा जाता है कि कलपक्कम बिजली घर से पहले चरण में पैदा हुई समूची बिजली की आवश्यकता तमिलनाडू को होगी। चूंकि इस संयत्र के लिए सारा धन केन्द्रीय सरकार लगा रही है, तो क्या इस बिजली का कुछ भाग आन्ध्र प्रदेश को नहीं दिया जा सकता, जिसे बिजली की कमी के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

डा० के० एल० राव : जब यह परियोजना स्वीकृत की गयी तो यह विचार था कि इसे बहुत शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगा। उस समय परमाणु शक्ति आयोग तथा तमिलनाडु के बीच बातचीत हुई थी कि पैदा की जाने वाली बिजली का अधिक भाग तमिलनाडु को दिया जायेगा। लेकिन इस बदली स्थिति में कि इस योजना में काफी विलम्ब हुआ, हमें यह बातचीत करनी है और मालूम करना है कि क्षेत्र के चार राज्यों अर्थात केरल, आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु और मैसूर के बीच बिजली का वितरण कैसे किया जाये। ऐसा करना ही पड़ेगा। केरल और मैसूर की तरह आन्ध्र का भी हिस्सा होगा। हिस्सा कितना कितना है, इसका निर्णय अभी करने को है।

श्री पी० ए० स्वामिनाथन : मैं आपके हस्ताक्षेप की प्रार्थना करता हूं। यह मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका सम्बन्ध तमिलनाडु और

केरल से है। मैंने पूछा है कि क्या यह सच है कि मन्त्री महोदय की उपस्थिति में पानी के बदले बिजली देने सम्बन्धी कोई बातचीत केरल और तमिलनाडु सरकार के बीच हुई थी। मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

श्री एम रामगोपाल रेड्डी : आमों तथा केलों के निर्यात सम्बन्धी अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं उस प्रश्न की ओर आ रहा हूं। श्री गंगाचरण दीक्षित। वे यहां नजर नहीं आते।

श्री रामसहाय पांडे : वे पुस्तकालय में हैं उन्होंने प्रश्न पूछने के लिये मुझे अधिकृत कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : आपने चुपके से अधिकार पत्र स्वीकार कर लिया ? मैं प्रश्न पूछने के लिये आपको अधिकृत नहीं कर सकता।

निर्यात संवर्धन परिषद् संबंध समिति का प्रतिवेदन

*452. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्य संचालन की जाँच करने के बारे में सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

समिति की जिन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, उनका उद्देश्य मोटे तौर पर निम्नलिखित की व्यवस्था करना है :—

1. निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यों का आवधिक पुनरीक्षण,
2. निर्यात संवर्धन के अभिकरणों के रूप में परिषदों की कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए उनके प्रशासन में चयनात्मक तथा साथ ही सेवा तत्वों को सुदृढ़ करना;
3. अपेक्षाकृत बड़ी परिषद में से प्रत्येक को सौंपे गये प्रमुख वर्गों के उत्पादों से संबंधित निर्यात समस्याओं को सुलझाने के लिए विशिष्टीकरण का विकास;
4. निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्य में लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यातकों द्वारा प्रभावपूर्ण रूप से भाग लिया जाना और इस क्षेत्र के निर्यातकों की समस्याओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल कार्यवाही;

5 निर्यात संवर्धन परिषदों के विशेषत: बाजार अध्ययनों, विभिन्न साधनों से विदेशों में प्रचार आदि जैसे कार्यकलापों के लिए उनके वित्तीय स्रोतों में वृद्धि;

6. परिषदों को उनके कार्य में और अधिक स्वतंत्रता देना ताकि उनके कार्यों में कम से कम विलम्ब हो और अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित हो सके ।

7. देश के निर्यात में काफी वृद्धि करने के सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिषदों तथा व्यापार विकास प्राधिकरण जैसी सरकारी संस्थाओं तथा व्यापार के बीच और अधिक उद्देश्यपूर्ण अन्त: कार्यवाही ।

श्री एन० ई० होरो : क्या मंत्रालय इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा और सदन के इस सत्र में निश्चित प्रस्ताव लायेगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है । इस सत्र में लाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित वचन नहीं दे सकता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पार्सल तथा माल उतारने-चढ़ाने के ठेके रखने वाली सहकारी समितियों को रेलवे पास जारी करना

*443. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सहकारी समितियों को, जिनके पास पार्सल और माल उतारने-चढ़ाने का ठेका है, रेल कार्यों को ठीक तरह चलाने के लिये स्टेशनों से बाहर से श्रमिकों की व्यवस्था करने हेतु रेलवे पास जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का कार्य करने वाली अन्य सभी समितियों को भी यह विशेष सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त समितियों को रेलवे पास जारी करने के मामले में एकरूपता लाने का है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : उत्तर रेलवे में एक श्रम सहकारी समिति को जिसके पास पार्सल और माल की सप्लाई का ठेका है, करार के अनुसार पास जारी किये जाते हैं । जब नया ठेका दिया जाएगा, तो यह सुविधा वापस ले ली जाएगी ।

Exports of Mangoes and Bananas

*451. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the export of mangoes and bananas has increased substantially during 1971;

(b) if so, the comparative figures in regard to exports thereof during 1970 and 1971; and

(c) the action being taken to further increase the export of the fruit ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A Centrally Sponsored Scheme on bananas package programme has been prepared under 4th Five Year Plan for increasing the production of exportable variety of banana around the major ports.

A scheme for Air freight subsidy for the export of Fresh Fruits, including mannoes is also under consideration to boost the exports.

होनोवर में अंतर्राष्ट्रीय मशीनी औजार प्रदर्शनी

*453. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एम० टी० एम० ए० ने सरकार से अनुरोध किया है वह वर्ष 1973 में होनोवर में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय मशीनी औजार प्रदर्शनी में बड़े पैमाने पर भाग लेने के लिए भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चाय के निर्यात के संबंध में श्रीलंका के साथ समझौता

*454. **श्री० एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय के निर्यात के संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : **(क) तथा (ख)** : भारत और श्रीलंका चाय के विपणन में घनिष्ठ सहयोग द्वारा कार्य करने के लिए सहमत हो गये हैं और 1970 से खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में एक संयुक्त निर्यात कोटे का निष्पादन किया है। मार्च, 1972 को समाप्त होने वाली 15 महीनों की अवधि के दौरान चाय के निर्यातों के संबंध में भारत और श्रीलंका के लिए संयुक्त निर्यात कोटा 506 हजार मे. टन है। यद्यपि, अभिप्राय यह है कि संयुक्त निर्यात कोटे को दोनों देशों द्वारा लगभग 50 : 50 आधार पर पूरा किया जाना है, परन्तु फिर भी एक देश के निर्यातों में आने वाली गिरावट का लाभ दूसरे देश

को मिल सकता है ताकि दोनों देशों से चाय के कुल निर्यात संयुक्त निर्यात कोटे के अन्तर्गत ही रहें।

बक्सर से कोइलबाड़ तक तटबंधों का निर्माण करना

*455. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गंगा और सोन नदियों की बाढ़ों से भूमि को बचाने के लिए बक्सर से लेकर कोइलबाड़ तक 60 मील मम्बे तटबंधों का निर्माण करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या परियोजना का प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जुलाई, 1971 में बिहार के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के पश्चात केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि बक्सर से लेकर कोइलवर तक 60 मील लम्बा एक तटबंध प्राथमिक आधार पर बनाया जाए जिससे शाहाबाद जिले में गंगा के दाएं किनारे पर यह स्थित क्षेत्र सुरक्षित रह सकें।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम को तैयार करने के लिए अनुसंधान कार्य किये जा रहे हैं और स्कीम रिपोर्ट के जून, 1972 के अन्त तक तैयार होने की सम्भावना है।

रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन

*456. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलवे सुरक्षा दल का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल की प्रस्तावित पुनर्गठन योजना की मुख्य मुख्य बातें हैं–अन्वेषण और सुरक्षा शाखाओं का पृथक-पृथक गठन, सशस्त्र कार्मिकों का उच्चतर प्रतिशत, मंडल और मुख्यालय स्तरों पर प्रशासनिक परिवर्तन और दल की कार्य प्रणाली में परिवर्तन।

अमरीका को होने वाले निर्यात में वर्ष 1971 में वृद्धि

*457. **श्री निहार लास्कार** :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अमरीका को होने वाले निर्यात में वर्ष 1971 में वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970 की तुलना में वर्ष 1971 में कितना निर्यात हुआ; और

(ग) अमरीका को होने वाले निर्यात में और अधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां । संयुक्त राज्य अमरीकी को भारतीय माल का निर्यात 1970 में 29.81 करोड़ डालर (223·6 करोड़ रुपये) की तुलना में 1971 में 32·92 करोड़ डालर 246·9 करोड़ रुपये) का हो गया, अर्थात उस में लगभग 3·1 करोड़ डालर (23·3 करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विभिन्न वस्तुओं के कुल निर्यात निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है तथा यथा-वश्यक उपचारात्मक कार्यवाही तथा संवर्धनात्मक उपाय किये जाते हैं। निर्यात संवर्धन के ये उपाय सभी गन्तव्य स्थानों को उन वस्तुओं के निर्यात के संबंध में किये जाते हैं और केवल किसी विशेष देश जैसे सं० स० अमेरिका के संबंध में ही नहीं। तथापि उनमें से कुछ उपाय जो विशेष रूप से अमरीकी बाजार के विषय में हैं, निम्नोक्त हैं—

(क) कुछ वस्तुओं का प्रतिपूरक नकद सहायता की व्यवस्था;

(ख) प्रदर्शनियों/विशिष्ट मेलों और बहु-विभागीय भंडार संवर्धनों में भाग लेना;

(ग) बिक्री सह अध्ययन दल भेजना;

(घ) बाजार सर्वेक्षण;

(ङ) भारतीय उत्पादों की संयुक्त राज्य अमरीकी बाजार के अनुकूल बनाने के लिए उत्पाद विकास तथा उत्पाद अनुकुलन को प्रोत्साहन देना;

(च) विदेशी व्यापारियों को भारत में आने के लिए आमंत्रित करना ताकि वे भारतीय क्षमताओं का अध्ययन कर सकें;

(छ) समुद्र द्वारा तथा वायु द्वारा भाड़े की दरों में रियायतें प्राप्त करना और कुछ मामलों में इमदाद देना,

(ज) जारी की गई विदेशी निविदाओं के संबंध में मानकारी एकत्र करना और इच्छुक अयातकों को उनकी सूचना देना,

(झ) संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य देशों में बहु-विभागीय भंडारों के माध्यम से और स्थानिक समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा भारतीय वस्तुओं का प्रचार करना, तथा

(ञ) व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा चुने हुए उत्पादों के निर्यातों की एक विशिष्ट योजना क्रियान्वित की जाना ।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में माल के लदान में देरी होने के कारणों की जांच

*458. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के पश्चात कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होने के बावजूद पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे माल का लदान करने में असफल रही है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। 1971 की अन्तिम तिमाही से दोनों रेलों पर लदान में सुधार होना शुरू हो गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कावेरी नदी जल विवाद

*459. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए मैसूर में अब लोकप्रिय सरकार बन गई है क्या सरकार का विचार कावेरी नदी जल-विवाद के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से वार्तालाप प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा के० एल० राव): **(क) और** (ख) : तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय से इस आशय का घोषणा-पत्र प्राप्त करने पहुंच गई हैं कि एक विवाद उत्पन्न हो गया है, और यह कावेरी जल के वितरण के बारे में है और केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जैसा कि उन्होंने पहले से अनुरोध किया हुआ है, वह अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण की स्थापना करे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपलब्ध होने के पश्चात् मध्यस्थता के प्रयास आरंभ किए जायेंगे।

सांत्यागो, चिली में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन का सम्मेलन

*460. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सांत्यागो, चिली में होने वाले संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन के आगामी अधिवेशन के लिए विकासशील देशों द्वारा सामूहिक नीति बनाने के बारे में भारत का विचार कोई पहल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : विकास-

शील देशों ने, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास अधिवेशन के लिए, जो कि इस समय साँत्यागो, चिली में हो रहा है, अपनी सामान्य नीति बना ली है। यह नीति "लीमा के कार्यवाही कार्यक्रम के सिद्धान्त तथा घोषणा" नामक दस्तावेज में सन्निहित है, जो कि नवम्बर, 1971 में "77" देशों के समूह की सीमा में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में स्वीकार की गई थी। भारत ने "77" देशों के समूह की इस सामान्य प्रस्थापना पर हस्ताक्षर किये हैं। इस दस्तावेज की एक प्रति 23 नवम्बर, 1971 को सभा पटल पर रखी गई थी।

केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की स्थापना

3063. **श्री वयालार रवि : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** केरल में वामनपुरम सिंचाई परियोजना की स्थापना के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को त्रिवेन्द्रम जिला (केरल) में वामनपुरम सिंचाई परियोजना का प्रतिवेदन मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) केरल सरकार से अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर पूर्व से दक्षिण को जाने वाली लम्बी दूरी के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए अभ्यावेदन

3064. **श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नवम्बर, 1971 और फरवरी, 1972 में श्री एम० के० रबिन्द्रम् से जो अरुणाँचल प्रदेश में दक्षिण भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दक्षिणी भागों को जाने वाली लम्बी दूरी के यात्रियों की और अधिक सुविधाएं देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, लेकिन श्री ई० पंकाजाक्षण, साउथ इंडियन फाइन आर्टस्, न्यू बांगाईगाँव असम से दिनांक 3 दिसम्बर. 1971 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें भारत के पूर्वोत्तर भाग से दक्षिण भाग को जाने वाले लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) सुझावों की जांच की गयी थी। लेकिन परिचालनिक दृष्टि से इन सुझावों को व्यावहारिक नहीं पाया गया, क्योंकि हवड़ा स्टेशन पर शंटिंग की व्यवस्था संभव नहीं है।

सूती कपड़े एवं कृत्रिम कपड़े का उत्पादन तथा उसकी खपत

3065. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूती कपड़े तथा कृत्रिम कपड़े की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है और इनकी मांग कितनी है,

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन कपड़ों का अनुमानित उत्पादन तथा खपत क्या होगी; और

(ग) क्या सरकार ने सूती कपड़े तथा कृत्रिम कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हाल ही में लाइसेंस दिये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : 1971 **के** दौरान सूती वस्त्र तथा मानव-निर्मित रेशे के वस्त्रों का अनुमानित उत्पादन तथा 1973-74 (चौथी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष) के लिये इनके उत्पादन के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1971 में जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	निर्माण की मद
1.	कैमीकल्स एण्ड फाइबर आफ इंडिया ।	पोलिएस्टर स्टेपल रेशा (विस्तार)
2.	गुप्तालोन लि०	नायलन फिलामेंट धागा

1971 में जारी किये गये आशय पत्र का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	एकक का नाम	उत्पादन की मद
1.	हरयाना राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०	नायलन फिलामेंट धागा
2.	गुजरात राज्य निवेश निगम लि० ।	,,
3.	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
4.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
5.	औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा ।	,,
6.	असम औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,

7.	तमिलनाडु औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम लि० ।	,,
8.	पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
9.	केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
10.	मैसूर राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
11.	आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ।	,,
12.	निरलान संश्लिष्ट रसायन तथा रेशा लि० (विस्तार)	,,
13.	गारवैयर नायलंस लि० (विस्तार) ।	,,

दस लाख मीटर

वर्ष	सूती वस्त्र उत्पादन-मिल क्षेत्र	सूती वस्त्र उत्पादन-विकेन्द्रीकृत क्षेत्र	मानव-निर्मित रेशे के वस्त्रों का उत्पादन
1971	3947	3364	900
1973-74	5100	4250	1982

उत्पादन में से निर्यातों को घटाकर जो मात्रा बचती है उसके बराबर कपड़े की खपत होने की सम्भावना है ।

(ग) वर्तमान मिश्रित मिलों की करघा-क्षमता में, विशेषतः निर्यात प्रयोजनों के लिये, वृद्धि और अतिरिक्त तकुओं की अनुमति देने के एक कार्यक्रम की घोषणा अगस्त 1971 में की गई थी ।

अशोक मेहता शक्तिचालित जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में लगभग एक लाख अतिरिक्त शक्तिचालित करघे लगाने का विनिश्चय किया गया था जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत करघे संश्लिष्ट धागे के प्रयोग के लिये लगाये जाने थे । विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बांटने के इन करघों को विभिन्न राज्यों में आबंटित कर दिया गया है । 1971 के अन्त तक संश्लिष्ट धागों के प्रयोग के लिये 2976 शक्तिचालित करघे तथा सूती धागे के प्रयोग के लिये शक्तिचालित करघे लगाने के परमिट जारी कर दिये गये हैं ।

1971 में मानव निर्मित रेशे/धागे के उत्पादन के लिये जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

निर्यात के लिये ईरानी किस्म के गलीचों का बनाना

3066. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने निर्यात के लिये ईरानी क़िस्म के गलीचों को बनाना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी बाजारों में इन गलीचों की प्रति वर्ष कुल मांग क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) ईरानी क़िस्म के गलीचों की विश्व में कुल वार्षिक मांग लगभग 1500 लाख अमरीकी डालर तर्थात् 112.50 करोड़ रु० की है।

थाईलैण्ड के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता

3067. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रपति की हाल की थाईलैण्ड यात्रा के दौरान भारत और थाईलैण्ड के मध्य व्यापार को बढ़ाने और व्यापार में विविधता लाने के विचार से दोनों देशों के बीच मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान अधिकारियों के बीच पारस्परिक हित के विषयों पर बातचीत हुई, जिनमें व्यापार सम्बन्धी सामान्य प्रश्न भी शामिल थे।

कपड़ों तथा कपड़ों के उत्पादों के निर्यात द्वारा अर्जित राशि

3068. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ों एवं अन्य सम्बद्ध उत्पादों सहित सभी प्रकार के कपड़ों के निर्यात से 197 –71 वर्ष की अपेक्षा 1971—72 वर्ष की पहली छमाही में अधिक धनराशि प्राप्त हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। वर्ष 1971–72 के प्रथम छः महीनों (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान धागा एवं अन्य सम्बन्धित उत्पादों सहित सूती कपड़े का निर्यात 4739.5 लाख रु० का हुआ जब कि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 539 .0 लाख रु० का हुआ था।

चर्म उत्पादों के निर्यात द्वारा अर्जित धनराशि

3069. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चर्म उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में 1971–72 के लिए निर्धारित लक्ष्य समय से बहुत पूर्व ही प्राप्त हो गये थे।

(ख) यदि हाँ, तो कितने मूल्य एवं मात्रा के लक्ष्य थे तथा चर्म उत्पादों का वास्तविक निर्यात कितना हुआ; और

(ग) कौन कौन से देशों को अधिकांश चर्म उत्पादों का निर्यात हुआ है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं। लक्ष्य और वास्तविक निर्यातों के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

मद	निर्यात लक्ष्य	वास्तविक निर्यात अप्रैल-फरवरी	
	1971–72	1971–72	1970–71
(क) चमड़े के जूते :	13.75	7.4	8.0
चमड़े की वस्तुएं/चमड़े का माल	2.25	1.2	1.2

मदों के नाम	**देशों के नाम**
(ग) चमड़े के जूते चमड़े की औद्योगिक वस्तुएं। चमड़े का माल :	1. सोवियत संघ, 3. संयुक्त राज्य अमरीका 3. आस्ट्रेलिया, 4. ब्रिटेन, 5. जाम्बिया, 6. कनाडा, 7. बहरीन 8. नेपाल, 9. पश्चिम जर्मनी, 10. जापान, 11. स्पेन, 12. नीदरलैण्ड्स

दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अर्जित लाभ

3070. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे को 1971–72 वर्ष के दौरान उत्तर रेलवे की अपेक्षा अधिक लाभ हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) वर्ष 1971–72 के रेलों के लेखे जुलाई, 1972 में

ही बन्द होंगे । इस वर्ष के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे द्वारा अर्जित लाभ के अन्तिम आंकड़े, इस समय, तुलना के लिए उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे में सहायक स्टेशन मास्टर और गार्ड 'सी' का चयन ।

3071. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 1971 में रेलवे सेवा आयोग (उत्तर रेलवे) द्वारा सहायक स्टेशन मास्टर और गार्ड 'सी' के चयन के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी और सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इलाहाबाद में मौखिक परीक्षा के लिये कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया;

(ग) क्या नियुक्ति के लिए इस बीच कोई अन्तिम चुनाव कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने गये उन उम्मीदवारों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) 2,934

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन की दिशा परिवर्तन करना

3072. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बाँध के निर्माण के कारण कांगड़ा घाटी में रेलवे लाइन की दिशा परिवर्तित की जा रही है और एक नया रेलवे स्टेशन नगरौता सूरियान निर्माणाधीन है;

(ख) क्या इस गांव के निकट रेल पथ को घुमावदार बनाया जा रहा है जिससे अनेक गरीब परिवारों की भूमि तथा व्यापार को अर्जित करना आवश्यक हो जायेगा;

(ग) क्या इस लाइन को वहां से बदल कर सीधा बिछाना सम्भव है क्योंकि इससे किसी भी बने बनाये मकान को लेना आवश्यक नहीं होगा, और

(घ) क्या इस गांव के निवासियों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान सरेखन का चुनाव इस लिए किया गया है कि स्टेशन यार्ड के लिए समतल क्षेत्र उपलब्ध हो सके और ऐसा करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि बने हुए मकानों का अधिग्रहण कम से कम हो ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है, परन्तु न तो सरेखन में परिवर्तन करना सम्भव है और न अधिग्रहण किये गये क्षेत्र में कमी ही की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने पर यार्ड और माल प्लेटफार्म के भावी विस्तार के लिए कोई जमीन न रह जायेगी ।

दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कपड़े की गाठों का गुम होना

3073. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कपड़े की तीन गाँठों के गुम हो जाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट इस बीच देख ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारी अब भी दिल्ली क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच से पता चला है कि जाम नगर से जालंधर और लुधियाना स्टेशनों को बुक की गयी कपड़े की तीन गांठें 4.12.62 को दिल्ली स्टेशन पर प्राप्त हुयी थीं और और इन्हें आगे भेजने के बजाय 5.12.62 को श्री भीम नारायण सक्सेना, पार्सल मार्कर, दिल्ली ने एक नये परेषण के रूप में दिल्ली से हापुड़ बुक कर दिया और हापुड़ में एक नये परेषण के रूप में दिल्ली से हापुड़ बुक कर दिया और हापुड़ में 7.12.62 को एक बनावटी परेषती के नाम से परेषण की सुपुर्दगी भी ले ली । विभागीय कार्रवाई के परिणाम स्वरूप श्री भीम नारायण सक्सेना को 6.1.72 से नौकरी से हटा दिया गया है ।

दूसरे पार्सल क्लर्कों अर्थात् सर्व श्री देस राज सैनी और रामशरन दास जो पार्सल आफिस दिल्ली में उस समय काम कर रहे थे उनका नाम भी जांच में आया और काम में लापरवाही आदि के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है । श्री देस राज सैनी को उनकी वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए रोकने की सजा दी गयी थी और श्री रामशरन दास को स्थायी रूप से 1 वर्ष तक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गयी थी । इसके बाद श्री राम शरन दास पर लगाया गया दण्ड न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया ।

(ग) और (घ) श्री भीम नारायण सक्सेना को जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया था सितम्बर, 1968 में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया । श्री राम शरन दास को जिन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिलने से पहले 1964 में दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित कर दिया गया था सितम्बर, 1969 में वापस दिल्ली क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। वह तब से नयी दिल्ली में काम कर रहे हैं । श्री देश राज सैनी दिल्ली में जुलाई, 1960 से काम कर रहे हैं । दिल्ली क्षेत्र से उनके स्थानान्तरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

Revenue Earned on Central Railway thruogh Goods Traffic

3074. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the goods traffic handled by the Central Railway during the financial year 1971-72; and

(b) the revenue earned by Government therofrom ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) & (b) : Details of goods traffic handled by the Railways are available only upto January, 1972 on the financial year 1971-72. The figures in respect of Central Railway are as under :—

Traffic handled and earnings on the Central Railway during April 1971 to January 1972

(i)	Tonnes of revenue-earning goods traffic carried i.e. including traffic received from other railways (millions)	28.37
(ii)	Freight on goods. carried (crores of Rs.)	70.59

Attaching of more Third Class Bogies to 129 UP/130 down Varanasi-Passenger Train and 9 UP/10 down Doon Express

3075. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the inadequate number of third class compartments in 129 UP/130 Down Varanasi-Asansol Passenger train and 9 UP/10 Down Doon Express;

(b) if so, whether Government have any proposal under consideration to attach more third class bogies to the trains; and

(c) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) to (c) : During emergency. No. 129/130 Varanasi-Asansol Passenger had been running short of one or two IIIrd class coaches, and No. 9/10 Doon Express of one IIIrd class coach. The normal composition of these trains has since been restored from 5.4.1972 and 6.4.1972 respectively. During summer rush viz. May to July 1972, it is proposed to put one more third class each on 129/130 Passenger.

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के लिए सिंचाई परियोजनाएं

3076. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी करने का विचार है; और

(ख) क्या इन परियोजनाओं में से किसी को कोई प्राथमिकता दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : उड़ीसा में महानदी डेल्टा और सालन्दी बृहत् परियोजनाएं तथा 12 मध्यम सिंचाई स्कीमें हाथ में हैं।

चौथी योजना में जितनी व्यवहार्य हो उतनी स्कीमों को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। सालन्दी परियोजना और सभी मध्यम स्कीमों के चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

3077. **श्री अम्बेश** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) इन न्यायाधीशों में कितने न्यायाधीश अनुसूचित जातियों के हैं; और

(ग) उपरोक्त न्यायालयों में अनुसूचित जातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क)

(क) उच्चतम न्यायालय = 12

उच्च न्यायालय = 280

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियां योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। ऐसी नियुक्तियों में जाति और समुदाय का कोई सवाल नहीं उठता।

Export Oriented Projects

3078. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the total number of export oriented projects sanctioned during the last year; and

(b) the name of each project together with the estimated investment thereon and the estimated export earnings therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग

3079. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में आधुनिक पटसन उद्योग की आवश्यकता के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरानी पटसन मिलों को वित्तीय सहायता देने और उसके संयंत्रों का आधुनिकीकरण कर उनका विस्तार करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : सरकार पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक

है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम पहले से ही मिलों को इस प्रयोजन के लिये आसान ऋण प्रदान करने की एक योजना चला रहा है।

Railway Line from Bundi Darbar to Bundi

3080. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any proposal under consideration to construct a Railway Line from Bundi Darbar to Bundi; and

(b) if so, the time by which the Railway line is likely to be constructed ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

इलाहाबाद डिविजन के पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार द्वारा अपर्याप्त श्रमिकों की सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन

3081. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल लाने ले जाने वाले ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में पार्सल कार्यालय, इलाहाबाद के 46 कर्मचारियों ने 29 जुलाई, 1971 को महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे नई दिल्ली को एक अभ्यावेदन दिया था;

(ख) क्या पार्सल कर्मचारियों का अभ्यावेदन जो प्रभाग अधीक्षक, इलाहाबाद को जाँच के लिये भेजा गया था और इसकी रिपोर्ट प्रभाग अधीक्षक के कार्यालय से गुम हो गई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यालय रिकार्ड के गुम हो जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मूल्य अभ्यावेदन जुलाई, 1971 में नहीं प्राप्त हुआ था बल्कि अभ्यावेदन की एक प्रति जनवरी, 1972 में प्राप्त हुई थी।

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ) : मण्डल अधीक्षक, इलाहाबाद को मिसिल के गुम होने के बारे में जिम्मेवारी निश्चित करने और जिम्मेवार पाये गये व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उन्हें फाइलों को सुरक्षित ढंग से भेजने और अभिरक्षा में रखने के प्रबन्ध में भी कड़ाई बरतने के लिए कहा गया है।

गत युद्ध के दौरान भारत द्वारा पकड़ा गया माल और जहाज

3085. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत युद्ध के दौरान भारत द्वारा पकड़े गये माल और जहाजों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : दिसम्बर, 1971 के भारत-

पाकिस्तान युद्ध के दौरान 4 पाकिस्तानी जहाज, उनमें लदे माल सहित, नौसेना द्वारा अपने अधिकार में लिये गये थे। इन जहाजों और माल को युद्ध में पकड़ा गया सामान' के रूप में समझा जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जो तटस्थ जहाज पाकिस्तान से माल ला रहे थे अथवा वहां को ले जा रहे थे, उन्हें भी नौसेना द्वारा भारतीय पत्तनों पर लाया गया और उन पर से पाकिस्तान को जाने वाले माल को अथवा वहां से लादे गये माल को उत्तार लिया गया। ऐसे माल के संबंध में जल तथा वायुयान विजित माल अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

इसी प्रकार, भारत की सुरक्षा संबंधी नियम, 19 1 के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ व्यापार पर लगी रोक के अनुसरण में भारतीय पत्तनों तक पहुंचने वाले तटस्थ जहाजों से पाकिस्तान को जाने वाले माल अथवा वहाँ से लादे गये म ल को उतार लिया गया।

विमान द्वारा ले जाये जाने वाले माल के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

3086. **श्री बेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री टी० आर० सारंगम की अध्यक्षता में विमान द्वारा ले जाये जाने वाले माल के बारे में कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सिफारिशें की गई हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) आशा है कि विमान द्वारा ले जाये जाने वाले माल के बारे में कार्यकारी दल अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत कर देगा।

Expansion of Railway Hospitals in Delhi and New Delhi

3087. **Shri Lalji Bhai :**
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway. Hospitals in Delhi and New Delhi;

(b) the average number of patients treated therein during the last three years;

(c) whether Government have any scheme during the current year to increase the number of rooms of the Hospitals and to increase the stocks of medicines there; and

(d) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Two. (One in Delhi and another in New Delhi).

(b) The daily average attendance (both indoor and outdoor) is as follows :—

	1968-69	1969-70	1970-71
Delhi Main Hospital, Delhi	1878.39	1728.60	1369.35
Central Hospital, New Delhi	618.81	764.91	718.68

(c) & (d) : Stocks of medicines corresponding to diagnosed needs are maintained as a matter of course. A new block in the Central Hospital, New Delhi, to provide additional accommodation for the patients, is being constructed in which 70 beds from Delhi Main Hospital will be shifted and 30 additional beds provided. The old building of Delhi Main Hospital where inpatients are housed, will be utilized as an outdoor Poly-Clinic. All the other buildings in the Campus of the Old Delhi hospital would be dismantled due to having out lived their life and gone beyond the stage of economic repairs. Full outpatients facilities including the laboratory, X-Ray and the existing junior speciality would continue at Delhi Main Hospital.

Supply of Power to Villages in Udaipur (Rajasthan)

3088. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the number of villages in Udaipur to which power has been supplied from Gandhisagar Dam so far;

(b) the number of villages to which power will be supplied in future from the Dam; and

(c) the time by which it is likely to be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : **(a) to (c)** : Supply of electricity for Udaipur and some other areas in Rajasthan is from the Chambal Grid which is fed by the Gandhi Sagar and other power stations. Out of 3159 villages in Udaipur, the number of villages already electrified is 315. 81 more villages are expected to be electrified during 1972-73.

Requiremeut of wagons for Udaipur.

3089. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons indented by traders of Udaipur (Rajasthan) during the last year and the number of wagons supplied to big traders and others, separately trader-wise; and

(b) the name of the trader whom the maxium number of wagons were supplied and the number of wagons supplied to him ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The number of wagons indented by traders of Udaipur (Rajasthan) during the last year was 8,654. The number of wagons supplied to them was 6,131. The number of wagons supplied to big traders and others is indicated below :—

Rajasthan Mineral Co.	927
Associated Soap Stone Co.	497
Dharti Dhan Soap Stone Co.	171
Shri ji Industries	270
K.M.T. Industries	568
Pandey Minerals	384
L.M.P. & Co.	537
Nulvia Minerals	354
Kisore Corporation	32
Pratap Minerals	89

Powder Trading	32
S.C. Gupta & Co.	34
Abhehar Minerals Co.	7
Indian Minerals	28
Mewar Khanij	28
Others'	2,173

(b) Rajasthan Mineral Co. is the big trader who was allotted the highest number of wagons during the year. 927 wagons were allotted to them.

रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच

3090. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड के सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 946 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में एक संसद सदस्य के शिकायत करने पर रेलवे बोर्ड के एक सतर्कता निरीक्षक के विरुद्ध जांच-पड़ताल की गई थी और क्या इस जांच के परिणामस्वरूप सतर्कता निरीक्षक का दुराचार सिद्ध हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : रेलवे बोर्ड के सतर्कता-निदेशालय के एक जांच निरीक्षक के विरुद्ध एक शिकायत 1971–72 के दौरान अर्थात अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक एक संसद सदस्य से प्राप्त हुई थी। उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है।

बीजक संख्या 20 और 21 के अन्तर्गत खुराई से इलाहाबाद जाने वाले माल का दोबारा बुक किया जाना

3091. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 सितम्बर, 1971 के बीजक संख्या 20 और 21 के अन्तर्गत खुराई से इलाहाबाद बुक किये गये माल को डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट कार्यालय, इलाहाबाद के एक अधिकारी ने वाराणसी को पुनः बुक किया था;

(ख) क्या इस माल को किसी ऐसे व्यक्ति ने पुनः बुक किया था जिसे पुनः बुक करने का अधिकार नहीं था; और

(ग) इस घटना के लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मण्डल अधीक्षक, इलाहाबाद के कार्यालय से अनुमति प्राप्त होने पर इलाहाबाद स्टेशन के एक माल निरीक्षक द्वारा रिबुकिंग की गई।

(ख) इस विषय की मिसिल, मण्डल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के कार्यालय में

मिल नहीं रही है। अतः यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि अनुमति समक्ष प्राधिकारी द्वारा दी गई थी अथवा नहीं।

(ग) जिस मिसिल पर रिबुकिंग का आदेश जारी किया गया था उसके उपलब्ध न होने के कारण, अनधिकृत रिबुकिंग का, यदि कोई हुई है उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सका। मिसिल गायब हो जाने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के डिविजनल कर्मशियल सुपरिटेंडेंट के निवास स्थान पर 'रिटर्न कोरियर' से रसोइये का काम लेना

3092. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय की वाणिज्यिक शाखा से सम्बद्ध एक 'रिटर्न कोरियर' से डिवीजनल कर्मशियल सुपरिन्टेडेंट के निवास स्थान पर रसोइये का काम लिया जाता था;

(ख) क्या उक्त 'कोरियर' ने इस नियुक्ति का विरोध किया था;

(ग) क्या वह 'कोरियर' बीमार हो गया था और वाणिज्यिक अधिकारी ने बीमार रहने की अवधि के वेतन का भुगतान करने की अनुमति नहीं दी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पार्सल हैंडलिंग कंट्रैक्टर टुंडला द्वारा श्रमिकों के भुगतान का रोका जाना

3093. **श्री अजीज इमाम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल हैंडलिंग कंट्रैक्टर, टुंडला ने, जिसके पास अप्रैल, 1968 से मार्च, 1971 तक ठेका था, मार्च 1971 में श्रमिकों को दिये जाने वाले 2900 रुपये का भुगतान रोक लिया था;

(ख) क्या श्रमिकों ने इस बात की सूचना डिवीजनल प्राधिकारी इलाहाबाद को दी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त धनराशि ठेकेदार को दी जाने वाली राशि में से वसूल कर ली गई है और करार के अनुसार उसका भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) ठेकेदार के अनुसार भुगतान की जाने वाली वास्तविक रकम के बारे में कुछ विवाद है। देय रकम केवल 1316/- रुपये है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : एक अभ्यावेदन मिलने पर ठेकेदार से कहा गया कि वह मजदूरों को

भुगतान की व्यवस्था करे, लेकिन उसने बताया कि मजदूरों की ओर से आगरा के एक वकील के जरिये उसे एक कानूनी नोटिस मिला है जिसमें मजदूरों को 2980 रुपये के भुगतान का दावा किया गया है। ठेकेदार ने वकील को सूचना दी है कि वास्तविक देय रकम 1316 रुपये है जिसे वह मजदूरों के दावे के पूर्ण और अन्तिम निबटारे के रूप में भुगतान करने के लिए तैयार है। ठेकेदार और मजदूरों के बीच इस मामले पर अभी बातचीत चल रही है। इस बीच ठेकेदार द्वारा जमा की हुई जमानत की 8,000 रुपये की रकम रेलवे द्वारा रोक ली गयी है और जब मजदूरों को भुगतान की रकम का अन्तिम निपटारा कर लिया जायेगा तभी यह रकम वापस की जायेगी।

दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्रों को चाय के निर्यात में कमी होना

3094. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चाय का निर्यात उन देशों को छोड़कर जिन के साथ हमारे द्विपक्षीय करार हैं, अन्य देशों से नहीं बढ़ रहा है, जब कि उत्पादन बढ़ रहा है;

ख) क्या दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्रों को इसके निर्यात में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए. सी. जार्ज) : (क) से (ग) : द्विपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत न आने वाले देशों को होने वाले चाय के निर्यात में गिरावट आई है। यह कमी अधिकांश द्विपक्षीय करार वाले देशों द्वारा भारत से चाय खरीदने के लिए अपेक्षाकृत अधिक जोर दिये जाने के कारण आई है। भारतीय चाय को और अधिक प्रतियोगी बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने, निर्यातों के सम्बन्ध में निर्यात शुल्क हटाकर तथा उत्पादन शुल्क में छूट देकर 1970-71 से कराधान सम्बन्धी उपाय प्रारम्भ किए हैं। चाय बोर्ड भी भारतीय चाय के लिए बाजार का विस्तार करने हेतु स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से विदेशों में भारतीय चाय का संवर्धन कर रहा है। बोर्ड, पेय पदार्थों के बाजार में चाय का भाग बढ़ाने के लिए चाय परिषदों के माध्यम से महत्वपूर्ण बाजारों में सामान्य संवर्धन कार्य में भी भाग लेता है।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) के रेल पथ निरीक्षकों की यात्रा भत्ता सम्बन्धी बिलों का भुगतान न किया जाना

3095. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, विशेषकर इलाहाबाद डिवीजन के रेल पथ कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सम्बन्धी बिलों का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या इलाहाबाद डिवीजन के अलीगढ़ सब-डिवीजन में कुछ रेल पथ निरीक्षकों को यात्रा भत्ता सम्बन्धी बिलों का भुगतान जुलाई, 1971 से नहीं किया गया है; और

(ग) अलीगढ़-सब-डिवीजन के रेल पथ निरीक्षकों के यात्रा भत्ता सम्बन्धी कुल कितने बिल डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट के कार्यालय में अनिर्णीत पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के हनुमन्तैया) : (क) ये यात्रा भत्ता बिल ज्योंही मिलते हैं, लेखा द्वारा

उनकी जाँच और सत्यापन किया जाता है और उनका भुगतान अविलम्ब कर दिया जाता हैं ।

(ख) इन बिलों का भुगतान किया जा चुका है ।

(ग) कोई नहीं ।

Revenue earned from Morena Railway Station

3096. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the revenue earned by Government from Morena Railway Station during the financial year 1971-72; and

(b) the expenditure incurred by Government on the maintenance and repairs of the Station during the said Period ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The earnings from originating traffic in passengers, other coaching and goods at Morena Railway Station during the year 1971-72, were of the order of Rs. 22.36 lakhs.

(b) Rs. 15,000/—.

नेपाल द्वारा भारत को बिजली की सप्लाई करने की पेशकश

3097. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने भारत को बिजली सप्लाई करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो नेपाल से किन-किन राज्यों को बिजली मिलेगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों में कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बिजली सप्लाई की जायेगी तथा इसका कितना मूल्य लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ऐसी संभावनाएं हैं कि नेपाल चीसापानी जलविद्युत परियोजना से भारत को बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत बेचेगा ।

(ख) प्रारम्भ में उत्तरी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब राज्यों को नेपाल से विद्युत मिलेगी ।

(ग) जी, अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक के विदेशों में दौरे

3098. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्रीमती सावित्री श्याम:

क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ने गत तीन वर्ष में कुल कितने विदेशी दौरे किए;

(ख) इन दौरों पर सरकार ने विदेशी मुद्रा सहित कुल कितना व्यय किया; और

(ग) इन दौरों से क्या उपलब्धियां हुई ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अध्यक्ष तथा 3 महा-प्रबन्धकों द्वारा वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान कुल मिला कर 18 दौरे किये गए थे ।

(ख) निगम द्वारा उनके दौरों पर 2·18 लाख रु० खर्च किए गए थे ।

(ग) अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकों द्वारा विदेशों के अपने दौरों के दौरान स्थापित किये गए सम्पर्कों, उनके द्वारा प्राप्त क्रयादेशों और उनके दौरों से उत्पन्न पूछताछों से निगम के व्यवसाय को 1969 70 में 285.99 लाख रु० की अपेक्षा 1971-72 में अनुमानतः 461·70 लाख रु० तक बढ़ाने में बड़ी सहायता मिली है ।

विदेशों में हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम के दुकानों के स्टाक में गड़बड़ी

3099 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तकला और हथकरघा निर्यात निगम के अध्यक्ष और महाप्रबन्धक ने विदेशों के अपने दौरों के समय विदेशों में स्टाक की अकस्मात जांच की थी और उसमें गड़बड़ी पाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : पेरिस में सोना दुकान के महाप्रबन्धक ने सूचित किया है कि 1970-71 के अन्त में, बहियों में लिखे स्टाक के आंकड़ों तथा वास्तविक स्टाक सत्यापन में विसंगति होने के परिणामस्वरूप जहाज पर मूल्य के आधार पर 61,050 रुपये की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है ।

हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के दिल्ली स्थित मुख्यालय के महाप्रबन्धक (वित्त) से, जो यूरोप में हथकरघा तथा हस्तशिल्प निर्यात निगम के कार्यालयों के निरीक्षण दौरे पर थे, इस विषय की जांच करने के लिए कहा गया था । इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहाज पर मूल्य के आधार पर 61050 रुपये की राशि का अन्तर पेरिस में दो वर्ष के वाणिज्यिक कार्य के फलस्वरूप पड़ा है । यह राशि इन दो वर्षों में हुए कुल माल के व्यापार का 3·8 प्रतिशत है । इसका कारण कपड़े की बिक्री में नापने के कारण होने वाली कमी, जो कि एक सामान्य बात है, तथा दुकान से होने वाली वे छुटपुट चोरिया हैं, जो न्यूयार्क तथा पेरिस में खतरा बन गई है । क्योंकि यह राशि बिक्री किए गए माल के कुल मूल्य का मुश्किल से 3·8 प्रतिशत है और दुकान से चोरी से उठाये गये माल तथा कपड़े को नापने के कारण होने

वाली कमी के लिए, जो सामान्य बात है, किसी पर भी उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता, इसलिए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही आवश्यक नहीं हैं।

केरल में निर्माणाधीन रेलवे के उपरी/भूमिगत पुल

3100. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में निर्माणाधीन रेलवे के उपरि पुल और भूमिगत पुलों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान केरल में सरकार ने कितने उपरी पुलों और भूमिगत पुलों के निर्माण के बारे में निर्णय लिया है, और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) आठ

(ख) एक विवरण संलग्न है ।[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1789/72**]।

(ग) रेलवे के हिस्से की लागत के रूप में सम्भावित खर्च लगभग 86 लाख रुपया है (इस में राज्य सरकार के हिस्से की लागत शामिल नहीं है)। रेलवे के हिस्से की लागत के लगभग 9 लाख रुपये की व्यवस्था 1972-73 के दौरान खर्च के लिए की गयी है।

Number of Villages Electrified in Gaya District (Bihar)

†3101. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state, the number of villages in Gaya District (Bihar) to which electricity has been supplied so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : Out of 6,236 villages in Gaya District (Bihar) 1,658 have been electrified by the end of March, 1972. The percentage of villages electrified in Gaya District is about 26 as compared with the State Percentage of about 12.

Sale of Handloom Cloth on Railway Stations through Vendors

3102. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to sell handloom cloth on Railway Stations through vendors; and

(b) if so, the main feature of the proposal ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

पूर्व रेलवे के गया और मानपुर जंक्शनों के बीच फालगुम्प स्टेशन का निर्माण

3103. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के गया और मानपुर जंक्शनों के बीच फालगुम्प रेलवे स्टेशन का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Break-up of Loss Suffered by Railways during Indo-Pak war

3104. **Dr. Sanka a Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have sustained heavy loss during the Indo-Pak war; and

(b) if so, the total loss suffered and the break-up of the amount of loss under various heads ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) Rs. 7.59 lakhs approximately. The break-up of the amount under various heads is as under :—

(i)	Buildings	Rs. 2.94 lakhs.
(ii)	Tracks	Rs. 1.04 lakhs.
(iii)	Bridges	Rs. 3.30 lakhs.
(iv)	Electrical Installation & Tele-communication Equipments.	Rs. 0.31 lakh.

Reorganisation of Election Commission of India

3105. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government are considering the question of reorganisation of Election Commission of India; and

(b) if so, the time by which the final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) & (b) : In Part II of their Report on Amendments of Election Law, the Joint Committee of Parliament have inter alia recommended that the Election Commission should be a multi-member body as envisaged in article 324 (2) of the Constitution. The Committee have further recommended that regional election commissioners might also be appointed, as contemplated in article 324 (4) of the Constitution to assist the Commission in the performance of their functions. The Report of the Committee is under examination of the Government and decisions on the recommendations of the Committee will be taken as early as possible.

Issue of Import Licences to Indore Rolling Mill, Indore

3106. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the purpose for which import Licence has been issued to the Indore Rolling Mill, Indore; and

(b) the value and other particulars of the Import Licences issued to the Mill during the last three years, year-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पश्चिमी रेलवे के लेखा विभाग में क्लर्क श्रेणी एक के पद पर पदोन्नति

3107. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** पश्चिम रेलवे के लेखा विभाग में प्रथम अक्तूबर, 1962 से प्रथम नवम्बर, 1963 तक के और प्रथम अप्रैल 1968 के बाद के क्लर्क ग्रेड एक पर पदोन्नतियों के मामलों पर हाल ही में पुर्नविचार किया जा रहा है ताकि 25 प्रतिशत के कोटे वाले उन अनर्ह कर्मचारियों को जो आरम्भ में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे, बीत चुकी तारीख से पदोन्नति, वेतन निर्धारण और बकाया राशियों के भुगतान का लाभ दिया जा सके;

(ख) क्या यही लाभ 75 प्रतिशत के कोटे वाले अर्ह कर्मचारियों को दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पदोन्नतियों के मामलों पर पुर्नविचार करने के परिणामस्वरूप किन्हीं अर्ह कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था; और

(घ) क्लर्क ग्रेड एक के अवकाश रिक्त स्थानों में पदोन्नतियों के मामलों पर इसी प्रकार पुर्नविचार करने से इन्कार करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : **(क) से (घ)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में बिजली की मांग और सप्लाई

3108. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की वर्तमान अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) राज्य में वास्तव में कितनी बिजली पैदा होती है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य में बिजली की कितनी मांग होने की सम्भावना है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितनी बिजली की सप्लाई होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : पश्चिम बंगाल में विद्युत की मौजूदा मांग 1100 मेगावाट है जबकि इसकी तुलना में विद्युत-जनन क्षमता 1660 मेगावाट है।

(ग) और (घ) : राज्य में चौथी योजना के अन्त तक प्रत्याशित भार-मांग का अनुमान लगभग 1280 मेगावाट लगाया गया है जबकि इसकी तुलना में प्रत्याशित प्रतिष्ठापित विद्युत-जनन क्षमता का अनुमान 2130 मेगावाट है।

सिंचाई परियोजनाओं पर राज्यवार हुआ व्यय

3109. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर राज्यवार अब तक कुल कितना धन लग चुका है;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य में कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में अब तक इनसे सिंचाई की कितनी क्षमता उत्पन्न हुई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी क्षमता का वास्तविक उपयोग हो रहा है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1790/72**]

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी गई सिंचाई परियोजनाएं

3111. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): ख) से (ग): सोमशिल परियोजना की अनुमानित लागत 33·5 करोड़ रुपये है और यह 4.1 लाख एकड़ को लाभा पहुंचायेगी। यह परियोजना कुछ टिप्पणियों के उत्तर न आने के कारण स्वीकृत नहीं हुई है। ऐसी आशा है कि उत्तरों के प्राप्त हो जाने के तुरंत पश्चात् तकनीकी जांच पूरी कर ली जायेगी।

थमिल्लेरू परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 2·9 करोड़ रुपये है और जो 0 16 लाख एकड़ को लाभ पहुंचायेगी तथा जो कृष्णा-गोदावरी डेल्टा जल-निकास स्कीम के एक भाग के रूप में है, की तकनीकी जांच कर ली गई है। जब इसके कार्यान्वियन के वास्ते संसाधनों का पता लगेगा तो इसकी स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा बेसिन में बरदराजस्वामी परियोजना और गोदावरी बेसिन में सुड्डवागु तथा मुल्लवागु परियोजनाएं भी प्रस्तावित की हैं। इन नई परियोजनाओं को न्यायाधिकरणों के पंचाटों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

आंध्र प्रदेश से तम्बाकू एवं केले का निर्यात

3112. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 और 1971-72 में निर्यात किये गये तम्बाकू एवं केले में से आंध्र प्रदेश से इन दो वस्तुओं का कितना निर्यात हुआ; और

(ख) क्या इन वस्तुओं का निर्यात और बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) इन मदों के निर्यात को और बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(1) कृषि सम्बन्धी जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात संभाव्यता विद्यमान है उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। इन वस्तुओं में तम्बाकू व केले भी शामिल हैं।

(2) जहां तक केले का सम्बन्ध है, आशा है कि निर्यात योग्य क्वालिटी के केले पैदा करने के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 12,000 हैक्टार क्षेत्र में इसकी पैदावार की जाने लगेगी।

(3) सरकार द्वारा प्रायोजित तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद् तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिए कई उपाय करती है जैसे बाजार सम्बन्धी जानकारी प्रदान करना, प्रदर्शनियों में भाग लेना बाजार सर्वेक्षण करना, प्रचार करना और व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजना आदि।

(4) पुनर्शुष्कन मशीनों, प्रयोगशाला उपस्करों, पत्तों के पैकेज उतारने चढ़ाने सम्बन्धी उपस्करों आदि के आयात के लिए तम्बाकू के पंजीयित निर्यातकों को निर्यातों के जहाज पर मूल्य के 3 प्रतिशत तक आयात प्रतिपूर्ति दी जाती है।

खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे में) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3113. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुर्दा डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी 4, 3, 2 और 1 में कितने स्थायी कर्मचारी हैं, और

(ख) उनमें से कितने स्थायी रूप से उड़ीसावासी हो गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के इन्जन के पटरी से उतरने की जाँच करना

3114. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में खुर्दा रोड और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशनों के बीच 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के क्या कारण थे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) (क) से (ग) : संभवत: माननीय सदस्य का आशय 28-11-71 को दक्षिण-पूर्व रेलवे के रेतंग और भुवनेश्वर स्टेशनों के बीच 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी के पटरी से उतर जाने से है ।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के ऊपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है। उनके अन्तिम निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान-बूझ कर रेल-पथ से छेड़-छाड़ करने के फलस्वरूप हुई ।

जाजपुर बयोंझर रोड रेलवे स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर रेल दुर्घटना

3115. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 9 में दक्षिण पूर्व रेलवे के जाजपुर बयोंझर रोड रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना की जो जांच की गई थी उसमें दुर्घटना के क्या कारण बताये गये थे;

(ख) क्या दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) सम्भवत: आशय उस टक्कर से है जो 14-7-69 को जाजपुर-बयोंझर रोड स्टेशन पर 513 अप डीजल माल गाड़ी और 398 अप आसनसोल-पुरी सवारी गाड़ी के बीच हुई थी । कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की विधिक जांच की थी उनके जांच निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण घटित हुई थी ।

(ख) और (ग) : भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अधीन तदर्थ दावा आयुक्त को जो 202 दावे मिले थे उनमें से 34 को रद्द कर दिया गया और 168 मामलों में अधिनिर्णय किया गया था । इन 168 मामलों में से 143 के लिए 4,33,183.75 रुपये का भुगतान कर दिया गया। शेष 25 मामलों में से 22 मामलों में अधिनिर्णय के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में परमादेश याचिकाएं दायर की गयीं हैं, दो मामलों में पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गयी हैं और एक मामले में अधिनिर्णय की रकम के प्रभाजन का सत्यापन हो जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । जिन 143 मामलों में भुगतान कर दिया गया है उनमें से भी 8 मामलों के सम्बन्ध में परमादेश याचिकाएं दायर की गई हैं ताकि 32,000 रुपये की रकम वापस ली जा सके। परमादेश याचिकाएं स्वीकार की जा चुकी हैं।

इस दुर्घटना में मारे गये कुल छः रेल कर्मचारियों में से तीन के आश्रितों को कर्मकार

प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर के रूप में 26,000 रुपये की और रकम दी गयी है। दूसरे तीन रेल कर्मचारियों को इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर नहीं मिल सकता था।

प्रतिकर के रूप में दिये गये उपर्युक्त 4,59 183.75 रुपये की कुल रकम के अलावा हतचहतों/हताहतों के आश्रितों को 27,705 रुपये अनुग्रह के रूप में भी दिये गये थे।

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या

3116. **श्री पी० गंगादेव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितने गांवों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : चतुर्थ योजना के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में पम्पों के विद्युतीकरण पर बल दिया जाना जारी है; ग्राम विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक गौण भाग है। उड़ीसा में अभी तक 2288 ग्रामों का विद्युतीकरण हुआ है जिनमें से 1460 ग्राम चतुर्थ योजना के आरम्भ से विद्युतीकृत किए गये हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम की सहायता से जो कि ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की गति को तेज करने के लिए योगात्मक धन देने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया है तथा अन्य संसाधनों के प्रयोग से राज्य सरकार के अधिकारी गण चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 20000 पम्पों और 3000 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का विचार रखते हैं। अभी तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 11 स्कीमें स्वीकार की हैं जिनके अन्तर्गत 16826 पम्पों और 1059 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना है।

झारसुगढ़ में हाई स्कूल का निर्माण

3117. **श्री पी० गंगादेव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारसुगढ़ में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए 1972 में वहां एक हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण

3118. **श्री पी० गंगादेव** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जल-विद्युत लाइन को देवगढ़ से कुचिन्दा तक बढ़ा रही है ; और

(ख) क्या यह विद्युत-लाइन कुचिन्दा से जौमेनकिवा तक भी बढ़ायी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि देवगढ़ से कुचिंदा तक विद्युत लाइन के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। कुचिंदा पहले ही झारसुगुडी उप-केन्द्र से जल-विद्युत प्राप्त कर रहा है। ग्राम विद्युतीकरण के विस्तार के लिए झारसुगुडा उपकेन्द्र से एक और लाइन पर विचार किया जा रहा है। राज्ये बिजली बोर्ड, बिजली सप्लाई के बहुत ही सुगम स्थानों से, जिसमें सम्बलपुर, कुचिन्दा तथा देवगढ़ शामिल हैं, जामनकिवा को बिजली विस्तार पर विचार कर रहा है।

कन्टई उप-प्रभाग (पश्चिम बंगाल) में बड़ाचन्का बेसिन जल निकासी योजना

3119. **श्री समर गुह :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जिला मिदनापुर के कन्टई उप-प्रभाग में बड़ाचन्का बेसिन जलनिकासी योजना के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अपेक्षित वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए बनाई गई क्रिया-विधि के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी योजनागत स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता का प्रावधान ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में किया जाता है और उसे किसी विशेष परियोजना या विकास शीर्ष से नहीं जोड़ा जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्कीमों के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रावधान किये जाने होते हैं। बड़ा चौका बेसिन जल-निकासी स्कीम के कार्यान्वियन के लिए विशेष सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवम्बर 1791 में सिगनल और दूर-संचार शाखा के कर्मचारियों द्वारा विरोध स्वरूप अनशन और प्रदर्शन

3120. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे की सिगनल और दूर संचार शाखा के कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर नवम्बर, 1971 में "विरोध प्रकट करने के लिए अनशन" और प्रदर्शन किए थे; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की मांगें क्या थीं; और इन मांगों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां, कुछ स्थानों पर।

(ख) कर्मचारियों की मांगें निम्नलिखित थीं :—

(1) भारतीय रेलवे सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की जाये;

(2) पदनामों में एकरूपता लायी जाये;

(3) संचार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से निरीक्षकों को मुक्त किया जाये;

(4) सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त क्वार्टरों की व्यवस्था की जाये;

(5) विश्राम दाताओं और छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की व्यवस्था की जाये;

(6) कर्मचारियों को स्थायी किया जाये;

(7) काम के घन्टे विनियम के अधीन उनका वर्गीकरण किया जाये;

(8) कर्मचारियों की व्यवस्था के लिए कार्य विश्लेषण किया जाये तथा मापदण्ड निर्धारित किया जाये;

(9) वर्दी की व्यवस्था की जाये;

(10) वेतनमानों में संशोधन किया जाये;

(11) सभी कोटि के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये; 10-8-1971 को सदन में अतारांकित प्रश्न सं० 7551 का जो उत्तर दिया गया है उसमें इन मांगों के बारे में स्थिति बता दी गयी है।

सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदण्ड

3121. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री सिगनल और दूर संचार कर्मचारियों के लिए स्वीकृत मापदण्ड के बारे में 23 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1308 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह जानकारी कब एकत्र की जायेगी तथा सभा पटल पर रखी जाएगी?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी हाँ, एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया / देखिये संख्या एल० टी० 1791/72**]

सूखे मेवे व्यापार निगम

3122. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूखे मेवे व्यापार निगम बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज : (क) तथा (ख) : मेवा व्यापार निगम बनाने के संबंध में कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, मेवों के आयात को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से मार्गीकृत करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। इस संबंध में निर्णय निकट भविष्य में ही लिया जाएगा।

धनबाद क्षेत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल के दौरान सुविधाओं पर किया गया व्यय

3123. **श्री राज देव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे द्वारा धनबाद क्षेत्र में हुई हड़ताल पर

किये गये व्यय के बारे में 3 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में फरवरी, 1971 में हुई हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के लिए भोजन, जलपान और मुफ्त परिवहन की व्यवस्था किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या पिछली हड़तालों में भी कर्मचारियों को ऐसी ही सुविधाएं दी गई थीं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) गाड़ी सेवाओं के संचलन के लिए कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सार्वजनिक सेवा के हित में भोजन, टिफिन और सवारी की व्यवस्था की गयी।

(ख) जी हां, जहां कहीं आवश्यक समझा गया।

वीरामगाम ओखला-पोरबंदर सैक्शन (पश्चिम रेलवे) की रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

312४. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के वीरामगाम ओखला पोरबन्दर सेक्शन को बदलने का कार्य सरकार द्वारा कब तक प्रारम्भ किया जायेगा, और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : **(क) और (ख)** : आमान परिवर्तन की मंजूरी दी जा चुकी है और काम चालू है। आमान परिवर्तन की यह परियोजना पांच वर्ष में पूरी हो जायेगी।

Conversion to Broad Gauge Lines in Gujarat

3125. **Shri Amar Singh Chaudhari** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The total length of metre gauge and narrow gauge Railway lines in Gujarat;

(b) whether there is any proposal to convert any of these lines into broad gauge lines;

(c) whether there is any proposal to close down any narrow gauge line; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Information about the length of Railway lines is not compiled State-wise, but only Railway Zone-wise.

Railway Zone-wise particulars of route kilometres open to traffic are given in Statement 8 of the Supplement to the Report by the Railway Board on Indian Railways—Statistical Statements for the year 1970-71, copies of which are available in the Library of Parliament.

(b) Conversion of Viramgam-Okha, Kanalus-Porbandar metre gauge section into broad gauge has been sanctioned. Surveys for conversion of the Gandhidam-Bhuj and Delhi-

Ahmedabad (partly in Gujarat) metre gauge sections into broad gauge and Chhota Udaipur-Pratapnagar (with Chhuchhapura-Tankhala) narrow gauga section into broad gauge are in progress. A decision will be taken after surveys are completed.

(c) No.

(d) Does not arise.

Conversion of Narrow Gauge Balaghat-Gondia Line into Broad Gauge in Madhya Pradesh

3126 **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state whether Government propose to convert the narrow gauge line from Gondia to Balaghat (Madhya Pradesh) into broad gauge and if so, when ?

The Minister of Railways (Shri K. Hnnumanthaiya) : Based on the recommendations of the uneconomic branch lines committee, 1969, a traffic survey for the conversion of the northern sections of the Satpura N.G. system (comprising the Gondia-Balaghat and other N G. lines), has been undertaken and the survey is in progress. A decision regarding the conversion of these sections will be taken after the results of the survey become known.

Proposals by Madhya Pradesh Government for New Railway Lines during Fourth Plan

3127. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the broad outlines of the proposals received from Madhya Pradesh Government in regard to the lying of Railway lines in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(b) the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The new lines recommended by the Madhya Pradesh Government for construction in the 4th Plan are Delhi Rajhara to Dantewara, Satna-Rewa-Govindgarh, and Indore to Dohad.

(b) Traffic Surveys for Delhi Rajhara—Dantewara and Satna-Rewa-Beohari lines have been included in the 1972-73 Budget. Further consideration will be given after the results of the traffic surveys become known.

New Railway Stations opened in Madhya Pradesh

3128. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number and names of Railway Stations opened in Madhya Pradesh during 1970-71 and 1971-72;

(b) whether Madhya Pradesh Government had sent any proposals for opening new railway stations during the said period; and

(c) if so, whether all those proposals have been approved by the Central Government ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The following seven new train halts have been opened in the state of Madhya Pradesh during the years 1970-71 and 1971-72 :—

1. Khara.
2. Chakarbhatha.
3. Gangatola.
4. Garra.
5. Titwa.
6. Pritamnagar.
7. Kotlakheri.

(b) & c) : Proposal to open Bhad Bhada Ghat Crossing station between Dawanganj and Sukise aniyan stations for passenger booking was received from the Government of Madhya Pradesh in March, 1971. The proposal was examined but could not be accepted as it was financially not justified. The request for opening this station has again been received from the State Government and the proposal is being examined denovo.

Non-Production of Controlled Cloth by Mills in Madhya Pradesh

3129. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether some textile mills of Madhya Pradesh are not manufacturing the varieties of controlled cloth which are in demand; and

(b) if so, the names of such mills and the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Under the present scheme, all the composite cotton textile mills in Madhya Pradesh are producing controlled cloth against quotas allotted to them.

(b) Does not arise.

Transportation of Coal from Pitheads in Madhya Pradesh

3130. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of wagons required per day for transportation of coal stocks lying at the pitheads of coal mines in Madhya Pradesh and the coal produced in these mines at present; and

(b) the number of wagons being supplied by the Railway Department ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The latest figures of production, despatches and stocks of coal in the Korea & Rewa and Pench Valley fields of Madhya Pradesh, as available from the Coal Controller's statistics are tabulated below :—

(in million tonnes)

	Korea-Rewa	Pench Valley	Total
Production from April to October '71	5.55	1.91	7.45
Despatches (April to October '71	5.52	1.97	7.49
Pithead stocks at the end of October '71	0.45	0.05	0.50

The figures for the Singrauli fields of Madhya Pradesh are not readily available; but their demand is met in full.

Pithead stocks in Pench Valley and Singrauli fields are below normal. Considering the production of 15 days as normal pithead stock, Korea & Rewa fields are having an excess stock of about 50,000 tonnes which can be cleared in three months by additional loading of about 25 wagons a day.

(b) the daily average number of wagons loaded from these fields during 1971-72 were as under :—

Korea-Rewa (including Korba and Jharsuguda spheres)	=871
Pench (both Central & South Eastern Railways)	=413
Singrauli	= 86

Loading from Korea-Rewa fields has been stepped up from April 1972 to clear the pithead stocks.

गोदावरी से कावेरी तक नदियों को जोड़ना

3131. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में गोदावरी से कावेरी तक नदियों को जोड़ने का कोई अलग प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : गंगा, सोन, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी जैसी नादियों को जोड़ने का राष्ट्रीय जल ग्रिड के भाग के रूप में प्रस्ताव किया गया है । संयुक्त राष्ट्र संघ विशेषज्ञों के एक दल ने प्रस्तावों पर समर्थक राय देने के लिए भारत का दौरा किया और उनकी रिपोर्ट के जुलाई, 1972 में आने की सम्भावना है । गोदावरी से कावेरी नदियों को आपस में मिलाने का कोई अलग से प्रस्ताव नहीं है ।

पोंग बांध क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) से निष्क्रमित लोगों को दिया गया मुआवजा

3132. **श्री विक्रम माहाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध से (हिमाचल प्रदेश) से निष्क्रमित कितने लोगों के लिए अब तक मुआवजा मंजूर किया गया और उसका भुगतान किया गया तथा पहले बनाई गई अनुसूची के अन्तर्गत कितने लोगों के लिए मुआवजा मंजूर किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) 1 अक्तूबर, 1971 तक कितने निष्क्रमित लोगों के लिए मुआवजे मंजूर किये गये तथा उन्हें दिये गये तथा उसके बाद फरवरी, 1972 तक कितने लोगों को मुआवजा दिया गया ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क)

(i) मुआवजे के पंचाट जिन भूमि स्वामियों के पक्ष में दिए गए हैं 29,134

(ii) 29–2–1972 तक जिन भूमि स्वामियों के पक्ष में पंचाटों की अदायगी की जा चुकी है 12,485

(iii) इस अवस्था में यह कहना संभव नहीं है कि राजस्थान में भूमि के नियतन के प्रयोजन से विस्थापितों के रूप में इन भूमि स्वामियों में से कितने पात्र स्वीकार किये जाने हैं ।

आगामी मानसून से पहले इ एल 1280 तक जिन भूमि स्वामियों के प्रभावित होने की संभावना है, उन सभी को पंचाट देने का विचार है ।

(ख) (i) 31–10– 971 तक अदायगी किये गये पंचाट 7,'08

(ii) 1-11–1971 से 29–2–1972 तक अदायगी किये गये पंचाट 4,977

हावड़ा डिवीजन (पूर्वी रेलवे) की लिलुआ कालोनी के रेलवे क्वार्टरों का बेहतर रख-रखाव

3133. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा डिवीजन, पूर्वी रेलवे, की लिलुआ कालोनी में रेलवे क्वार्टरों का रख-रखाव अपेक्षित स्तर का नहीं है;

(ख) क्या 5 मार्च, 1972 को कालोनी के आई० ओ० डब्ल्यू० के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सियालदह डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के डिवीजनल सुपरिटेंडैन्ट द्वारा बच्चों की पढ़ाई फीस की प्रतिपूर्ति करने से इंकार

3134. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह डिवीजन के सुपरिटेंडेंट ने अपने अन्तर्गत रेलवे कर्मचारियों के प्रथम से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई फीस की प्रतिपूर्ति करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या डिवीजनल सुपरिटेंडैन्ट द्वारा अपनाई गई पद्धति पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक के कार्यालय तथा अन्य डिविजनल सुपरिटेन्डैन्टों के कार्यालयों में अपनाई गई पद्धति से भिन्न हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत

3135. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार, शेष बिहार और देशभर में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत इस समय कितनी-कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री श्री बैजनाथ कुरील) : 1970-71 के लिए उत्तर बिहार, बिहार के शेष भाग और समस्त देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति अनुमानित उपलब्धता और खपत नीचे दी जाती है :-

	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (यूनिट)	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
1. उत्तर बिहार	19	13
2. बिहार के शेष भाग में	87	79
3. अखिल भारत	98	88

कोसी, गाडक और राजस्थान नहर परियोजना पर किया गया व्यय

3136. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम कोसी, गण्डक और राजस्थान नहर परियोजनाओं को पूरा करने के लिये और कितना धन व्यय होगा; और

(ख) तीनों परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : राजस्थान नहर चरण-एक को मार्च, 972 के बाद 37 करोड़ रुपये चाहिए। छोटी नालियों के पलस्तर-कार्य को छोड़कर, जिसे बाद में किया जाएगा, परियोजना के चौथी योजना के अन्त तक काफ हद तक पूर्ण होने की आशा है ।

बिहार और उत्तर प्रदेश की गंडक परियोजना को मार्च, 1972 के बाद 93 करोड़ रुपये चाहिए। राज्य सरकारों से परियोजना के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक धन का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में कार्य काफी हद तक चौथी योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगे। बहरहाल, बिहार में ये निर्माण कार्य अगली योजना में चलते रहेंगे ।

37 करोड़ रुपये की लागत की पश्चिमी कोसी नहर पर नेपाल सरकार की स्वीकृति के बाद ही अब कार्य शुरू किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने में 5 से 6 वर्ष लग जायेंगे ।

बिहार में सिंचाई सुविधायें बढ़ाना

3137. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में फसल वाले कुल 267 लाख एकड़ क्षेत्र में से केवल 50 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की कुछ सुविधाओं की व्यवस्था है जबकि केवल लगभग 30 लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई की उचित व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया है; और

(ख) बिहार में सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): 1968–69 में बिहार में कुल फसली क्षेत्रफल लगभग 10·9 मिलियन हेक्टेयर था। मार्च, 1972 तक निर्मित सिंचाई शक्यता के बृहद् और मध्यम परियोजनाओं से लगभग 1·75 मिलियन हेक्टेयर और लघु सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 1.8 मिलियन हेक्टेयर, अर्थात फसली क्षेत्र का लगभग 31 प्रतिशत, होने का अनुमान है।

बिहार सरकार के हाथ में कोसी, गंडक, बागमती, सोन उच्च स्तरीय नहरें, चंदन आदि जैसी कई परियोजनाएं हैं और हाथ में ली गई सभी परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर सिंचाई का प्रतिशतांश फसली क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

आयात व्यापार में नियंत्रण आदेश में संशोधन

3138. **श्री डी० के० पंडा :** क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्मों को कम मूल्य के और अधिक मूल्य के बीजक बनाने जैसे विभिन्न कदाचार करने और आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिये आयात व्यापार नियंत्रण आदेश में संशोधन करने वाला विधेयक प्रस्तुत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को संशोधित करने की प्रस्थापना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। जिस संशोधन के बारे में विचार किया जा रहा है, वह आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने की शक्तियों को ग्रहण करने के बारे में है। यह आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों के दण्ड संबंधी वर्तमान उपबंधों के अलावा है।

पटना स्थित ईस्टर्न रेलवे होस्टल में गुण्डागर्दी

3139. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' दिनांक 3 मार्च, 1972 में पटना (ईस्टर्न रेलवे) स्थित 'होस्टल में गुण्डागर्दी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए एक पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) होस्टल में गुण्डागर्दी का ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा कचहरियों में दायर किए गए मुकदमों की संख्या में वृद्धि

3140. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों द्वारा कचहरियों में दायर किये जाने वाले मुकदमों में गत कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है और क्या रेलवे अधिकारियों के मनमाने आदेशों के कारण कचहरियों में रेलवे विभाग मुकदमें हार जाता है;

(ख) क्या ऐसे मुकदमों के कारण रेलवे प्रशासन को भारी धनराशि का भुगतान करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रशासन का इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) यद्यपि रेल कर्मचारियों द्वारा कचहरियों में दायर किये जाने वाले मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन मुकदमों में हार रेल अधिकारियों के मनमाने आदेशों के कारण नहीं हो रही है।

(ख) एडवोकेटों को उच्च न्यायालयों की अनुसूची के अनुसार फीस दी जाती है। सरकारी वकीलों को राज्य सरकारों द्वारा निश्चित दरों के अनुसार भुगतान किया जाता है, और बाहरी वकीलों को पहले किये गये करार के अनुसार निश्चित की गयी दर के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

कुसुन्दा में रेलवे कर्मचारियों पर घातक हमले

3141. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डिवीजनल रेलवे कर्मचारी समन्वय समिति, धनबाद से 8 अक्तूबर, 1971 को एक तार मिला था जिसमें यह आरोप लगाये गये थे कि पुलिस और कोयलों खानों के मालिकों द्वारा 27 अक्तूबर, 1971 को कुसुन्दा में ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों पर घातक हमले किये थे।

(ख) यदि हां तो घटना का सारांश क्या है और इस मामले में धनबाद रेलवे प्राधिकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या डयूटी पर घायल हुए कर्मचारियों को डिवीजनल सुपरिटेन्डैन्ट द्वारा जो मुआवजा देने का वचन दिया गया था वह उनको दे दिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । लेकिन यह घटना 27 सितम्बर, 1971 को घटित हुई थी, न कि 27 अक्तूबर, 1971 को ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

27–9–71 को लगभग 13·00 बजे जब कुसुन्डा रेलवे यार्ड में माल डिब्बों का शंटिग किया जा रहा था कुसुन्डा यार्ड के पूरब तरफ का समपार फाटक वाहनों के यातायात के लिए बन्द कर दिया गया था । उसी समय बी० आर० डब्ल्यू 68631 नवम्बर की एक कार जिसमें वेस्ट गोधर कोलयरी, कुसुण्डा के मालिक श्री परमेश्वर अग्रवाल अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, वहां आई, और उन्होने समपार फाटक को फौरन खोलने के लिए कहा ताकि कार निकाली जा सके । ड्यूटी पर तैनात फाटक वाले ने फाटक खोलने में असमर्थता प्रकट की क्योंकि शंटिंग का काम अभी तक चल रहा था, इसके परिणामस्वरूप फाटक वाले और श्री अग्रवाल मे कहा-सुनी होने लगी जिस पर श्री अग्रवाल ने अपने को अपमानित महसूस किया और वह फाटक वाले के उत्तर से बौखला गये । एकाएक श्री अग्रवाल कोलमरी गये और वहां से लाठी फावड़े, लोहे की छड़ों आदि से लैस 50 व्यक्तियों को बुला लाये और ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया । इसकी सूचना मिलने पर कुसुंडा में तैनात रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र पार्टी और स्थानीय रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी रेल कर्मचारियों को बचाने के लिए वहाँ पहुंचे और आक्रमणकारी भाग निकले ।

मण्डल अधीक्षक, उप मण्डल अधीक्षक, मण्डल परिचालन अधीक्षक, धनबाद और उनके साथ धनबाद के पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर आये । अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी, रेल कर्मचारियों ने काम करना शुरू कर दिया । स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है जिसकी जाँच हो रही है ।

रेलवे में ईंधन निरीक्षकों और फायरमैन निरीक्षकों के पदों पर स्थायी करना

3142. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ईंधन निरीक्षक और फायरमैन प्रशिक्षकों के स्थायी और पदालि के पदों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पदालि के पद होने के नाते कुछ कर्मचारियों को इन पदों पर स्थायी किया गया है; और

(घ) स्थायी कर्मचारियों को अपने पुराने पदालि पदों पर स्थानान्तरित करने की क्या प्रक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीकी मण्डियों में चीन के प्रवेश से भारत के निर्यात पर प्रभाव

3143. **श्री निहार लास्कर :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी मण्डियों में चीन के प्रवेश का, अमरीका को भारत के निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : अमरीकी मण्डियों में चीन के प्रवेश से भारत–अमरीकी व्यापार पर अभी तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

रेलवे द्वारा मितव्ययता के लिए उठाए गए कदम

3144. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये रेल मन्त्रालय द्वारा मितव्ययिता के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) ईंधन की खपत में बचत करके दावों और मुआवजों के भुगतान में कटौती करके और अलाभकारी स्थापनाओं में कितनी धनराशि बचाई गई है; और

(ग) 1969 की दावों सम्बन्धी समिति की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद भी क्रियान्वित नहीं किया गया है और किन-किन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1792/72]**

(ख) रेलों द्वारा अपनाये गये विविध उपायों के द्वारा, जिनका संक्षिप्त उल्लेख भाग (क) में किया गया है, कार्यकुशलता, परिचालन एवं उत्पादकता में सुधार जिसका बचत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है, एक निरन्तर प्रक्रिया है। 1971–72 के दौरान बुक किये गये परेषणों के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने आदि के बारे में क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान में कोई गिरावट नहीं

आयी। जहां तक ईंधन का सम्बन्ध है, 1969–70 की तुलना में 1970–71 के दौरान कुछ बचत हुई।

(ग) क्षतिपूर्ति के दावों के बारे में एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो पूर्णतः या अंशतः या आशोधित रूप में स्वीकार कर ली गयी हैं, क्षेत्रीय रेलों को हिदायतें जारी कर दी गयी हैं। अधिकाँश सिफारिशें ऐसी हैं कि उनका क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, जैसे, मार्का डालने, पता लिखने, सील करने, रिबट लगाने, लेबल लगाने, ताला लगाने, सम्हालने, कर्मचारियों में दावा सम्बन्धी चेतना पैदा करने, असम्बद्ध माल डिब्बों का ठीक सम्बन्ध कायम करने, कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निश्चित करने, दिल्हा कटे माल डिब्बों की मरम्मत, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, माल डिब्बों के रुक जाने की घटनाओं पर दृष्टि रखने, क्षति और कमी सम्बन्धी संदेशों का जारी करना, आंकड़ों का ठीक-ठीक संकलन, माल गोदामों में छतदार स्थान की पर्याप्त व्यवस्था, दावे सम्बन्धी मामलों की शीघ्र जांच और निपटान, कमी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करना, उपक्रमों, वाणिज्य मण्डलों आदि के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन, चल दावा कार्यालयों की स्थापना, मुकदमेबाजी की रोकथाम, डिगरियों का शीघ्र निबटारा, रेल अधिवक्ताओं के कार्य की देखभाल आदि को निरन्तर क्रियान्वित किया जा रहा है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा समिति के सुझावानुसार कर्मचारी संख्या की समीक्षा भी की जा रही है। फिर भी वाणिज्यिक अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सिफारिशें जिस रूप में रेलवे बोर्ड ने उन्हें स्वीकार किया है, उपलब्ध वित्त स्थिति के अन्तर्गत क्रमिक रूप में क्रियान्वित की जायेंगी।

निष्कर्षों एवं सिफारिशों के सार के निम्नलिखित पैराग्राफों में की गयी सिफारिशें जो स्वीकार नहीं की गयी हैं, इस प्रकार हैं :—

153 160, 165, 175, 178, 181, 183, 185, 187, 189, 192 215, 216, 235, 248, 259, 319, 351, 357, 376, 379, 434, 444, 489, 496, 526, 556, 557, 561, 572 601, 615.

तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान माल परिवहन की क्षमता

3145. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी योजनाओं के दौरान कितने लाख मीटरी टन वार्षिक माल परिवहन की क्षमता का विकास किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1969-70 और 1970–71 के दौरान कितना माल दिया गया ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 1965–66 में यातायात का जो प्रतिरूप और जितनी गमन-दूरी थी, उनके आधार पर तीसरी योजना के अन्त में 20.5 करोड़ मीटरिक टन प्रारम्भिक यातायात की निरन्तर ढुलाई की रेलवे की क्षमता थी। यातायात के प्रतिरूप और उसकी गमन-दूरी की कुछ प्रत्याशाओं के पूरा होने पर चौथी योजना के अन्त में क्षमता को 24.05 करोड़ मीटरिक टन तक बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

(ख) 1969–70 और 1970–7 में क्रमश: 20.79 और 19.65 करोड़ मीटरिक टन के वास्तविक यातायात की ढुलाई की गयी थी।

Provision of Telephone Facilities at Goods Shed Kasganj (North Eastern Railway)

3146. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a long distance between the Goods Shed and the T.C. Office at Kasganj Junction (North Eastern Railway),

(b) whether the Telephone facilities are available only in the T.C. Office as a result of which the employees working in the goods shed have to face a lot of difficulties; and

(c) if so, whether Government propose to provide Telephone facilities in both the offices separately ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) The distance between the Ticket Collector's Office and the Goods Shed at Kasganj Junction is one KM approximately.

(b) Both Railway and P & T telephone facilities exist in Ticket Collector's Office as well as in Goods Shed.

(c) Does not arise.

Opening of an Enquiry Office at Kasganj Junction (North Eastern Railway)

3147. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is an Enquiry Office at Kasganj Junction on the North Eastern Railway; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No separate enquiry office is provided at Kasganj railway station but telephonic as well as verbal enquiries are attended to by the Ticket Collector on duty satisfactorily.

(b) There is no Justification for provision of a separate enquiry office at Kasganj railway station.

पूर्वोत्तर रेलवे पर होने वाली चोरियों और छुट-पुट चोरियों के कारण रेलवे द्वारा दिया गया मुआवजा

3148. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर प्रथम जनवरी, 1972 से चोरियों और छुट-पुट चोरियों की अनेक घटनायें घटी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उन घटनाओं का जिले-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिये रेलवे को कितना मुआवजा देना पड़ा ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी से मार्च, 72 तक चोरी और उठाईगीरी की घटनाओं के मंडलवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

मंडल	चोरी की घटनाओं की संख्या	उठाईगीरी की घटनाओं की संख्या
1. इज्जत नगर	5	1
2. लखनऊ	13	17
3 गोरखपुर	3	—
4. वाराणसी	22	—
5. समस्तीपुर	41	4

जनवरी से मार्च, 1972 तक पूर्वोत्तर रेलवे पर चोरी और उठाईगीरी के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के रूप में क्रमशः 4444 रुपये और 8,24,931 रुपये के भुगतान किये गये।

दिल्ली से अहमदाबाद तक की रेल-लाइन को बड़ी लाइनों में बदलना

3149. **श्रीमति सावित्री श्याम** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-अहमदाबाद मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : दिल्ली अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाने और तत्सबन्धी रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

रूसी रुई का मूल्य

3150. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को रूसी रुई की कितनी कीमत देनी होगी और भारतीय और पूर्व अफ्रीकी रुई की तुलनात्मक कीमतें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सोवियत संघ के साथ रुई को कपड़े में बदलने के करार के अन्तर्गत, भारत को वहां से बिना किसी लागत के रुई प्राप्त होगी जिसे वह कपड़े में बदलकर उसे उस देश को भेज देगा। भारत को उस रुई को कपड़े में बदलने का खर्च मिलेगा।

राज्य में बिजली का संकट

3151. **श्री पम्पन गौडा** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि

उनके बिजली के संकट को दूर करने के लिये उन्हें पड़ौसी राज्यों से बिजली की सप्लाई करने का प्रबन्ध किया जाये; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से पड़ौसी राज्यों से विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए अपने प्रभाव का उपभोग करने के लिए कहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कमी वाले इन राज्यों में उपयोग के लिए पड़ौसी राज्यों से यथासंभव विद्युत सप्लाई की व्यवस्था तत्परतापूर्वक कर दी है :

आन्ध्र प्रदेश	: मैसूर, तमिलनाडु और केरल से।
गुजरात	: मैसूर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से।
महाराष्ट्र	: मध्य प्रदेश और मैसूर से।
उत्तर प्रदेश	: मध्य प्रदेश और बिहार से।
राजस्थान	: पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से।

Requirement of Wagons for Kota, Rajasthan

3152. **Shri Onkar Lal Berwa** . Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the requirement of wagons for Kota (Rajasthan) during the last year:

(b) the number of wagons allotted to big traders; and

(c) the trader allotted the highest number of wagons together with the number of wagons allotted to him ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Total number of wagons demanded at Kota during the year April 1 '71 to March '72 was 12,185 out of which 9,119 wagons were supplied.

(b) Particulars of allotment of wagons to big traders are as follows :—

	No. of wagons supplied
Bundi Silica Co.	270
Kanya Lal Rameshwar Stone Co.	156
Dhadda Stone Co.	207
Kuldip Stone Co.	198
Gurcharan Stone Co.	238
Kartar Stone Co.	297
Sitaram Narain Caustic Soda Ltd.	184
Rajasthan Industries & Chemicals Ltd.	140
Siaram Traders	167
Saha & Co.	298
Mangalji Chhota Lal	298
Kishanlal Mohan Lal	219
Narain Hari Shankar	235
Nathalal Purshotam Das	272
Total	3179
Others	5940
Total	9119

(c) M/s. Saha & Co. and Mangalji Chhota Lal are the traders who were allotted the highest number of wagons during the year. Each was allotted 298 wagons.

Extension of Chambal Canal

3153. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend the Chambal Canal from Bundi, Rajasthan to Indergarh and Sawai-Madhopur via Khakar; and

(b) if so, the time by which it is expected to be done ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : Possibilties of extension of the existing Bundi branch canal of Chambal beyond river Mez to irrigate additional areas upto the confluence of rivers Chambal and Beas are being examined by the Government of Rajasthan and the proposal has not yet been finalised by the State Government.

Number of Villages Electrified from Gandhi-Sagar Dam

3154. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages being supplied electricity from Gandhi-Sagar Dam so far;

(b) the number of villages which were to be supplied electricity from the dam according to the schedule; and

(c) the time by which the target is likely to be achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) : Electricity from the Gandhi Sagar Dam is fed into the Chambal Grid which connects other power stations and supplies electricity to areas in Rajasthan and Madhya Pradesh. Hence in the project as envisaged, no target for village electrification was laid in respect of the power supplied from the Project. From the power available in Rajasthan and Madhya Pradesh inclusive of power from the Gandhi Sagar Dam, 3868 villages have been electrified in Rajasthan and 8572 villages have been electrified in Madhya Pradesh.

'यू-पोम' के लिए आयात लाइसेंस जारी करना

3155. **श्री बी० के० दास चौधरी : क्या विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यू-फोम' का उत्पादन करने के लिए विदेशों से मशीनों का आयात करने हेतु कुछ फर्मों को आयात लाइसेंस जारी किये गये थे और यदि हां, तो ये लाइसेंस किन-किन तिथियों को तथा किन-किन फर्मों को जारी किये गये थे;

(ख) ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसी प्रकार की मशीनों का आयात करने के लिए आवेदन-पत्र दिये थे परन्तु उन्हें अभी तक लाइसेंस नहीं दिये गये; और

(ग) इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिये क्या पद्धति अपनाई जाती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हाँ । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिसमें 1: पार्टियों को दिये गए आयात लाइसेंसों का ब्यौरा दर्शाया गया है (विवरण–1) [**ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1793/72**]

(ख) एक अन्य विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें लंबित आवेदन पत्रों का ब्यौरा दिया गया है (विवरण–11) [**ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1793/72**]

(ग) चूंकि पोलियूरेथीन फोम के उत्पादन के लिए अधिकांशतः कच्चे माल का आयात किया जाता है, इसलिए, कच्चे माल के आयात के लिए वित्त की व्यवस्था करने हेतु विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आवेदन पत्र पर उसके गुण व गुण के आधार पर विचार किया जाता है।

Compensation paid for Textile Mills taken over by Government

3156. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state the amount of compensation paid or likely to be paid by Government for the textile mills taken over by Government during 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : Government have taken over only the management of certain cotton textile mills, under sections 18A and 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. As such the question of payment of any compensation does not arise.

Areas given Priority during Rural Electrification

3157. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state whether it is the policy of Government to give priority to localities (*Mohallas*) of Scheduled Castes and Scheduled Tribes at the time of electrification of villages and, if so the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : At it was observed that some Harijan Bastis adjacent to **already electrified villages** were not electrified because of unremunerative loads in these areas and constraint of financial resources of the State Electricity Boards, the Government of India have introduced since December, 1971, a special scheme for electrification of such Harijan Bastis. According to the scheme, loan assistance at concessional terms is being provided through the Rural Electrification Corporation to the State Electricity Boards for electrification of such Harijan Bastis. The loan carries an interest of $4\frac{3}{4}\%$ per annum and is to be repaid over a period of 15 years. Against Rs. 50 lakhs provided for this purpose in the last financial year, the Corporation has sanctioned schemes envisaging loan assistance of **Rs.** 55.84 lakhs for the electrification of 1200 Harijan Bastis in the States of Andhra Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal. Depending on the availability of resources it is proposed to provide **Rs.** 5 **crores** for the electrification of about 20000 Harijan Bastis by the end of the Fourth Plan. For the year 1972-73, a budget provision of Rs. 1 crore has been made for the electrification of Harijan Bastis. In respect of projects to be undertaken for the electrification of villages in future, the State Electricity Boards have been advised to ensure that while electrifying the villages, adjacent Harijan Bastis should also be electrified.

Amount of decrees made on Railway department

3158. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total value of the decrees made on the Railway Department during the year 1970-71 and the amount paid so far on this account; and

(b) whether these decrees were ordered **ex parte** or some lawyers were engaged by the Railways to plead their cases and if so, the amount paid to lawyers by the Railway Department ?

The Minister for Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Total value of the decrees made is Rs 67,96,735.67 and Rs. 66,52,482.71 have so far been paid on this account.

(b) Only one decree for Rs. 106.6 was passed **ex parte.** In all other cases lawyers were engaged and the total amount paid to them is Rs. 4,71,132.38.

Import of Railway equipment

3159. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value and nature of equipment imported by Railway Department during 1971 and the reasons therefor; and

(b) the time by which the Railway Department will be able to procure all the equipment indigenously ?

The Minister of Railways (Shri **K. Hanumanthaiya) :** (a) The total value of the imported Stores purchased during 1970-71* was Rs. 32.59 crores representing about 9% of the total purchases. The imported Stores consisted mainly of components and spare parts of Electric Locomotives, Diesel Locomotives and Electrical Multiple Unit Coaches, sophisticated electrical signalling and telecommunications equipment and some items of steel and non-ferrous raw material. The imports were essential as the items were either not indigenously available or the indigenous capacity was inadequate.

(b) No time limit can be visualised to avoid imports completely as imports are now limited only to certain essential raw materials, proprietary and other items which call for sophisticated manufacturing techniques and foreign collaboration in some cases. Efforts continue to maximise indigenisation. The import content in total purchases has been brought down from about 26% in 1955-56 to about 9% in 1970-71.

फर्मों द्वारा निर्यात संबंधी उत्तरदायित्व निभाने में असफलता

3160. **श्री इन्द्रजी गुप्त** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अनेक फर्मों ने इस शर्त पर विस्तार संबंधी लाइसेंस प्राप्त कर लेने के बाद, कि उनके उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग निर्यात किया जाएगा, निर्यात संबंधी अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि दोषी फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों में निर्यात संबंधी दायित्व को न निभाने से संबंधित ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मशीनों के आयात हेतु लाइसेंस इस शर्त पर दिये गये हों कि उनके उत्पादन के एक निश्चित प्रतिशत भाग का निर्यात किया जायेगा।

Applications for allotment of tea and other stalls

3161. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of applications for allotment of tea and other stalls under consideration of Divisional Suprintendent, Ratlam (Western Railway) and the dates since when these applications are under consideration;

(b) the procedure regulating allotment of such stalls;

*Since the records are not maintained by Calendar Year, the figures have been given for the financial year 1970-71.

(c) whether under this procedure, a person can get more than one stall allotted at the same place or at different places; and

(b) If so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Nil.

(b) The procedure for the allotment of catering/vending contracts at stations is that as and when it is decided to appoint a new contractor, other than a Co-operative Society or Voluntary Social Organisation, applications are called for by the Railways, through press notifications or notices displayed at station notice boards. The applications received are scrutinised by a Selection Committee and the contracts are awarded to the most suitable persons, taking into account their experience financial position and capability to satisfactorily undertake the work, subject to a maximum of six untis of contracts for each contractor.

(c) and (d) : According to the present policy, an individual contractor can be given catering/vending contracts upto a ceiling limit of six units so that his contract may be viable. Individual contractors can, therefore, be considered for allotment of catering/vending contracts upto this ceiling limit at the same station or at different stations.

Zonal Railway users consultative Committee for Indore (Western Railway)

3162. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) when the Zonal Railway Users Consultative Committee for Indore (Western Railway) was constituted;

(b) the names of members thereof and the capacity in which they were nominated; and

(c) when this committee will be reconstituted ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) There is no Zonal Railway Users' Consultative Committee functioning at Indore (Western Railway)

(b) & (c) : Does not arise.

Opening of Railway station between Dhodhar and Jaora Railway stations (Western Railway)

3163. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a new Railway Station between Dhodhar and Jaora Stations of Ratlam Division has since been opened; and

(b) if not, the time by which it will be opened ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) The halt station between Dhodhar and Jaora stations, is expected to be opened by the end of October, 1972.

Raising of Gandhi Sagar Dam Water Level

3164. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the present water level of Gandhi Sagar Dam, (Madhya Pradesh); and

(b) the maximum level of water in the Dam ?

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : The maximum water level of Gandhi Sagar Dam is 1312 ft. As against this, the water level of the reservoir as obtaining on 11th April, 1972 (At 8.00 A.M.) was 1295.99 ft.

New agreement with U. K. for export of textiles

3165. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether any new agreement for export of Indian Textiles to **Britain** has been finalised or is shortly to be finalised; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (**Shri A. C. George**) : **(a) & (b) :** No new agreement for the export of cotton textiles to U. K. has yet been finalised because the British Government have agreed to continue the Indo U. K. Textile Agreement of 1967 until the end of 1972.

बीवर स्थित एडवर्ड टैक्सटाइल मिल का बन्द होना

3166. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीवर स्थित एडवर्ड टैक्सटाइल मिल बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मिल को नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के नियंत्रण में चलाने का कोई प्रबन्ध किया गया है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) : एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स कं० लि०, ब्यावर वित्तीय कठिनाइयों तथा श्रमिकों में अशान्ति के कारण अगस्त 1969 से बन्द पड़ी है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्री वस्त्र निगम को पांच वर्ष की अवधि के लिये मिल के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने के लिए प्राधिकृत किया है।

रेशम प्रतिनिधिमण्डल

3167. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेशम के निर्यात के संवर्धन की सम्भावनाओं के पता लगाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक रेशम प्रतिनिधिमण्डल बाहर भेजा था;

(ख) यदि हां, तो प्रतिनिधिमण्डल द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) रेशम प्रतिनिधिमण्डल द्वारा की गयी कतिपय महत्वपूर्ण सिफारिशें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेशम प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

रेशम प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं—

1. केन्द्रीय रेशम बोर्ड को आवश्यक व्यवस्थापन तथा संसाधनों की सुबिधा प्रदान

की जानी चाहिये ताकि वह सुदृढ़ आधार पर रेशम निर्यातों की समन्वित योजना तथा विकास को सुनिश्चित कर सके।

2. विश्व बाजार में भारतीय रेशम की विशेषता पर प्रकाश डालने के लिए व्यापक प्रचार अभियान प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

3. बोर्ड को चाहिए कि वह महत्वपूर्ण बाजारों में केवल भारतीय रेशम से बने माल के लिए प्रदर्शन कक्षों व विदेशी कार्यालयों की स्थापना करे।

4. कच्चे रेशय तथा रेशम धागे के निर्यात सहित निर्यात मदों का विविधीकरण।

5. टसर तथा टसर मिश्रित माल के निर्यात पर अतिरिक्त सहायता।

6. रेशम उद्योग के संबध में औद्योगिकीय अनुसंधान करने के लिए एक उपयुक्त अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

7. भारतीय कच्चे रेशम की क्वालिटी सुधारने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाने चाहिए।

8. अनेक बागानों में टसर कोषों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

टसर रेशम का उत्पादन तथा निर्यात

3168. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) टसर रेशम के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) :

(क) देश में टसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय

(1) देश में टसर रेशम उद्योग के विकास के लिए चौथी योजना में 1.45 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी है।

(2) टसर कार्यों के उत्पादन हेतु हिमालय की तलहटी में प्राकृतिक रूप से उगे ओक वृक्षों को काम में लाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रानी खेत, बटोटे तथा इम्फाल में तीन उपकेन्द्र स्थापित किये हैं।

(3) खण्ड बागान आधार पर टसर को वे उत्पादन को सुप्रवाही बनाने की परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

(4) केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है जो देश में गैर-शहतूती रेशम उद्योग के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी तथा उसका और भी विकास करने के उपाय सुझायेगी।

(5) टसर रेशम का उत्पादन 1969 में 2.52 लाख कि० ग्रा० से बढ़कर 1970 में 3·53 लाख कि० ग्रा० हुआ।

(ख) टसर रेशमी माल के निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपाय

(1) प्राकृतिक रेशमी माल के लिये आयात प्रतिपूर्ति योजना को सुकर बनाया गया है।

(2) 1 मार्च, 1971 से 31 दिसम्बर 1971 तक 100% टसर रेशम वाले प्राकृतिक रेशम उत्पादों के निर्यातों पर जहाज पर मूल्य के 10 प्रतिशत को नकद सहायता दी जा सकती थी। यह नकद सहायता 1–1–72 से शहतूती-टसर मिले अथवा मिश्रित उत्पादकों पर लागू कर दी गई है।

इन उपायों से टसर रेशम के उत्पादों के निर्यातों में गिरती हुई प्रवृत्ति रुक गई है। निर्यात 1970–71 में 1.20 करोड़ रु० से बढ़कर 1971–72 में 1.30 करोड़ रुपये के हो गये।

माल डिब्बों की कोयला खान से वापसी तथा लाने जाने में तेजी लाना

3169. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खानों से भरे हुए माल डिब्बों की वापसी तथा उनके वजन किये जाने तथा बीजकों के तैयार किये जाने में अनेक दिन लगते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप साइडिंग में भीड़ हो जाती है और माल डिब्बे पूरे चक्कर नहीं लगा पाते हैं;

(ख) इन कार्यों में बढ़ते हुए विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) माल डिब्बों की वापसी में तथा लाने ले जाने में तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री० के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : कोयला खान साइडिंगों, विशेषकर पश्चिम बंगाल-बिहार क्षेत्रों में कुछ ऐसे कारणों से कुछ माल डिब्बे अवश्य रुके पड़े रह जाते हैं जो रेलों के नियन्त्रण से परे हैं, जैसे बेयरिंग ब्रास, रेल पथ फिटिंग्स आदि की चोरी या बन्द आदि के कारण यातायात का अस्त-व्यस्त हो जाना। हाल में बंगाल और बिहार क्षेत्रों की कोयला खानों की साइडिंगों में भी बहुत अधिक माल डिब्बे रुके पड़े रहते हैं जिसका कारण है निशुल्क अनुमत समय के भीतर पूरा लदान करने में कोयला खानों की असमर्थता। जनवरी, फरवरी और मार्च, 1972 के महीनों के दौरान चौपहिये डिब्बों के हिसाब से क्रमशः 8840, 9729 और 11568 माल डिब्बे, निशुल्क अनुमत समय के बाद लदान पूरा करने के लिए रुके पड़े रहे। इन माल डिब्बों के रुके रह जाने के कारण उसी पायलट द्वारा कर्षित अन्य माल डिब्बे भी रुके रहे।

(ग) खाली माल डिब्बों की सप्लाई और कोयला खान साइडिंगों से लदे हुए माल डिब्बों की निकासी पर विभिन्न स्तरों पर कोयला पायलटों द्वारा दैनिक निगरानी रखी जाती है। साइडिंगों में चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए भी सभी प्रयास किये जा रहे हैं। साइडिंगों में चोरियों की बुराई को समाप्त करने और निःशुल्क अनुमत समय के भीतर माल डिब्बों का लदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोयला खान प्रबन्धकों का भी सहयोग लिया जाता है।

जम्मू और काश्मीर में सलाल परियोजना का निर्माण

3170. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में सलाल परियोजना के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के विभिन्न चरण क्या क्या हैं ; और ,

(ग) इन विभिन्न चरणों के लगभग किस किस तारीख को पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बांध के स्थल की स्थिति का निर्णय करने के लिए आवश्यक अन्वेषणात्मक कार्य कर लिया गया है। परियोजना-स्थल तक सड़क का निर्माण हो रहा है। भूमि के अर्जन, स्टाफ क्वार्टरों एवं कार्यालय-भवन के निर्माण और निर्माण पूर्व सर्वेक्षण संबंधी कार्य प्रगति पर है। डीजल विद्युत-जनन सेट प्राप्त करके तथा स्थानीय ग्रिड से थोक विद्युत लेकर निर्माण विद्युत के लिए प्रबन्ध पहले से ही कर लिये गये हैं। विद्युत-जनन यूनिटों की सप्लाई के लिए भारत हैवी इलक्ट्रीकल्स लि० हरद्वार को पहले से ही आदेश दे दिए गये हैं। उमड़मार्ग के लिये पहाड़ी की कटाई और व्यववर्तन सुरंग के निर्माण के लिये सभी सिविल कार्य के ठेके दे दिये गये हैं।

(ख) और (ग) : सलाल जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण में तीन विद्युत जनन यूनिटों की (जिनमें से प्रत्येक 90/115 मेगावाट का होगा) प्रतिष्ठापना सम्मिलित है। प्रथम यूनिट का सितम्बर, 1977 में और शेष दो यूनिटों का उसके पश्चात 6-6 महीने के अन्तर से चालू होना अनुसूचित है।

द्वितीय चरण में तीन अतिरिक्त विद्युत-जनन यूनिटों (जिनमें से प्रत्येक 90/115 मेगावाट का होगा) की प्रतिष्ठापना सम्मिलित है और यह चिनाव नदी के प्रतिप्रवाह भाग में विकास-कार्य पूर्ण होने के पश्चात हाथ में लिया जायगा।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का मार्च, 1972 में हुआ सम्मेलन

3171. **श्री पी० नरसिम्हा रेडडी** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का एक सम्मेलन मार्च, **1972** में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) न्यायपालिका से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए समय-समय पर सम्मेलन किया जाता है। मार्च, 1972 में हुये सम्मेलन ने सरकार के विचारार्थ कुछ शिफारिशें भी की हैं।

एशियाई देशों के साथ व्यापार संतुलन

3172. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई देशों के साथ व्यापार संतुलन की वर्तमान स्थिति क्या है और मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार होता है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1974/72]**

एशियाई देशों को इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात का बढ़ाया जाना

3173. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एशियाई देशों को इंजीनियरिंग उत्पादों को निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई देशों को इंजीनियरी माल के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :—

वर्ष	एशिया	योग
1968–69	46.93 करोड़ रु०	84.97 करोड़ रु०
1969–70	48.20 करोड़ रु०	106.37 करोड़ रु०
1970–71	51.30 करोड़ रु०	116.59 करोड़ रु०

एशियाई देशों सहित सभी विदेशों को इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

इंजीनियरी माल के निर्यातों को बढ़ाने के लिए किये गये अधिक महत्वपूर्ण उपायों में कुछ ये हैं :

1. पंजीयित निर्यातकों को, निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्चे माल के आयात की अनुमति है, इस्पात और एल्यूमिनियम की पूर्तियां प्राथमिकता आधार पर की जाती है, और चुनी हुई वस्तुओं पर नकद प्रतिपूरक सहायता दी जाती है।

2. बाजार सर्वेक्षण करने, प्रचार, प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने जैसे संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए मान्यता प्राप्त निर्यात सदनों को सहायता सम्बन्धी एक योजना के अन्तर्गत विपणन विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. अनेक निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में सीमा शुल्कों व केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की वापसी और साथ ही रियायती रेलवे भाड़े की सुविधा उपलब्ध है।

4. संविदाओं के पंजीकरण की एक योजना पंजीयित निर्यातकों को उनकी संविदाओं की तिथियों के बाद सहायता प्रणाली में आने वाले अलाभकर परिवर्तनों के संबंध में संरक्षण प्रदान करती है।

5. रेलवे चल स्टाक तथा उपस्करों, जनोपयोगी वस्तुओं और पूर्व औद्योगिक संयंत्रों और परियोजनाओं के क्षेत्र में विश्वव्यापी निविदाओं में भाग लेकर व्यापक उद्यमों और टर्न-की परियोजनाओं के निर्यातों में विशेषता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार निगम के पूर्ण स्वामित्वाधीन एक अनुषंगी निकाय की स्थापना की गयी है।

   उपर्युक्त के अतिरिक्त इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा क्रियान्वित कुछ सतत उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) बाहर इसके विदेशी कार्यालय हैं। (बैरुत तथा सिंगापुर में स्थित कार्यालय एशियाई बाजारों की देखभाल करते हैं।)

(2) यह व्यापार प्रतिनिधिमंडल, बिक्री और अध्ययन दल बाहर भेजती है। (हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल ने इन्डोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड का दौरा किया है।)

(3) बाजार सर्वेक्षण तथा वस्तु अध्ययन करती है।

(4) भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने का प्रबंध करती है।

(5) भारत तथा विदेशों में प्रचार करती है। इस शीर्ष के अन्तर्गत परिषद्-डाइरेक्टरी आफ एक्सपोर्टर्स, ओवरसीज जर्नल और होम बुलेटिन, ब्रोशर तथा अन्य प्रचार सामग्री प्रकाशित करती है।

(6) निर्यातकों की अध्ययन-गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन करती है।

नेपाल से व्यापार प्रतिनिधिमंडल

3174. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से हाल में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : दोनों देशों के मध्य व्यापार तथा परिवहन की नई संधि के उपबन्धों की क्रियान्विति का पुनरीक्षण करने के लिये भारत नेपाल संयुक्त पुनरीक्षण समिति की बैठक नई दिल्ली में 28, 29 जनवरी 1972 को हुई। नेपाल के परमश्रेष्ठ महाराज महेन्द्र के असामयिक निधन का दुःखद समाचार प्राप्त होने पर बातचीत स्थगित करनी पड़ी थी। संयुक्त पुनरीक्षण समिति की दूसरी बैठक काठमांडू में होगी।

भाखड़ा बांध से निष्कासित लोगों का पुनर्वास

3175. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि भाखड़ा बांध से निष्कासित लोगों को ठीक ढंग से नहीं बसाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : भाखड़ा बाँध के कुछ विस्थापितों को बहुत पहले 1958–59 में हिसार जिले में फिर से बसाया गया। हाल में, उनसे एक ज्ञापन, जिसमें कुछ कठिनाइयां बताई गई हैं, प्राप्त हुआ है। भाखड़ा पुनर्वास समिति की सिफारिश के अनुसार, जिसमें जनता के भी प्रतिनिधि थे, उन्हें पुनर्वास सम्बन्धी अनेक

सुविधाएं प्रदान की गई। भाखड़ा बांध के सभी विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसा दिया गया है और किये गये वायदे के अनुसार उन्हें पूरी सुविधाएं दे दी गई हैं। सिर्फ कुछ मामलों में कुछ कानूनी कठिनाइयों के कारण; जिनके सम्बन्ध में भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से जांच कर रहा है, विस्थापितों के नाम भूमि के मालिकाना अधिकारों का अंतरण नहीं किया गया है।

कच्छ क्षेत्र में स्टेशनों से नमक भरने के लिए माल डिब्बे

3176. **श्री बेकरिया :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कच्छ क्षेत्र में स्टेशन से नमक भरने के लिए माल डिब्बों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हमुमन्तैया) : ऊंची अग्रता वाले यातायात की ढुलाई को तरजीह देने के लिए रेलवे द्वारा दिये गये वचन के अनुरूप कच्छ क्षेत्र के स्टेशनों से नमक के अधिक से अधिक लदान के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। 1 अप्रैल, 1971 से मार्च, 1972 तक की अवधि में इस क्षेत्र के स्टेशनों से बड़ी लाइन के 5835 और मीटर लाइन के 8554 माल डिब्बों में नमक का लदान किया गया।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के नैमितिक कर्मचारियों की जाँच-पड़ताल

3177. **श्री बी० पी० मौर्य :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली डिवीजन में कुछ नैमितिक कर्मचारियों की जांच पड़ताल रेलवे विभाग द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो सिगनल इंस्पैक्टर (आवायडिंग लाइन) किशन गंज, दिल्ली, ब्लाक इंस्पैक्टर (अवायडिंग लाइन) दिल्ली के अधीन काम करने वाले नैमितिक कर्मचारियों और दिल्ली डिवीजन के सिगनल तथा दूरसंचार विभाग में निर्माण कार्य के अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें जांच-पड़ताल (स्क्रीनिंग) के लिए बुलाया गया;

(ग) इस कार्य के लिए क्या सिद्धान्त अपनाए जाते हैं; और

(घ) क्या कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों को जांच-पड़ताल के लिए बनाई गई सूची में शामिल नहीं किया जाता और यदि हां, तो क्यों ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : दिल्ली मण्डल में चौथी श्रेणी के कुछ पदों को उन नैमितिक मजदूरों तथा एवजी कर्मचारियों द्वारा भरने का विचार है जिन्होंने कम से कम छः महीने की सेवा पूरी कर ली है। लेकिन इन पदों को भरने से पहले एक परख समिति उनकी उपयुक्तता की जांच करेगी। परख के लिए अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया है। सिगनल निरीक्षक (परिहार लाइन किशनगंज, दिल्ली) और ब्लाक निरीक्षक (परिहार लाइन, दिल्ली) के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक मजदूरों को परख के लिए निर्माण संगठन द्वारा अलग से बुलाया जा रहा है।

सिगनल तथा दूर संचार विभाग (पूर्वोत्तर रेलवे) के कर्मचारियों में असंतोष

3178. **श्री बी० पी० मौर्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की छंटनी और पदावनति के मामलों पर पूर्वोत्तर रेलवे के सिगनल तथा दूर संचार विभाग के कर्मचारियों में असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न वर्गों के कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई तथा कितने व्यक्तियों की पदावनति की गई; और

(ग। कर्मचारियों में असंतोष को दूर करने के लिए सरकार का क्य कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : काम की मात्रा में कमी हो जाने के कारण निम्नलिखित कोटियों से सम्बन्धित निर्माण संगठन के 51 कनिष्ठतम कर्मचारियों की छंटनी की गयी :—

यांत्रिक सिगनल अनुरक्षक	:	5
राजगीर	:	11
लुहार	:	15
बढ़ई	:	6
पेंटर	:	2
हथौड़ा वाले	:	12

इन्हें वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की गयी है।

बम्बई के 'जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स' को जारी किए गए आयात लाइसेंस

3179. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के 'जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स' को 4 वर्ष के लिये प्रति वर्ष भारत में वाणिज्यिक प्रदर्शन के लिये ब्रिटेन में निर्मित 18 फिल्मों का आयात करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि ब्रिटेन को भेजी जायेगी;

(ग) क्या ऐसे ही करारों के आधार पर किसी अन्य भारतीय कम्पनी ने यूरोपीय निर्माताओं से फिल्में आयात करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन किया था जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो 'जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स' के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण पक्षपात किये जाने के क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। सरकार ने, ब्रिटेन से फिल्मों के आयात के लिए, मैसर्स जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 18-1-71 को एक करार किया। यह करार चार वर्ष तक चलना है। आयात की जाने वाली फिल्मों की संख्या का उल्लेख करार में नहीं किया गया है। इस पार्टी को, सर्वोत्तम आयात वर्ष के 50% कोटे के आधार पर फिल्में आयात करने का हक होगा।

(ख) भारतीय पार्टी को ब्रिटिश फिल्मों के संभरक मैसर्स कोम्पशन इन्टरनेशनल फिल्म्स लिमि० ब्रिटेन को देय निवल आय में से भेजी जाने वाली राशि प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के लिए

50,000 रु० अथवा वर्ष के लिए 10,00,000 रु० तक सीमित होगी। शेष राशि करार की शर्तों के अनुसार भारत में उपयोग हेतु रुकी रहेगी।

(ग) मैसर्स जनरल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड, बम्बई के साथ करार किये जाने तक किसी भी भारतीय कम्पनी ने आयात के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजा था। बाद में एक पार्टी ने आयात लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र भेजा है।

(घ) अब सरकार की नीति, केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से फिल्में आयात करने की है, सिवाय उस अवस्था के जबकि कोई विशेष करार पहले से चल रहा हो।

Complimentary Passes to Private Persons

3180. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shari Narendra Singh Bisht :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have issued Complimentary passes to some private persons to enable them to travel by rail free of charge;

(b) if so, the names of the persons to whom these facilities have been provided and the categories of the passes issued to them;

(c) The criteria observed by Railways for issuing such complimentary passes; and

(d) the estimated loss suffered by Railways as a result of these facilities during the last three years, year-wise ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1795/72]**

(c) Complimentary card passes are issused to individuals/organisations, who deserve them on the basis of the work that they do either for the Railways or the country.

(d) There has been no lors to the Government.

दरभंगा से पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक पहले से चल रहे शयनयान के स्थान पर दूसरा शयनयान चलना

3181. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दरभंगा से पहलेजाघाट तक चलने वाले शयनयान में 'बर्थ' बहुत छोटी हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त शयनयान के स्थान पर दूसरा शयनयान चलाने का है जिसमें सामान्य माप की 'बर्थ' हों; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (ग) : दरभंगा—पहलेजाघाट खण्ड पर प्रयुक्त मीटर-गेज शयनयान डिब्बों की दो शायिकाएं 1524 मि० मी० लम्बी और 508 मि० मी० चौड़ी हैं। एक वैकल्पिक नमूने को जिसमें शायिकाएं 1930 मि० मी० लम्बी और 570 मि० मी० चौड़ी होंगी अन्तिम रूप दे दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे पर अधिक पुराने नमूने के उपलब्ध 24 डिब्बों को आयु और दशा के आधार पर शीघ्र ही बदल दिया जायेगा।

तृतीय श्रेणी के शयनयान सहित जयनगर से पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक तीव्र गति वाली यात्री गाड़ी का चलाया जाना

3182. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को जयनगर से पहलेजाघाट (पूर्वोत्तर रेलवे) तक तीव्र गति वाली यात्री गाड़ी, जिसमें तृतीय श्रेणी का शयनयान भी शामिल हो, चलाने के लिये अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) ; जी हां, लेकिन बहुत कम मात्रा में होने वाले थ्रू यातायात को देखते हुए जयनगर और पहलेजाघाट के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं पाया गया है । इन स्टेशनों के बीच तीसरे दर्जे का एक थ्रू सवारी डिब्बा पहले से ही चल रहा है । जब और जैसे और अधिक शयनयान उपलब्ध होने लगेंगे, इस थ्रू सवारी डिब्बे के बदले तीसरे दर्जे का शयनयान चलाया जायेगा ।

कलकत्ता से मधुबनी (पूर्वोत्तर रेलवे) तक पहुँचने में पार्सल को लगा समय

3183. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारणतया कितने समय में पार्सल कलकत्ता से मधुबनी (पूर्वोत्तर रेलवे) पहुंचाते हैं ;

(ख) कलकत्ता (उत्तर रेलवे) के पूसा रोड बुकिंग कार्यालय पर 2 फरवरी, 1972 को बुक किये गये पार्सल मधुबनी कब पहुंचे; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) कलकत्ता से मधुबनी को बुक किये गये पार्सलों के लिए सामान्य पारगमन समय बुक किये जाने वाले दिन को छोड़कर चार दिन है ।

(ख) पूसा रोड नामका कोई बुकिंग कार्यालय नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि सही नाम रूसा रोड है । कलकत्ता के रूसा रोड सिटी बुकिंग कार्यालय (पूर्व रेलवे) से 2 फरवरी, 1972 को बुक किये गये पार्सल मधुबनी 15 फरवरी, 1972 को पहुंच गये थे ।

(ग) पर्याप्त संख्या में फिट खाली पार्सल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण बहुत अधिक समय लग गया और वे मीटर आमान के डिब्बे में यानान्तरण के बाद बरौनी जंक्शन पर भी रुके पड़े रहे क्योंकि इंजनों की अस्थायी कमी के कारण पार्सल गाड़ी नहीं चल रही थी ।

माल के परिवहन में हुई हानि/क्षति के लिए दावा

3184. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान, एक अधिकारी द्वारा बड़ा जामदा से नई दिल्ली के मध्य माल के ढुलाई में हुई हानि के लिए दावे करने के बारे में अगस्त, 1970 के रेलवे गजट में नार्दन रेलवे एण्ड दि कामन मैन दि सिक्स्थ ईयर क्राई फार जस्टिस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) जी हां । उल्लिखित समाचार अगस्त, 1970 के भारतीय रेलवे गजट में छपा है ।

(ख) उक्त समाचार में जुलाई, 1964 में बुक किये गये परेषण के बारे में दावे का निपटारा उत्तर रेलवे द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। इस दावे से सम्बन्धित मूल फाइल उत्तर रेलवे द्वारा नियमों के अनुसार समय सीमा के अन्तर्गत नष्ट कर दी गयी है। फिर भी, दावा सूचक रजिस्टर से यह ज्ञात हुआ है कि बड़ा जामदा से नयी दिल्ली, 22–7–1964 की रेलवे रसीद नं० 83981 पर 470 रु० का दावा 28–4–1965 को अस्वीकृत कर दिया गया था। उत्तर रेल प्रशासन से कहा गया है कि दावेदार की व्यक्तिगत सुनवाई की जाये।

गुन्टूर-हुबली तथा गुन्तकल-सिकन्दराबाद लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

3185. **श्री के० कोदंडारामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुन्टूर-हुबली लाइन तथा गुन्तकल-सिकन्दराबाद लाइन को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : गुंटूर-हुबली खण्ड के गुन्तकल्लु से हास्पेट तक के भाग में एक समानान्तर बड़ी लाइन पहले ही से मौजूद है। गुन्तकल्लु-गुंटूर खण्ड की मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम और मिरजलोडा, हास्पेट-हुबली-मार्मुगोआ और अलनावर-डांडेली खडों के आमान परिवर्तन की पिछली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अद्यतीकरण का काम 1972--73 के बजट में शामिल कर लिया गया है। जहां तक गुन्तकल्लु-सिकन्दराबाद खंड का सम्बन्ध है, एक पृथक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण का काम 1972-73 के बजट में शामिल किया गया है क्योंकि वर्तमान मीटर लाइन को हटा देना सम्भव नहीं है। सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने और उनके परिणामों का पता लग जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे और विचार किया जायेगा।

रायलसीमा में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना तथा नई लाइनें बिछाना

3186. **श्री के० कोंद्धडारामी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रायलसीमा पिछड़े क्षेत्र में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा नई लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : धर्मावरम-बेंगलूरु खंड को बड़ी लाइन में बदलने और गुन्तकल्लु और धर्मावरम् के बीच एक समानान्तर बड़ी लाइन का एक मिली जुली परियोजना के रूप में निर्माण का काम जारी है। साथ ही इन लाइनों के लिए सर्वेक्षण करने का भी प्रस्ताव है।

(i) गुन्तकल्लु-गुंटूर मीटर लाइन खंड को बड़ी लाइनी मे बदलना और

(ii) गुन्तकल्लु से सिकन्दराबाद तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण।

सर्वेक्षण पूरे हो जाने और उनके परिणाम मालूम हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं पर आगे विचार किया जायेगा।

केरल में सिंचाई परियोजनायें

3187. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केरल राज्य की सिंचाई क्षमता कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : अनुमान लगाया गया है कि इस समय केरल में बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 3·6 लाख हेक्टेयर और लघु सिंचाई स्कीमों से लगभग 2·7 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं।

काली मिर्च का निर्यात

3188. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काली मिर्च का देश-वार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा गत वर्ष उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : वर्ष 1970—71 के दौरान काली मिर्च के निर्यात का देशवार ब्यौरा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1796-72]** वर्ष 1971–72 के निर्यात आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन की गाड़ियों में शयनयानों की वृद्धि

3189. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दक्षिण रेलवे की मीटर लाइन की गाड़ियों में शयनयानों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : जी हां, शयनयानों की उपलब्धता के अनुसार सभी रेलों पर ।

Fixation of Seniority of Different Categories of Employees on Promotion

319^. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the manner in which the seniority of the Railway employees working on different posts in different pay-scales is determined when they are appointed or promoted to higher posts carrying higher pay scales after passing suitability test and trade test;

(b) whether this seniority can be changed at any time; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) Rules regarding seniority of Railway emplyees are contained in the Indian Railway Establishment Manual, copies of which are available in the Parliament Library.

(b) & (c) : The powers to amend or modify the rules of seniority vest in the authority competent to frame such rules

Bichhia Project Report

3191. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the date when the project report of Bichhia project was received by the Ceutral Government from the Madhya Pradesh Government for technical examination and its present position;

(b) the reasons for delay in gtving clearance to the said project; and

(c) the catchment area at Bichhia which the project will tap and its percentage to total catchment area of Narmada basin ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c) : The Bichia Tank Project Report was received on the 29th October, 1968. Technical examination of the Project has been completed. Though the Bichia Tank Project commands a very small catchment of 7.5 sq. miles, Goverment of India do not consider it

appropriate to accept for implementation any new projects. whether major or medium, in any State in the Narmada Basin (38000 sq. miles) when the Narmada Water Dispute is under adjudication by a Tribunal.

Irrigation Resources available in Mandla Distt. (M. P.)

3192. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the present irrigation resources available in the tribal District of Mandla, Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : The State Government have reported that 34 irrigation schemes with a potential of 9567 acres have been completed and that 3 schemes with a potential of 7190 acres are under construction.

Bodhghat Project Report

3193. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the date when the Project Report of the Bodhghat Project was received by the Central Government from the Government of Madhya Pradesh and the present position of its technical examination; and

(b) the power generating capacity and other features of the Bodhghat Project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) The Project Report on the Bodhghat was received by the Central Government in August, 1970. The Scheme was considered by the Advisory Committee for Irrigation, Flood Control and Power Projects at its meeting held in May, 1971 and found technically feasible. However, in view of the inter-State angle involved, consultation with Orissa Government was considered necessary before the project could be accepted for implementation.

(b) The project will utilise the waters of the Indravati River and comprises the installation of three generating sets of 80 MW eaco utilising a head of about 110 metres to generate about 70 million units annually.

निर्यात लक्ष्यों के बारे में एकाधिकार आयोग की सिफारिशें

3194. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने सरकार को यह परामर्श दिया है कि औद्योगिक लाइसेंस मांगने वाले उपक्रमों के निर्यात लक्ष्यों को वास्तविक आधारों पर नियत कर दिया जाये; और

(ख) क्या सरकार ने परामर्श स्वीकार कर लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। एकाधिकार आयोग ने दिनांक 25-2-72 के अपने प्रतिवेदन में मैसर्स विद्युत मैटलिक्स लि० के मामले में अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया है कि सरकार को निर्यात की प्रतिशतता एक ऐसे स्तर पर निर्धारित करनी चाहिये जो व्यवहार में प्राप्त हो सके।

(ख) यह प्रतिवेदन सरकार के कम्पनी कार्य विभाग में विचाराधीन है।

Project Report of Bargi Dam on River Narmada

3195. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) when the Project Report of Bargi Dam on river Narmada was received by the Central Government from the Government of Madhya Pradesh and whether it has been cleared by the Technical Advisory Committee; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) & (b) : The Project Report of Bargi was received on the 22nd February, 1969. The Project was considered by the Technical Advisory Committee on 6th September, 19 9 and considered acceptable subject to the condition that the comments of Central Water and Power Commission and the Ministry were complied with. This has also since been done by the State Government.

The Project could however not be accepted for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh, as it has been objected to by the Government of Gujarat and the Narmada water dispute is under adjudication.

उत्तर प्रदेश के लिए विद्युत संयंत्र का आयात

3196. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि 1973-74 में आने वाले विद्युत संकट से राज्य को बचाने के लिये 60 करोड़ रुपये की लागत वाले कम से कम 400 मेगावाट वाले विद्युत संयंत्र का आयात किया जाये और उसे 'टर्न की' आधार पर तुरन्त लगाया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के साथ परामर्श करके इस प्रस्ताव की जांच हो रही है।

रेलवे में "सुरक्षित कर्मचारी" की घोषणा

3197. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक मण्डल में उन पंजीकृत कार्मिक संघों/एसोसिएशनों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रशासन को अब तक आवेदन पत्र दे दिये हैं; कि उनके पदाधिकारियों को "संरक्षित कर्मचारी" के रूप में मान्यता दी जाये;

(ख) मण्डलवार, उन पदाधिकारियों के नाम क्या हैं जिनको "संरक्षित कर्मचारी" घोषित कर दिया गया है;

(ग) ऐसे पंजीकृत कार्मिक संघों/एसोसिएशनों के नाम क्या हैं जिनके आवेदन-पत्र अभी भी प्रशासन के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) उनके आवेदन पत्रों पर कब निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों की वर्ग-वार कार्मिक संघों/एसोसिएशनों को मान्यता

3198. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने रेलवे कर्मचारियों के वर्ग-वार कार्मिक संघों/एसोसिएशनों को मान्यता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने 1971 में रेलवे के श्रेणी दो के अधिकारियों की एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की थी; और

(घ) यदि हां, तो कार्मिक संघों/एसोसिएशनों की दो श्रेणियों के बीच भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) रेलों पर किसी भी संघ/एसोसिएशनों को कोटियों के आधार पर मान्यता नहीं दी गयी है।

(ख) रेलों पर खण्डों/श्रेणी के आधार पर संघों को मान्यता देने से उनकी संख्या बढ़ती जायेगी और परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियनें टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगी।

(ग) 1971 से पहिले ही क्षेत्रीय रेलों पर द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के एसोसिएशनों को मान्यता दे दी गयी है। 1971 में भारतीय रेल क्लास II आफीसर्ज फेडरेशन को जिससे ये क्षेत्रीय एसोसिएशन सम्बद्ध हैं मान्यता दे दी गयी।

(घ) प्रश्न के भाग (ब) में रेल कर्मचारियों की संघों/एसोसिएशनों में श्रेणी का अर्थ कर्मचारियों के उस भिन्न वर्ग से है जो कि किसी विशेष श्रेणी से सम्बद्ध हों, जैसे कि स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर इत्यादि। राजपत्रित अधिकारियों में भी भिन्न एसोसिएशनों को श्रेणी के आधार पर मान्यता नहीं दी गयी है। जिन क्लास II आफिसर्ज एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान की गयी है वे इन्जीनियरिंग अधिकारी, परिवहन अधिकारी जैसी कोटियों पर आधारित नहीं हैं, किन्तु सभी रेलों के सारे विभागों से बने क्लास II आफीसर्ज एसोसिएशन हैं। इन एसोसिएशनों को उसी प्रकार मान्यता प्रदान की गयी है जिस प्रकार क्लास और IV के रेल कर्मचारियों के मिश्रित एसोसिएशनों को दी जाती है। इस प्रकार इसमें कोई भेद-भाव नहीं है।

पारेषण और वितरण में विद्युत की क्षति

3201. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत के पारेषण और वितरण होने वाली क्षति निरन्तर बढती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी क्षति के क्या कारण हैं; वह कितनी होती है और किन-किन राज्यों में भारी क्षति होने का कब-कब पता लगा है; और

(ग) इसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : देश में पारेषण, परिणमन (ट्रांसफार्मेशन) और वितरण से होने वाला जो नुकसान 1963-69 में खपत के लिये उपलब्ध ऊर्जा का 18·1 प्रतिशत था, उसमें 1969-70 में, जब यह प्रतिशत सिर्फ 16·8 था, कम होने की प्रवृत्ति देखी गई। आन्ध्र प्रदेश बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में नुकसान अखिल भारतीय औसत से अधिक थे। तथाकथित नुकसान की एक निश्चित मात्रा विद्युत के पारेषण में निहित होती है चूंकि कुछ ऊर्जा की खपत विद्युत के पारेषण के दौरान हो जाती है। अधिक भारी नुकसान मौजूदा पारेषण और वितरण प्रणालियों के अधिभारित होने के कारण हैं क्योंकि वे उन बृहद् भारों को, जिनका निर्माण देश में सदर क्षेत्रों में हो रहा है, वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। अनेक राज्यों में पर्याप्त उच्च वोल्टता लाइनों के अभाववश निम्नस्तर वोल्टताओं पर लम्बी दूरियों में विद्युत का बड़ी मात्रा में पारेषण करना पड़ा और इसके कारण पारेषण से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। अधिक घाटों का कारण कुछ हद तक ऊर्जा की चोरी भी है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों का कार्य चौथी योजना में ही हाथ में लिया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में नुकसान में कमी लाने के लिये क्रमबद्ध प्रयत्न किये जा रहे हैं। क्षेत्रीय आधार पर राज्य विद्युत प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन से भी पारेषण और वितरण में होने वाले नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। कुछ राज्यों में ऊर्जा की चोरी के मामलों को पकड़ने और उनकी जांच करने के लिये सतर्कता संगठनों की स्थापना की गई है।

विद्युत उत्पादन योजनायें

3202. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कितनी विद्युत उत्पादन योजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पिछड़ गई हैं और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या आगामी दो योजनाओं की अवधि में विद्युत की आवश्यकताओं की कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) लगभग कुल 2·7 मिलियन किलोवाट की बीस विद्युत-जनन स्कीमों के, उनके चालू किये जाने के कार्यक्रम से, पीछे रह जाने की संभावना है और उन्हें मुख्यत. संयन्त्र और उपकरण की प्राप्ति में विलम्ब और कुछ हद तक सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण चौथी योजना के बाद की अवधि में ले जाया जाएगा।

(ख) सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय ने पांचवीं योजना (1976–7?) के अन्त तक लगभग 42 मिलियन किलोवाट की और दशक (1980–81) के अन्त तक 52 मिलियन किलोवाट की प्रतिष्ठापित विद्युत जनन क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। 21·8 मिलियन किलो-वाट की अतिरिक्त विद्युत जनन क्षमता में से 6·7 मिलियन किलोवाट संतत स्कीमों की और 15·1 मिलियन किलोवाट नई स्कीमों की होगी। 21·8 मिलियन किलोवाट की कुल अतिरिक्त क्षमता में

से, 8·6 मिलियन किलोवाट जल से, 11·8 मिलियन किलोवाट ताप से और 1·4 मिलियन किलोवाट परमाणु संयंत्रों मे होगी।

दशक योजना (1971–81) क्षेत्रीय आधार पर तैयार कर ली गई है और उसमें अधिकतम विश्वसनीयता और किफायत के लिये ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों बीच संतुलन प्राप्त करने के लिये प्रयास किया गया है। योजना में क्षेत्रीय असंतुलन हटाने का प्रयास भी है। विद्युत जनन स्कीमें निश्चित कर दी गई हैं और पंपकृत संचय, विद्युत संयंत्रें आदि जैसे नये तकनीकी कार्य सम्मिलित कर लिए गये हैं।

जबकि 1972–77 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान विद्युत विकास के विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये जा चुके हैं, दशक योजना की शेष अवधि के लिये और छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षो (1981–84) के लिये ऐसे प्रस्ताव तैयार किये जाने शेष रहते हैं।

(ग) विद्युत विकास के लिए पांचवीं योजना के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अन्तिम आकार अभी दिया जाना है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में कोयले की चोरी में अन्तर्ग्रस्त रेलवे अधिकारी

3203. **श्री दिनेश चंद्र गोस्वामी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मार्च में पूर्वोत्तर रेलवे में कोयले की चोरी के मामले में कतिपय उच्च रेलवे अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उन अधिकारियो को दण्ड दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमंतैया) : (क) रेलवे के कोयले को गैर कानूनी तौर पर रखने के कारण रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत 13 मार्च 1972 को डिबरुगढ़ कारखाने में दो रेलवे खलासी गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) डिबरुगढ़ कारखाना स्थित रेल सुरक्षा दल की चौकी में रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

आसाम में पटसन मिलों के लिए स्वीकृत तकुओं की संख्या

3204. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या विदेश व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में पटसन मिलों के लिये 3,000 तकुए मंजूर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : आसाम सहकारी पटसन मिल, नौगाँग को एक आशय-पत्र जारी किया है जिसमें 150 करघे लगाकर क्षमता का विस्तार करने की अनुमति दी गई है। इससे 2120 अतिरिक्त तकुए लगाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, आसाम के पटसन मिल के लिए कोई भी तकुआ मंजूर नहीं किया गया है।

उड़ीसा के लिए माल डिब्बों की कमी

3205. **श्री डी० के० पंडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लोह अयस्क खानों को लोह अयस्क की ढलाई के लिए वर्ष में औसतन कितने माल डिब्बों की आवश्यकता होती है और उस अवधि में उनको कितने माल डिब्बे उपलब्ध किये जाते हैं; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) उड़ीसा के लोह अयस्क खानों के मालिकों द्वारा 1971-72 की अवधि में इस्पात संयंत्रों तथा निर्यात के प्रयोजन के लिए जितने माल डिब्बों की मांग की गयी उनकी दैनिक औसत संख्या 788 थी। इस अवधि में सप्लाई किये गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या 744 थी।

(ख) राज्य सरकार के सहयोग से रेल पथ तथा अन्य मेद्य खंडों की गहरी गश्त के जरिए पूर्वी क्षेत्र में गाड़ियों के संचलन को प्रभावित करने वाली समाज विरोधी तत्वों की विभिन्न गतिविधियों की घटनाओं को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से रक्षा सामानों को ढोने के लिए उपयोग में लाये जा रहे सिरे के डाले गिरने वाले माल डिब्बों को धीरे धीरे फिर से परिपथ पर लाया जा रहा है ताकि बड़ाजामदा क्षेत्र से निर्यात के लिए अयस्क की ढुलाई की जा सके। निर्यात अयस्क परिपथ पर और अधिक बी और एक्स माल डिब्बे लगाये गये हैं ताकि पारादीप पत्तन को माल की ढुलाई शीघ्र की जा सके।

क्लर्क ग्रेड I के अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से उन्हें स्थायी किये जाने के बारे में पश्चिमी रेलवे के उपमुख्यलेखाधिकारी, अजमेर को दिया गया अभ्यावेदन

3206. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड** : क्या रेल मंत्री क्लर्क ग्रेड I के अराजपत्रित कर्मचारियों की ओर से उन्हें स्थायी किये जाने के बारे में पश्चिम रेलवे के उप-मुख्य लेखाधिकारी, अजमेर को दिये गये अभ्यावेदन के बारे में 8 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1608 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : **(क) और (ख)** : स्थायीकरण के लिए श्री मांगी लाल रस्तोगी, क्लर्क ग्रेड I के अभ्यावेदन की जांच करने पर पता चला कि एक और कर्मचारी, श्री जी० सी० चतुर्वेदी है जो उससे वरिष्ठ है और स्थायीकरण के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। कतिपय कारणों से इससे पहले श्री चतुर्वेदी के स्थायीकरण के विषय में विचार नहीं किया जा सका। अब यह विनिश्चय किया गया है कि उसे पूर्वव्यापी स्थायीकरण का लाभ दिया जाये। इसके बाद श्री रस्तोगी के स्थायीकरण के मामले पर विचार किया जायेगा।

आसाम को माल डिब्बों की सप्लाई

3207. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि माल-डिब्बों की कमी के कारण सप्लाई न होने से आसाम में सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो आसाम के लिए माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1971-72 के दौरान असम को जाने वाली सामान्य माल यातायात पर विभिन्न असामाजिक गतिविधियों के कारण पूर्वी क्षेत्र में गाड़ियों के चलन में अनेक प्रकार की अव्यवस्था के फलस्वरूप बहुत बुरा असर पड़ा । केवल पूर्व रेलवे पर दिसम्बर, 71 तक लगभग 20,000 माल डिब्बे रुके रहे जिसके कारण माल डिब्बों की आम कमी हुई । पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर विस्तृत बाढ़ और लाइन की टूट-फूट तथा शरणार्थियों के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक माल की भारी ढुलाई तथा सेना के भारी यातायात के कारण स्थिति और भी बिगड़ गयी । व्यापारियों द्वारा दर्ज कराये गये मांग पत्र की संख्या में भारी उतार-चढ़ाव हुआ क्योंकि रेलों ने बिना किसी सीमा के माँग-पत्रों के निःशुल्क दर्ज कराने की अनुमति दे दी थी । कानून और व्यवस्था में सुधार होने और अनेक विशिष्ट यातायात के रुख में कमी हो जाने से असम को माल यातायात की ढुलाई में वृद्धि करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं । उदाहरणार्थ, जनवरी, 1972 से 10 अप्रैल, 1972 तक की अवधि में असम क्षेत्र को खाद्यान्न के बड़ी लाइन के 3454 और मीटर लाइन के 2205 माल डिब्बे, सीमेन्ट के बड़ी लाइन के 1812 और मीटर लाइन के 779 माल डिब्बे, नमक के बडी लाइन के 520 और मीटर लाइन के 647 तथा चीनी के मीटर लाइन के 2038 माल डिब्बे भेजे गये ।

दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रैस को बड़ौदा स्टेशन पर रोकना

3208. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों को गाड़ी पकड़ने व उससे उतरने की सुविधा प्रदान करने के लिये दिल्ली-बम्बई राजधानी एक्सप्रैस गाड़ी को बड़ौदा स्टेशन पर रोकने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

आंध्र प्रदेश में जल की कमी

3209. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि जल की सप्लाई में भारी कमी से आन्ध्र प्रदेश में उद्योग और कृषि के सामने संकट आ गया है;

(ख) यदि हां, तो यह संकट किस प्रकार का है तथा कितना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट का सामना करने तथा इस समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ) : नागार्जुनसागर के स्तर के बहुत नीचे गिर जाने के कारण नागार्जुनसागर नहरों और कृष्णा डेल्टा में मूंगफली के लगभग 7 लाख एकड़ और चावल की दूसरी फसल के 4 लाख एकड़ को जल सप्लाई के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार ने के केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी थी। मामला मैसूर सरकार के साथ उठाया गया था और नागार्जुनसागर जलाशय में स्तर को बनाये रखने के उद्देश्य से तुंगभद्रा जलाशय से जल की निकासी विशेष रूप में की गई है।

मद्रास डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में वाणिज्यिक क्लर्कों की कमी

3210. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरकोणम साल्ट कोटारास (मद्रास) काटपाडि और इण्डियन आयल कम्पनी साइडिंग, मद्रास (दक्षिण रेलवे) में वणिज्यिक क्लर्कों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रत्येक स्टेशनों में, श्रेणी वार वाणिज्यिक क्लर्कों की सख्या कितनी है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : काटपाडी और भारतीय तेल कम्पनी साइडिंग में वाणिज्यिक क्लर्कों की कोई कमी नहीं है। अरकोणम और साल्ट कोटर्स स्टेशनों पर कार्यभार में वृद्धि हुई है। इन स्थानों पर अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव पहले से विचाराधीन हैं।

(ग) **पदों की संख्या**

ग्रेड रुपये	अरकोणम	साल्ट कोटर्स	काटपाडी	भारतीय तेल कं. साइडिंग
335–425	—	1	—	—
250–380	2	3	1	—
205–280	6	20	40	—
150–240	31	54	16	—
110–200	27	65	10	3
110–200 (छुट्टी एबजी)	14	29	8	—

रेलवे बोर्ड कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों को समयोपरि भत्ता देना

3211. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मंत्री रेलवे बोर्ड और पश्चिम रेलवे के विभागीय कार्यालयों में टाइपिस्टों को मानदेय समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों को जो टाइपिस्टों का भी काम करते हैं किस दर पर मानदेय और समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है; और

(ख) क्या भारतीय रेलवे के मण्डलीय कार्यालयों में ऐसी ही स्थितियों में टाइपिस्टों के लिये भी मानदेय और समयोपरि भत्ते की वही दर लागू हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) मानदेय विरल एवं सविरामी स्वरूप के विशेष रूप से श्रमसाध्य कार्य के लिए दिया जाता है। इसके लिए कोई विशेष दर निर्धारित नहीं है।

काम के निर्धारित घंटों के बाद पहले एक घन्टे के लिए कोई समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाता है। इस पहले घन्टे के बाद, रेलवे बोर्ड कार्यालय के निम्न श्रेणी क्लर्कों को, उनकी परिलब्धियों के आधार पर 1·25 रुपये से लेकर 1·80 रुपये प्रति घन्टे की विभिन्न दरों से समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(ख) जी नहीं। भारतीय रेलों में मण्डल कार्यालयों के टाइपिस्ट काम के घंटे विनियमों के उपबन्धों से शासित होते हैं जिसके अनुसार टाइपिस्टों सहित लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को एक पखवारे में 108 घन्टे से अधिक काम करने के लिए उनके वेतन की सामान्य दर से डेढ़ गुना की दर पर समयोपरि भत्ते का भुगतान किया जाता है।

अजमेर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) में तृतीय श्रेणी के बुकिंग कार्यालय में कार्यभार

3212. **चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के स्टेशनों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के कार्य के मूल्यांकन के बारे में 18 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर बुकिंग कार्यालय की आरक्षण तथा पी० टी० ओ० खिड़की से 1 अप्रैल, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक 6 बजे म० पू० से 6 बजे म० पू० तक कितने आरक्षण किये गये तथा कितने पी० टी० ओ० जारी किये गये और कितने लगेज टिकट बेचे गये थे; और

(ख) क्या तीसरी श्रेणी के बुकिंग कार्यालय के आरक्षण क्लर्क को अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त जनता द्वारा की जाने वाली पूछताछ का उत्तर भी देना पड़ता है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) 31 अक्तूबर, 971 तक के आंकड़े निम्नलिखित है :—

महीना	किये गये गये आरक्षण	बदले गये पी० टी० ओ०	जारी किये गये सामान्य टिकट
अप्रैल, 71	3159	1622	194
मई, 71	5116	1733	222
जून, 71	4468	1746	201
जुलाई, 71	3529	1417	165
अगस्त, 71	3979	1496	151
सितम्बर, 71	3199	1114	173
अक्तूबर, 71	3593	1315	71

(ख) अपनी ड्यूटी के एक भाग के रूप में, आरक्षण-क्लर्क सार्वजनिक पूछ-ताछ का भी ाम सम्हालता है।

राज्यों को सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देना

3213. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में राज्यों की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं की जाँच करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि किस आधार पर निश्चित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : इंजीनियरी कार्मिकों को अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, 1971-72 के दौरान, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत परियोजनाओं के अन्वेषण के लिए राज्य सरकारों को दी गई विशेष केन्द्रीय ऋण सहायता का विवरण संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को कोई ऐसी सहायता अभी तक नहीं दी गई है।

(ग) राज्य सरकारों को ऋण सहायता की मात्रा सुनिश्चित करते समय ऐसी बातें ध्यान में रखी गई हैं, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत संबंधी उन परियोजनाओं की संख्या जो अन्वेषणाधीन है, रोजगार में लगे तकनीकी कर्मिकों की संख्या और सम्बद्ध राज्यों द्वारा सूचित किए गए वास्तविक व्यय।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	धन राशि लाख रुपये
1	आंध्र प्रदेश	25
2	असम	5
3	बिहार	40
4	गुजरात	28
5	हरियाणा	12
6	जम्मू व काश्मीर	5
7	केरल	12
8	मध्य प्रदेश	40
9	महाराष्ट्र	27
10	मैसूर	25
11	उड़ीसा	20
12	पंजाब	15
13	राजस्थान	25
14	तमिलनाडु	42
15	उत्तर प्रदेश	30
16	पश्चिम बंगाल	19
17	हिमाचल प्रदेश	30
	कुल	400

Setting up a Bench of Allahabad High Court at Meerut

3214. **Shri Ram Chandra Vikal :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether a proposal is under the consideration of Goverment to set up a Bench of the Allahabad High Court at Meerut; and

(b) if so, the time by which it will be set up ?

The Minister of Law and Justice and Petroleum and Chemicals (Shri H. R. Gokhale) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Construction of an under-bridge at Sahdol Railway Station (Madhya Pradesh)

3215. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there was any scheme to construct an under-bridge at Sahdol Railway Station (Madhya Pradesh) and a survey was also made in this regard; and

(b) if so, the reasons for not undertaking the work so far ?

The Minister of Railways (Shri K. Hanumanthaiya) : (a) and (b) : A tentative proposal for construction of a road under-bridge at Sahdol Railway Station is under consideration of the Railway Administration in consultation with the Government of Madhya Pradesh. It is still in the preliminary stage of investigation.

हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा कर रही एक युवती की मृत्यु के बारे में जांच

3216. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि आँध्र मैडिकल कालेज, विशाखापत्तनम की एम० बी० बी० एस० की अन्तिम वर्ष की छात्रा कुमारी के० घनलक्ष्मी 27 मार्च, 1972 की रात को हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस रेलगाड़ी में तीसरी श्रेणी की शायिका में यात्रा करती हुई लापता हो गयी थी और उसका शव बाद में 3 अप्रैल, 1972 को गोदावरी के कोऊर की ओर के तट पर पाया गया था।

(ख) क्या इस घटना की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में जो दो मामले दर्ज किये गये थे, उनकी आन्ध्र प्रदेश अपराध शाखा, खुफिया विभाग, हैदराबाद द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और मृत्यु का कारण तथा अपराधियों, यदि कोई हों, का पता लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि लाश बहुत ही विकृत हालत में पायी गयी थी अतः शव परीक्षा में भी मृत्यु का सही कारण प्रमाणित नहीं किया जा सका।

Supply of Electricity to Madan Park in Delhi

3217. **Shri L. D. Kotoki : :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Manohar Park and Ashoka Park, Delhi-35 are being supplied electricity on regular basis;

(b) whether Madan Park which is located in between the two colonies is not being supplied electricity on regular basis;

(c) whether electricity development charges being realised in Madan Park are higher than those realised in Manohar Park and Ashoka Park; and

(d) if so, the reasons for discrimination ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Yes, Sir.

(b) Madan Park has not yet been electrified.

(c) & (d) : The developmental charges for Madan Park have not yet been assessed. As per policy laid down by DESU, the developmental charges payable for electrification of any locality are worked out on the basis of 50% of the estimated cost of electrification and would depend on a number of variable factors like built up area, length of HV & LV distribution lines sub-station capacity required etc. The developmental charges for electrification, therefore, vary from colony to colony.

झंझरपुर और तमुरिया स्टेशनों के मध्य दीप में और फोफरडीहा और निरमीली स्टेशनों के बीच पारसा में रेलवे हाल्ट स्टेशनों की व्यवस्था

3218. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत झंझरपुर और तमुरिया स्टेशनों के मध्य दीप में और फोफरडीहा और निरमीली स्टेशनों के मध्य पारसा में रेलवे हाल्ट स्टेशनों की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

राजस्थान में पम्प सेट्स की आवश्यकता

3219. **श्रीमती कृष्णा कुमारी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) राजस्थान में 31 मार्च, 1971 तक कुल कितने पम्प सेट्स चालू किये गये;

(ख) राजस्थान में ऐसे पम्प सेट्स की अनुमानतः कुल आवश्यकता कितनी है; और

(ग) चौथी योजना में कुल कितने पम्प सेट्स चालू करने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील): (क) से (ग): पम्प सेटों

के विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिए धन का प्रावधान राज्य योजना के परिव्ययों से किया जाता है। राज्य विद्युत बोर्ड की विशिष्ट ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा केन्द्रीय सेक्टर में अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य योजना परिव्यय के प्रति ऐसा अनुमान लगाया गया है कि चौथी योजना के दौरान राजस्थान में 35000 पंप सेटों को ऊर्जित किया जायगा। जुलाई 1969 से निगम ने राजस्थान के लिए अब तक 22538 पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिये 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 3120 पम्पसेटों के विद्युतीकरण की दो और स्कीमें निगम के विचाराधीन हैं। राज्य अधिकारी आशा करते हैं कि ऊपर निर्दिष्ट 60658 पम्पसेटों की कुल आवश्यकता में से चौथी योजना के दौरान लगभग 60000 पम्पसेट ऊर्जित कर दिये जायेंगे।

राज्यों में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

3220. **श्रीमती कृष्णा कुमारी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत में भारी असमानता को देर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) राजस्थान में चालू वर्ष के अन्त तक तथा आगामी दो वर्षों में विद्युत को प्रति व्यक्ति कितनी खपत बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) :

(क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1970-71 में प्रतिव्यक्ति खपत यूनिट
राजस्थान	46
दिल्ली	264
पश्चिली बंगाल	115
तमिलनाडु	132
पंजाब	144
महाराष्ट्र	157
गुजरात	137

(ख) कृषि तथा उद्योग सम्बन्धी विकास की गति में तेजी लाना और अधिक क्षेत्रों का विद्युतीकरण करना और अतिरिक्त विद्युत जनन स्मीमों को स्वीकृति प्रदान करना। मह याद रखना होगा कि किसी राज्य में विद्युत-जनन में तो प्रतिष्ठापित अतिरिक्त क्षमता द्वारा वृद्धि लाई जा सकती है लेकिन खपत में वृद्धि के लिए लोगों द्वारा, विशेष रूप से उद्योग और कृषि में, अतिरिक्त धन लगाने की आवश्यकता है।

(ग) राजस्थान में प्रति व्यक्ति खपत को चालू वर्ष के अन्त तक लगभग 60 यूनिट तक और 1973-74 तक लगभग 75 यूनिट तक बढ़ा दिया जाएगा।

राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण

3221. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **सिचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कुल कितने गांवों में बिजली नहीं है;

(ख) 197 के अन्त तक उनमें से कितने गावों में बिजली लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या राजस्थान में ग्राम्य विद्युतीकरण के लिये सरकार को कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : **(क) और (ख)** : राजस्थान में 32241 ग्रामों में से मार्च 1972 तक 4164 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। शेष 28077 ग्रामों में से जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, 1972-73 के दौरान 600 ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार है।

(ग) और (घ) : चतुर्थ योजना के दौरान पम्पों के विद्युतीकरण पर बल दिया जाना जारी है। ग्रामों का विद्युतीकरण इस कार्यक्रम का एक गौण भाग है। राज्य योजना में, 35000 पम्पों के विद्युतीकरण के लिए 14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्राम विद्युतीकरण निगम की सहायता से, जो कि ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की गति में तेजी लाने के लिये योगात्मक धन देने के हेतु, जुलाई 1969 से केन्द्रीय सेक्टर में स्थापित किया गया है तथा अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भर करते हुए राज्य सरकार के अधिकारी यह उम्मीद करते हैं कि वे चतुर्थ योजना के दौरान लगभग 3500 ग्रामों और 60000 पम्पों का विद्युतीकरण कर देंगे। चतुर्थ योजना के आरम्भ से, लगभग 30000 पम्प और 2000 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं; चतुर्थ योजना के शेष दो वर्षों के दौरान शेष 30000 पम्पों और 1500 ग्रामों के विद्युतीकरण से राजस्थान मे चतुर्थ योजना के अन्त में विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या 22000 और विद्युतीकरण पम्पों की संख्या 69000 हो जायेगी। जुलाई, 1969 से ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राजस्थान में 16 स्कीमें स्वीकृत की हैं जिनमें 1010 ग्रामों और 22538 पम्पों के विद्युतीकरण के लिए तथा 2439 लघु तथा कृषि उद्योगों को बिजली देने के लिये लगभग 859 लाख रुपये की ऋण सहायता की परिकल्पना की गई है।

एर्णाकुलम क्विलोन-त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन-पुनालूर सेक्शनों पर रेलगाड़ियों में भारी भीड़ के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयां कम करने का प्रस्ताव

3222. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मन्त्री 21 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में एर्णाकुलम क्विलोन-त्रिवेन्द्रम और क्विलोन-पुनालूर सेक्शनों पर रेलगाड़ियों में भारी भीड़ के कारण यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री के० हनुमन्तैया) : 13-3-72 से 189 डाउन/190 अप एरणाकुलम तिरुवनन्तपुरन सवारी गाड़ी के डिब्बों में वृद्धि कर दी गई है। कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम के बीच

748 अप तिरुवनन्तपुरम–कोल्लम सवारी गाड़ी 761 डाउन कोल्लम–तिरुवनन्तपुरम सवारी गाड़ी 745 डाउन/746 अप कोल्लम–तिरुवनन्तपुरम सवारी गाड़ी और कोल्लम तथा कोटटायम/एरणाकुलम के बीच 880 अप एरणाकुलम-कोल्लम सवारी गाड़ी, 885 डाउन कोटटायम-कोल्लम सवारी गाड़ी और 887 डाउन एरणाकुलम-कोट्टायम सवारी गाड़ी के डिब्बों में वृद्धि करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

पाइप लाइन जांच आयोग के समक्ष दिये गये कतिपय कथित वक्तव्य

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पाइप लाइन जांच आयोग के समक्ष पैट्रोलियम मन्त्रालय की ओर से पेश होते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय के वकील ने जो टिप्पणी की थी, उसके बारे में आपने जांच करने का आश्वासन दिया था। इस बारे में लिये गये निर्णय से हमें अवगत करना चाहिए। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने के लिए कहा गया था, जिससे इस मामले से सम्बन्धित तथ्य का पता लग सके। हमें यह विदित नहीं है कि अब मामला किस स्थिति में है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमण्ड हार्बर) : इस मामले के बारे में विशेषाधिकार के प्रस्ताव का क्या हुआ ? मन्त्रालय के वकील द्वारा विशिष्ट सभा पर एक प्रकार से आक्षेप लगाया गया है जो एक बहुत गम्भीर मामला है। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए, जो इस मामले में सच्चाई का पता लगाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारी शिकायत वकील के विरुद्ध नहीं है बल्कि मन्त्रालय के विरुद्ध है जिसने वकील को पाठ पढ़ाया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : विशेषाधिकार समिति को इस बात का पता लगाना चाहिए कि आयोग के सामने जो कुछ कहा गया था, वह सत्य था अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला सदन में उठाया गया था तो मैंने स्थिति स्पष्ट की थी।

मुझे न्यूज एजेंसी के सम्बद्ध संवाददाता से सूचना मिली है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रकाशित समाचार सच था। मैंने सम्बन्ध मन्त्री से भी सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने बतलाया कि वकील इस बात से इन्कार करता है। अतः मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे इस मामले में आयोग के अध्यक्ष से जानकारी प्राप्त करें। आयोग ने सूचित किया है कि वह कार्यवाही का विस्तृत रिकार्ड नहीं रखता। मैं इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

वकालत का पेशा इतना अधिक विस्तृत है कि वकीलों को पूरे संरक्षण की आवश्यकता है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विशेषाधिकार समिति को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपना निर्णय दे। यदि यह आवश्यक समझे तो वह इस मामले में मुझसे भी सलाह कर सकती है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि वकील ने ऐसा नहीं

किया लेकिन यदि उसने ऐसा कहा भी है तो वकीलों का पेशा तो न्यायालय अथवा आयोग के सामने विवेचन करने का है। वे अपने पेशे में स्वतन्त्रता से काम करते हैं। आशा है समिति इस ओर ध्यान देगी। अत: मैं यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना और काफी बोर्ड के प्रमाणित लेखे

विदेश व्यापार मन्त्रालयमें उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्द गांव के प्रबन्धक के बारे में एस० ओ० 248 (ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1972 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1786/72]**

(दो) बंगाल नागपुर काटन मिल्स लिमिटेड, राजनन्द गांव, के प्रबन्ध के बारे में एस० ओ० 251 (ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 अप्रैल 1972 में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1787/72]**

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1788/72]**

अनुदानों की मांगें 1972-73

Demands for Grants, 1972-73 contd.

संचार मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : अब संचार मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों को मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान होगा।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं संचार विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मन्त्रालय की रिपोर्ट तैयार करते समय मन्त्रालय के कार्य की पूरी जानकारी दी जानी चाहिये। 1970 71 की रिपोर्ट बहुत ही प्रभावशाली दस्तावेज है जबकि 1971-72 की रिपोर्ट में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। अत: आगामी वर्ष से प्रतिवेदनों की तैयारी के लिये 1970-71 की पद्धति को फिर से अपनाया जाना चाहिए।

1970-71 में 21 करोड़ का लाभ हुआ है और 1971-72 में 35 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और 1972-73 में 45 करोड़ रुपये का लाभ होने की सम्भावना है। यह एक असाधारण उपलब्धि है।

डाक तथा तार विभाग से निराशा हुई है और फिर भी डाक तथा तार विभाग को समाप्त

नहीं किया गया है। यह ठीक है कि कुछ क्षेत्रों की गतिविधियों का यदि गाँवों में विस्तार किया जाये, तो वह घाटे में ही रहते हैं।

दूर-संचार व्यवस्था इस विभाग और समूचे राष्ट्र को चुनौती दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग ने चुनौती को स्वीकर कर लिया है। लेकिन अभी भी साढ़े तीन लाख व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने हैं।

माननीय मन्त्री ने उल्लेख किया है कि स्वीच का कारखाना 1972-73 में स्थापित किया जायेगा लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कारखाना कि। जगह स्थापित किया जायेगा। यदि वह कारखाना केरल में स्थापित किया जाये, तो उस राज्य की सबसे बड़ी समस्या हल हो सकती है।

जब कभी किसी स्थान पर कारखाना स्थापित किया जाये तो उसमें उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर तथा निम्न स्तर के पदों में नियुक्ति के लिए उस क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

डाक तथा तार विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कारखानें स्थापित किये हैं। सभी राज्यों में एक एक कारखाना है उत्तर प्रदेश में दो हैं। मैं उत्तर प्रदेश के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु छोटे राज्यों के दावों पर भी विचार होना चाहिये। मुझे यही कहना है कि 1972-73 में कारखाना स्थापित करते समय केरल के दावे पर विचार किया जाना चाहिये।

मैं डाक विभाग के कर्मचारियों की भी बात करना चाहता हूं। देश में विभागीय डाकघरों की संख्या लगभग 78293 है और प्रायोगिक डाकघरों की संख्या 30,000 है। इनके साथ ही अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या लगभग 31,000 है। विभागीय डाकघरों में लगभग 1,74,000 कर्मचारी कार्य करते हैं और अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के कर्मचारियों की संख्या 2 लाख के लगभग है। हमें देखना है कि हम इन के साथ न्याय कर रहे हैं। अथवा नहीं। एक एक सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसकी सिफारिशों पर विचार करके उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के कर्मचारियों के महगाई भत्ते में केवल मात्र 3 रुपये की वृद्धि की गई जबकि विभागीय डाकघरों के कर्मचारियों को अधिक वृद्धि मंजूर की गई। यह अन्याय है। इससे असन्तोष फैलता है। इस सदन और राष्ट्र का इस समस्या को हल करना है। डाकतार कर्मचारियों को 1970-71 का वेतन बिल 150 करोड़ रुपये था परन्तु 1971-72 के आंकड़े नहीं बताये गये हैं! विभागीय, अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के वेतन-बिलों के आंकड़े और कार्य-भार के आंकड़े भी नहीं बतलाये गये हैं। अतः यह सारी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिये जिससे कि स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके और उसक बारे में सुझाव दिये जा सकें।

इस विभाग की सेवा का मूल्यांकन उसकी दक्षता से हो सकता है और दक्षता का संबंध औद्योगिक सम्बन्धों से है। इस विभाग में दो यूनियनें हैं जिसमें से एक की मान्यता वापस ले ली गई थी परन्तु अब फिर से वह मान्यता दे दी गई है। दोनों यूनियनों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। एक यूनियन को विभाग के बाहर के व्यक्ति को नेता बनाने की अनुमति दी गई है जबकि दूसरी यूनियन को वह अनुमति नहीं है। हर उचित मांग की पूर्ति संभव सीमा तक

की जानी चाहिए । इस प्रकार के सरकारी उपक्रम में अनुशासन होना चाहिये । सेवा में सुधार होना चाहिये । जनता के मन पर इस विभाग के बारे में अच्छा चित्र नहीं है, उसको सुधारा जाना चाहिये ।

यूनियन की कार्यवाहियां होनी चाहियें पर आज प्रवृत्ति यह दिखाई देती है कि किसी भी आन्दोलन अथवा प्रदर्शन के समय डाकघर को सभी प्रकार के झंडों आदि से सजा कर पार्टी कार्यालय का रूप दे दिया जाता है । समझ में नहीं आता कि यह विभाग की नीति है अथवा विभाग की कमजोरी है । यदि इसे नहीं रोका गया तो यह प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जायेगी और प्रत्येक डाकघर यूनियनों के झगड़ों का अड्डा बन जायेगा । हमें ऐसी नीति बनानी चाहिये कि यूनियन का अपना अलग कार्यालय होना चाहिये और उसे डाकघर के भवन का प्रयोग नहीं करने देना चाहिये । डाकघर जनता के उपयोग के लिये हैं जनता को ही इनका उपयोग करना चाहिये । अन्तः यूनियन झगड़े रोज रोज बढ़ रहे हैं । एक यूनियन की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप 1968 में उसकी मान्यता वापस ले ली गई थी परन्तु बाद में फिर मान्यता दे दी गई । वह यूनियन दूसरी यूनियन में दाखिल होने वाले कर्मचारियों के प्रति हिंसा का प्रयोग करती है । काम पर आने वाले लोगों को घेरा जाता है उन्हें पीटा जाता है । इस प्रकार पिटने वाले लोगों को विभागीय संरक्षण मिलना चाहिये । इसके लिये अपेक्षित है कि यूनियनों की कार्यवाहियां हिंसा आदि से मुक्त होनी चाहियें । इस बारे में कुछ निश्चित सिद्धाँत होने चाहिये ।

सर्किल का मुख्य अधिकारी यदि अपने सर्किल में अनुशासन सुनिश्चित नहीं कर सकता तो उसे उस पद पर नहीं रहना चाहिये । क्योंकि इससे अन्ततः विभाग की सेवा पर प्रभाव पड़ता है ।

श्री फूलचन्द वर्मा : उठे

अध्यक्ष महोदय : जनसंघ के लिये 8 मिनट का समय नियत था परन्तु माननीय सदस्य पहले ही 4 मिनट ले चुके हैं । फिर जब सदस्य का नाम बुलाया जाये और वह उस समय उपस्थित न हो तो कोई ऐसा नियम नहीं कि उसका नाम फिर से पुकारा जाय । समझ में नहीं आता कि वे बार बार इस प्रकार क्यों खड़े हो जाते हैं ।

Smt. Sahodrabai Rai (Sagar) : Many a demands have been raised for telephone facilities in Sagar and Damoh Districts of Madhya Pradesh. But no action has so far been taken in this direction. Actually there should be a telephone in every locality with 4.5 thousands of population.

There is lack of Post offices in our villages. It takes eight days to reach letters and telegrams in Villages. Therefore, more post offices should be opened Village Postmen should be provided with a cycle so that they could attend their work more promptly.

Women should be employed in Post offices in big cities and localities. They work with more sincerity.

No arrangements have so far been made for providing telephones to M. P.'s at their constituencies. We are hampered in our work due to lack of this facility. Our country has become independent but in fact independence has not yet reached the villages. We should ensure such steps which awaken people and independence marches towards villages.

श्री समर गुह (कन्टाई) : टेलीफोन सलाहकार समिति कलकत्ता का सदस्य होने के नाते

मुझे इस विभाग के कार्यकरण का ज्ञान है। मेरा विचार है कि जो दिक्कतें, कलकत्ता में हैं वह दिल्ली, मद्रास और अन्य बड़े शहरों में भी होंगी। टेलीफोनों के गलत कनैक्शन, क्रास कनैक्शन तथा कनैक्शन न मिलना आदि आम शिकायतें हैं। टेलीफोन की विशेष सेवाओं की स्थिति तो और भी खराब है। गलत बिलों की भी बहुत शिकायतें आती हैं। जब भी इनके बारे में विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके इसमें सुधार करने को कहा जाता है तो इसके दो कारण बताये जाते हैं। एक तो मानवीय असफलता और दूसरा मशीनी असफलता। दूसरी असफलता के बारे में अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि फालतू पुर्जे नहीं मिलते, सरकार द्वारा नये उपकरण नहीं दिये जाते। समझ में नहीं आता कि यह कारण ठीक हैं अथवा नहीं।

जहां तक मानवीय असफलताओं की बात है, मैंने टेलीफोन सलाहकार समिति की पिछली तीन-चार बैठकों में इसे ठीक करने के प्रयास किये, पर असफल रहा। मैंने कुछ ठोस सुझाव भी दिये। परन्तु मैंने पाया कि श्रमिकों की उपस्थिति रजिस्टर रखे जाने, लाईनों, उपकरणों आदि के दोषों की जांच के लिए एक अधीक्षक दल की नियुक्ति आदि के सुझाव विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किये। मेरा सुझाव था कि मानवीय असफलताओं के बारे में श्रमिकों के साथ पाक्षिक बैठकें करके उनसे बातचीत की जाये। इसे भी अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। मेरा यह अनुरोध है कि इस दिशा में मंत्री महोदय कुछ कार्यवाही करें। यह समस्याएं केवल कलकत्ता टेलीफोन केन्द्र की ही नहीं हैं बल्कि सभी बड़े शहरों की ये सामान्य समस्याएं हैं।

मेरा यह भी सुझाव है कि टेलीफोन सलाहकार समिति में श्रमिकों के तीन प्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिये। इससे हमें श्रमिकों की समस्याएं सीधी पता लगेंगी और उन्हें हल करने के प्रयास किये जा सकेंगे।

नये टेलीफोनों के लिए लाखों आवेदन-पत्र पड़े हैं। इनमें कुछ विशेष वर्ग हैं जैसे कि सहकारी समितियां, लघु-उद्योग, डाक्टर आदि। इस नीति में सुधार होना चाहिये। आवेदन पत्र पर विचार करते समय आवेदन द्वारा दिये जाने वाले आयकर, पूंजीगत निवेश, डाक्टरों की अर्हताओं आदि पर विचार करके तब उन्हें कनैक्शन मिलना चाहिये। क्योंकि इस बारे में बहुत ढोंग चल रहा है।

कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 2000 रुपये खर्च कर सकता है तो उसे टेलीफोन कनैक्शन मिल जाता है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये। एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिससे टेलीफोन परामर्शदात्री समिति का कोई भी सदस्य तीन या चार टेलीफोनों से अधिक की सिफारिश न कर सके।

कुछ देहाती क्षेत्रों में डाक वितरण की पद्धति अच्छी है परन्तु कुछ क्षेत्रों में डाक एकत्र करना तथा डाक का वितरण करना बहुत कठिन है। प्रत्येक डाकघर में हरकारों तथा चपरासियों के लिए एक जीपकार अथवा मोटर साईकल अथवा स्कूटर अथवा साईकल की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे डाक वितरण तथा डाक एकत्र करने का कार्य शीघ्रता से किया जा सके।

देहाती क्षेत्रों के डाकघरों में अल्प बचत की काफी गुंजाइश है, बशर्ते यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाये और वह इस बात पर सहमत हो कि अल्प बचत की 75 प्रतिशत राशि स्थानीय सुधार पर व्यय की जाये।

सरकार को अल्प बचतों, राष्ट्रीय एकता, परिवार नियोजन तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिये विज्ञापन देने हेतु पोस्ट कार्डों तथा अन्य वस्तुओं का लाभ उठाना चाहिये ।

Shri Ramkanwar (Tonk) : The number of Post offices in Rajasthan and particularly in Jaipur, Tonk, Sawai Madhopur, Ajmer and in several other districts is very inadequate. Even in those places where the post office exists there is no proper building for the employees to work and they experience great difficulties in carrying out their duties. Hired buildings of the Post office an generally dark and there is no proper lighting arrangements there.

Secondly, as I had suggest during last budget session, arrangements should be mad to provide...post office at each Panchayat headquarter and the employees should be instructed to write letters and till money order forms of the illitrate people.

There is found accute shortage of moneyorder forms, Postal Tickets and Registry forms at the post offices, consequently people have to face diffiulties. The matter should be looked into.

The Government should arrange for the Pco S to function for all the 24 hours and to provide Pco at each big town at a suitable place to facilitate the traders.

There is a sift going on between the officers and low grade employees, especially of scheduled castes, in Telegraph office Jaipur. I would like the Government to look into such complaints and true action against the defaulters.

The Postman has to cover a large area. The work load should be reduced either by providing two postman there or by dividing the area.

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : संचार मंत्रालय के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उसके लिये धन्यवाद देता हूं । हमारा देश बहुत बड़ा देश है । इन अनुदानों से सम्बन्धित सामान्य मांगें संचार सेवा को अधिक व्यापक तथा प्रभावशाली बनाने के लिये की गयी हैं ।

नगरों और शहरों के अतिरिक्त हमारे देश में लगभग 7 लाख गांव हैं । डाकघरों की कुल संख्या 1,09,059 है । सामान्य मांग यह की गई है कि डाकघरों के भवन अच्छे हों तथा कर्मचारियों के लिये उनमें पर्याप्त स्थान हो । कर्मचारियों को पर्याप्त स्थान प्रदान करने के सम्बन्ध में किसी को भी शिकायत नहीं हो सकती । यदि समस्या को उसके वास्तविक रूप में देखा जाये तो ज्ञात होता है कि ऐसा किया जाना बहुत ही दुष्कर कार्य है । हमारे पास जितने डाकघर हैं उनमें आधे से अधिक किराये के भवनों में चल रहे हैं । यदि पर्याप्त स्थान वाले सभी विभागीय डाकघरों का निर्माण कराया जाये, तो इसमें 231.32 करोड़ रुपये के लगभग लागत आयेगी । यह इतनी बड़ी राशि है जिसकी कोई भी योजना आयोग अथवा वित्त मंत्री केवल एकमद के लिये व्यवस्था नहीं कर सकता । देश के कर्मचारियों को, चाहे वे सरकारी हो, चाहे डाकघरों के हरकारे, चाहे वे किसी कार्यालय में काम करने वाले लिपिक हों अथवा संसद सदस्य, सभी को उन सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिये जिनके अन्तर्गत देश को सुन्दर भविष्य के लिये कार्य करना पड़ता है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य स्थिति की कठिनाइयों को समझेंगे और कर्मचारीगण कुशल डाक सेवा के मार्ग में कठिनाइयों के होते हुये भी हमें अपना सहयोग निर्बाध रूप में देते रहेंगे ।

प्रश्न पूछा गया है कि इस विभाग को लाभ कमाना चाहिये अथवा घाटे में चलना चाहिये, क्या इस विभाग को लोकोपयोगी होना चाहिये अथवा वाणिज्यिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिये ? इस विभाग का कार्यकरण लोकोपयोगी भी है तथा वाणिज्यिक भी। विभाग का कार्यकरण लोकोपयोग की सेवा से अलग नहीं किया जा सकता।

डाक-विभाग के घाटे में चलने के क्या कारण हैं ? उदाहरणार्थ मैं एक दो बातें बताना चाहता हूं। विभाग को एक पोस्टकार्ड का मूल्य 18·55 पैसा पड़ता है जबकि इसे 10 पैसे में बेचा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विभाग को एक पोस्टकार्ड पर 8.55 पैसे की हानि उठानी पड़ती है। प्रशुल्क जाँच आयोग ने यह सिफारिश की थी कि एक प्रतिशतता से परे राज सहायता नहीं दी जानी चाहिये परन्तु इस कार्य में हम उस प्रतिशतता से कहीं अधिक दूरी तक राज सहायता दे रहे हैं।

इसी प्रकार एक पंजीकृत समाचार पत्र पर डाक-व्यय 24.69 पैसे आता है जबकि हमें उससे केवल 3.50 पैसे प्राप्त होते हैं। प्रत्येक समाचार पत्र पर औसतन 21.9 पैसे का घाटा विभाग को उठाना पड़ता है। इस प्रकार सब मिलाकर विभाग को भारी हानि होती है।

दूसरे देशों की डाक दरों से अपने देश की तुलना की जाये तो पता चलता है कि हमारे देश में पोस्ट कार्ड का मूल्य 10 पैसे है जबकि पाकिस्तान में 15 पैसे, अदन में 27 पैसे, सिंगापुर में 33 पैसे, फ्रांस में 36 पैसे अमरीका में 40 पैसे, जर्मनी में 42 पैसे। समाचार पत्रों को दी जाने वाली राज सहायता की स्थिति भी ऐसी ही है। समाचार पत्रों पर टिकट लगाकर जो विभाग को शुल्क प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। भारत में 2 से 5 पैसे तक, पाकिस्तान में 8 पैसे, अदन में 16 पैसे, फ्रांस में 26 पैसे, ब्रिटेन में 45 पैसे तथा अमरीका में 44 पैसे के टिकिट समान वजन के समाचार पत्रों आदि पर लगाये जाते हैं। हमारे देश का यह विभाग विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे सस्ता है और सस्ता होते हुये भी इसने भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल सूक्षम होने का प्रयत्न किया है।

जहां तक विभाग से अलग के कर्मचारियों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि प्रत्येक संसदात्मक लोकतंत्र अथवा थोड़ी तानाशाही प्रवृत्ति से कार्य करने वाले सभी देशों में ऐसी व्यवस्था है। समाजवादी देशों की बात अलग है। अन्य देशों में कम या अधिक रूप में ऐसी ही प्रथा विद्यमान है। आस्ट्रेलिया में टिकटें बेचने का कार्य दुकानदारों द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में भी 25,000 डाकघरों में से 1800 डाकघरों को छोड़कर ऐसी ही पद्धति है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पाँच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा : वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में विभाग के समक्ष जो कठिनाइय आती हैं मैं उनकी सूचना सदन को दे रहा था। हमारे विभाग का कार्य बहुत कठिन है देश में अनेक भाषायें हैं अतः प्रत्येक भाषा लिखने पढ़ने वाले डाक छांटने वाला कर्मचारी तथा हरकारों की व्यवस्था

करना बहुत कठिन है। विभिन्न क्षेत्री भाषाओं में लिखे गये पत्रों को देश के विभिन्न भागों में ले जाना पड़ता है। अतः समूची कार्य संचालन लागत इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें आसानी से भारी घाटे के बिना सेवा क्षमता नहीं रह जाती।

कुछ सदस्यों ने ब्रिटेन तथा अमरीका की भांति निगम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि भारत में यह व्यवस्था किस ढंग से चल सकती है। ब्रिटेन तथा अमरीका की स्थिति हमारे यहां से भिन्न है। अमरीका में डाक विभाग की नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर की जाती हैं, भारत में ऐसा नहीं है। यहां डाक-तार के महानिदेशक का सत्तारूढ़ दल से कोई सम्बन्ध नहीं होता। महा डाकपाल का भी सत्तारूढ़ दल से कोई सम्बन्ध नहीं होता। प्रशासन राजनैतिक नियंत्रणाधीन नहीं है जैसा कि अमरीका में होता है। अतः अमरीका वालों के समक्ष निगम की स्थापना के समय जो परिस्थितियां थीं वे हमारे यहां की परिस्थितियों से पूर्णतया भिन्न थीं। साथ ही ब्रिटेन तथा अमरीका में निगम की स्थापना का विचार ऐसे समय किया गया जबकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी तथा जीवन स्तर अच्छा था। अतः उन्होंने सामाजिक सेवा को पूर्णरूप से वाणिज्यिक सेवा बना दिया। निगम की स्थापना का उद्देश्य विभाग को पूर्णरूप से वाणिज्यिक बना देने के साथ समाहित है। यदि सदन ठीक समझता है तो इस मंत्रालय का विघटन किया जा सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा अपना विचार यह है कि विभाग को पूर्ण कार्य निगम को सौंप देने से साधारण व्यक्ति के सामने कठिनाई आयेंगी, जिसे इस समय काफी राज सहायता दी जा रही है।

अधिक डाकघरों की व्यवस्था करने सम्बन्धी सुझाव दिये गये हैं। हमें देखना यह है कि यदि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर डाकघर की व्यवस्था की जाए तो वित्तीय स्थिति क्या होगी? क्या हमारा देश आर्थिक दृष्टि से इस समय इस भार को वहन करने में सक्षम है। देश में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 1,22,000 है। जिनमें से 73,743 ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर या तो डाकघर स्थित हैं अथवा इनसे 1 मील की दूरी पर हैं। यदि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डाक घर की व्यवस्था की जाये तो विभाग की वार्षिक औसतन हानि 3 करोड़ रुपये के लगभग हो जायेगी। यदि वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग इस राशि की व्यवस्था कर सकते है तो इस सम्बन्ध में निर्णय करना उनका कार्य है। मैं तो इस समय उपलब्ध निधि तक ही सीमित हूं और वर्तमान उपलब्धि को देखते हुए ऐसा करना कठिन है। प्रत्येक दिन देश के किसी न किसी भाग में लगभग 9 नये डाकघर खोले जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह संख्या कम है परन्तु हमारी वित्तीय स्थिति ही ऐसी है।

हमारे सम्मुख कठिनाई यह है कि विभिन्न स्थानों के, विभिन्न प्रदेशों के स्तर भिन्न भिन्न हैं। जो बात केरल के लिए अच्छी है वह अरुणांचल प्रदेश के लिये अच्छी नहीं हो सकती जो अरुणांचल के लिये अच्छी है उत्तर प्रदेश में बेकार सिद्ध हो सकती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से मैं इन स्तरों की विचारधारा में मूल परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

सदन के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्रकाशन सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ एवं दोष रह गये हैं, यद्यपि हमने शुद्धि पत्र जारी कर दिया है, फिर भी मैं इन दोषों के लिये क्षमा प्रार्थी हूं।

डाक सेवा को प्रभावी बनाने के विषय में कहा गया है। कर्मचारियों के सामने बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। जैसे विमान सेवा ने अप्रैल 1971 से फरवरी 1972 तक डाक नहीं उठायी। मेरा आशय उन पर दोष लगाना नहीं है। इण्डियन एयर लाईन्स में उस समय संकट था। ये संकट हड़तालों तथा धीरे काम करो नीति से और डाक से अधिक शुल्क प्रदान करने वाली वस्तुयें ले जाने के कारण पैदा हुये। रेल गाड़ियों की जंजीर खींचे जाने से रेल डाक सेवा में विलम्ब होता है। उत्तरी बिहार में ऐसी घटनायें प्रायः होती हैं। रेल गाड़ियां समय पर आ-जा नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में डाक ठीक प्रकार किस ढंग से जा सकती है। (**व्यवधान**) ताम्बे के तार काटने की घटनायें उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक होती हैं। इस प्रकार आर्थिक जीवन के दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा हमारे विभाग की कार्यकुशलता रेल सेवा, विमान सेवा, पोत सेवा आदि की कार्यकुशलता पर निर्भर है।

जहां तक कर्मचारियों के अनुशासन का सम्बन्ध है, हमने इस दिशा में यथासंभव प्रयत्न किया है। मुझे सभा को यह बताते हुए गर्व होता है कि 1971-72 में कार्य दिवस की हानि प्रायः नाममात्र ही हुई है। केरल के अतिरिक्त अन्यत्र शान्ति रही है। कर्मचारियों ने सहयोग दिया है और में इसकी पूर्ण प्रशंसा करता हूं। यह भारतीय सरकार का बहुत पुराना विभाग है, जिसमें बहुत सी कमियां आ गयी हैं। मैं उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु विचार के पुराना होने से उसकी कमियां कहीं कहीं दिखाई पड़ जाती हैं। मैंने कर्मचारियों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि अनुशासनात्मक मामलों में किसी भी कार्मिक संघ, किसी भी फेडरेशन या श्रमिकों के किसी भी वर्ग के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। मैंने इस सिद्धान्त का अनुकरण करने का प्रस्ताव किया है कि यदि कर्मचारियों ने कहीं भी अनुशासन में ढील दिखाई तो उनकी सेवा में व्ययधान कर दिया जायेगा अतः जो कर्मचारी हड़ताल करेंगे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल केरल के एक वर्ग के कर्मचारियों के अतिरिक्त देश पर्यन्त मेरे अनुरोध को मान लिया गया है। यदि कर्मचारी अपने दोष के प्रति खेद प्रकट करते हैं, तो उनके मामलों पर पुनः विचार भी किया जा सकता है। सभी प्रकार के दबाव मुझे अपने निश्चय से हटाने में असफल रहे हैं।

हमारे विभाग में देश के विभिन्न भागों से कर्मचारी लिये जाते हैं। इनमें से बहुत से कर्मचारियों को दुर्गम स्थानों पर कार्य करना पड़ता है जहां की स्थिति भी जीवन योग्य नहीं है। उदाहरणार्थ कोई वायरमैन या कोई लाईनमैन 18,000 फीट-ऊंचे क्षेत्र में कार्य कर रहा है परन्तु उसको वही वर्दी मिलती है जो एक दिल्ली में कार्य करने वाले डाकिये अथवा लाइनमैन को मिलती है। ऐसा कर्मचारी लद्दाख आदि क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा करने वाले सैनिक से कम नहीं है। परन्तु विभागीय सिद्धान्त सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिये एक समान हैं अतः हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम कार्य की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं।

कभी कभी समाचार पत्रों में डाक सम्बन्धी फार्मों तथा अन्य वस्तुओं की कमी की शिकायतें प्रकाशित होती हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है। कागज की आवश्यकता पूर्ण करने के लिये हमें प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी के नियन्त्रक के माध्यम से आपूर्ति तथा निपटाने के महानिदेशक से माँग करनी होती है। हमें डायरेक्टरी तथा फार्म छापने के लिये 12,000 मीटरिक टन कागज

की आवश्यकता होती है । परन्तु प्रिंटिंग तथा स्टेशनरी के नियन्त्रक कहते हैं कि मांग में 28 प्रतिशत की सामान्य कटौती कर दी गई है । यह कटौती हमें भी पूरी करनी होती है । कागज की कमी के कारण फार्मों आदि की कठिनाई होती है ।

चालू वर्ष की मांग को कम कर दिया गया है । मुझे भय है कि इस वर्ष मनीआर्डर फार्मों तथा लिफाफों की कमी हो जायेगी । इस प्रयोजन के लिये कार्ट्रिज कागज प्रयोग में लाया जाता है ।

कागज न मिलने पर सभी प्रकार के फार्म नहीं छपवाए जा सकते । कागज के अधिक उत्पादन पर ही हम, जो हम चाहते हैं वह कर सकते हैं ।

कागज की बचत के लिये कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का दल बनाया गया है । उसने अपने अध्ययन के द्वारा 220 फार्मों को समाप्त कर दिया है । इससे 45 लाख रुपये की बचत होगी । इसके अतिरिक्त मनीआर्डर कुछ अन्य फार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हम कुछ का मूल्य लेते हैं और कुछ अन्य का मूल्य लेना प्रारम्भ करने पर विचार कर रहे हैं । इससे 3 लाख रुपये की बचत होगी । इसके अतिरिक्त डाक टिकटों को प्रेस से सीधा डाकखानों को भेजने की व्यवस्था करके व्यय की बचत की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में दूर संचार की खराब स्थिति की बात कही गई है । इसका अर्थ यह नहीं कि अन्य राज्यों में स्थिति अच्छी है । अभी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि दूर संचार व्यवस्था भली प्रकार चल सकें । अभी हमारे यन्त्रों में सुधार की आवश्यकता है । हम साल भर में 150,000 टेलीफोनों से अधिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं । यह पिछले वर्षों की तुलना में दुगुना है । फिर भी हमारा उत्पादन क्षमता से कहीं कम है । इसके लिये हमारे कर्मचारी दोषी नहीं हैं पर हमारे पास अभी मशीनें ही ऐसी नहीं हैं जो अच्छा उत्पादन कर सकें । अतः अपने नये कारखाने को हम अत्यधिक आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भोपाल को दिल्ली से सीधे टेलीफोन करने की सुविधा से जोड़ने की बात कहीं गई है हम ऐसा अभी तक यन्त्र की कमी के कारण ही नहीं कर सकें हैं । हमारा सभी राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ने का इरादा है और इस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं ।

सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या बढ़ाने की बात कहीं गई है । हम ऐसे फोन अधिक संख्या में लगाना चाहते हैं पर हमारे सम्मुख सिक्कों की कमी की समस्या है । फिर इस बीच हमें बंगला देश के सिक्के भी डालने पड़े ।

कुछ सदस्यों ने गलत टलीफोन बिलों की बात कहीं । जहां कहीं भी कार्यालय सम्बन्धी गलती होती है । वहां हम उसे ठीक कर देते हैं । जहां कहीं यह गलती यन्त्र की खराबी के कारण होती है तो उसका भुगतान पिछली तिमाही में हुए अधिकतम बिल के आधार पर कर दिया जाता है ।

अपने टेलीफन पर सीधे ट्रंक काल करने से रोकने के लिये सदस्य उसे रोकने का यन्त्र लगवा सकते हैं ।

सीधे ट्रंक काल करने की सुविधा के अतिरिक्त दिल्ली में कहीं बाहर जाने के समय टेली-फोन बन्द कर देने की सुविधा भी है । उसके लिये केवल महाप्रबन्धक, टेलीफोन को एक पत्र

लिखना होता है। इस प्रकार उस समय का कोई पैसा नहीं लिया जाता जितने दिनों टेलीफोन बन्द रहता है। इसके अतिरिक्त टेलीफोन बिलों में किस कारण गलती हुई है, उसका पता लगाने का प्रयत्न भी किया जाता है और कई मामलों में इसका पता चला है तथा बिलों को ठीक किया गया है।

देश भर के लिए टेलीफोन कालों की दर समान आधार पर ही तय की जाती है। और दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई के लिए यह समान ही है। कहीं-कहीं इसमें अन्तर हो सकता है, जहां कि एक्सचेन्ज का परिचालन मानव द्वारा किया जाता है।

तार सेवा को सुधारने के लिए हमने प्रत्यन किया है और अविक फ्रीक्वेन्सी सेवा लागू की है तथा कुछ अन्य यान्त्रिक परिवर्तन किये गये हैं।

एक्सप्रैस चिट्टियों की उसी व्यक्ति को जिसे वह लिखी गई है देने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध मैं में विचार कर रहा हूं। रजिस्टरी किया गया पत्र तथा मनीआर्डर तो उसी व्यक्ति को दिए जाते है जिसके नाम वे भेजे जाते हैं।

हम दूरस्थ प्रदेशों की सुचारु व्यवस्था के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। और कुछ ही महीनों में हम राज्य स्तर पर इन प्रदेशों के लिए कोई व्यवस्था करने में सफल हो जायेंगे। हम गोरखपुर में एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

एयर कन्डीशन यंत्रों के बारे में यहां कहा गया कि वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं ये पूर्ति विभाग द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और इस सम्बध में हम उनसे पत्राचार कर रहे हैं। तथा यह प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां भी सम्भव हो एयर कन्डीशन यंत्र लगाए जायें।

स्वर्गीय चिदाम्बरमू पिल्लें का स्मारक टिकट निकालने की बात पर एक माननीय सदस्य ने बहुत जोर दिया है। हमने बार-बार इस सम्बन्ध में प्रयत्न किया है पर फिर भी डाक टिकट सलाहकार समिति ने उसे स्वीकृति नहीं दी। हम फिर इस सम्बन्ध में प्रयत्न करेंगे।

नई टेलीफोन फैक्टरी दक्षिण में लगाने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। केरल ने भी ऐसी मांग की है, उस पर भी विचार किया जायेगा।

टेलीफोन ग्राहक के यहां मीटर लगाने के बारे में हम परीक्षण कर रहे हैं और यदि हम इसमें सफल हो गये, तो ग्राहक के अनुरोध पर उन्हें लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cut motions were put and neg atived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संचार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा पूरी स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of Minirstry of communications were put and adopted

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
87	संचार मंत्रालय	61,87,000
88	समुद्र-पारीय संचार सेवा	4,36,70,000
89	डाक और तार (कार्य चालन व्यय)	2,43,60,61,000
90	डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और प्रारक्षित निधियों में विनियोग तथा सामान्य राजस्व से दिये जाने वाले ऋण की वापसी	37,59,98,000
136	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	1,21,05,83,000
137	संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	3,00,62,000

कृषि मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में कृषि मंत्रालय की मांग संख्या 25 से 31, 114 और 115 पर विचार और मतदान होगा। जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर पर्ची भेज दें।

कृषि मंत्रालय की वर्ष 1972-73 की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
25	कृषि विभाग	4,64,76,000
26	कृषि	26,19,78 000
27	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	27,11,57,000
28	वन	1,64,45,000
29	खाद्य विभाग	1,00.34,59,0 0
30	सामुदायिक विकास विभाग	41,78,000
31	सहकारिता विभाग	2,68,18 000
114	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	1,32,20,14,000
115	कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	45,26 60,000

श्री एस० पी० भट्टाचार्य उलुबेरिया) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनता और अधिक गरीब हो गई है तथा जमींदारी समाप्त होने पर भी जिनके पास जमीन है, वे सम्पन्न हुए हैं तथा इन खेतीहर पूंजीपतियों ने मजदूरों का बहुत शोषण किया है।

यह सही है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है पर हमारी प्रतिव्यक्ति खपत में गिरावट आई है।

संसार का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश होने पर भी हम रुई (90 करोड़ रुपये) और खाने का तेल आयात करते हैं। चीनी का उत्पादन घट रहा है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में पश्चिम बंगाल में एक जूट जांच आयोग की स्थापना की गई थी पर अब उसके कार्य को समाप्त कर दिया गया है और सरकार जूट उत्पादकों को उचित मूल्य देने के सम्बन्ध में गम्भीर नहीं है।

भूमि सुधार के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। 1971 में केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने एक नीति घोषित की, पर उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ। बड़े-बड़े भूमिपति अपनी-अपनी भूमि बेच रहे हैं। पति पत्नी झूठ-मूट तलाक ले रहे हैं, जिससे कि जमीन उनके ही पास रह सके। भूमि की अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ सिंचित भूमि रखी जा रही है इसमें निजी साधन से सिंचित भूमि नहीं आती। इसका अर्थ हुआ कि भूमि की अधिकतम सीमा एक छलावा है। इस सम्बन्ध में कृपया मंत्री महोदय स्पष्टीकरण हैं। क्या यह भूमि सुधार अधिनियम पीछे से लागू होगा ? तथा एक नाम से दूसरे नाम में स्थानान्तरित की गई भूमि के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा।

आजकल उर्वरक और सिंचाई साधनों के कारण छोटी जोतें अधिक लाभप्रद हैं क्योंकि बड़े-बड़े भूमि धारी अपनी वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते।

नये-नये आविष्कारों का लाभ केवल 10 प्रतिशत बड़े किसानों को मिल रहा है। छोटे किसान उनके लाभ से वंचित है। इस प्रकार अमीर लोग ही हरित क्रान्ति का लाभ उठा रहे हैं।

संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भूमि वितरित की गई अब और राष्ट्रपति के शासन काल में किराए के गुण्डों ने उन भूमिहीन किसानों को उनकी जमीनों से निकाल दिया और उनकी फसलें काट लीं। हमें नहीं लगता कि सरकार भूमि सुधार में वास्तव में दिलचस्पी रखती है।

बिना गरीब, और भूमिहीन लोगों को साथ लिए कोई भी भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसके लिए सभी प्रकार की बेदखली समाप्त कर दी जानी चाहिए जिससे कि किसानों को कोई बेदखल न करा सके। बेदखल कराने वालों को सजा दी जानी चाहिए।

एक महत्वपूर्ण बात, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं यह है कि किसानों को ऋण उनकी सम्पत्ति की जमानत पर नहीं वरन फसल के आधार पर दिया जाना चाहिये। बहुत से किसानों के पास अपनी सम्पत्ति न होने के कारण बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता। यदि सरकार ग्रामीण लोगों की सहायता करना ही चाहती है तो बेदखली को भूत साक्षी प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिये तथा भूमिहीन श्रमिकों को पूरा काम देना चाहिये और उनकी मजूरी भी निश्चित की जानी चाहिये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के 1969–70 के प्रतिवेदन के पैरा 3·15 में कहा गया है कि बर्तमान भूमि सुधार नीति में अनुसूचित जाति के ग्रामीणों को तथा भूमिहीन श्रमिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़े-बड़े भूस्वामियों ने छोटे किसानों तथा अनुसूचित जाति के लोगों और बटाईदारों से उनकी भूमि हथिया ली है। सरकार को उनसे इन छोटे लोगों को भूमि दिलाई जानी चाहिये।

वास्तविक भूमि सुधारों के बिना बेरोजगारी की समस्या भी हल नहीं हो सकती। सभी जानते हैं कि हम बड़े बड़े राष्ट्रों का व्यापार में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि किसान फालतू अनाज उगावें तथा इस अतिरिक्त उत्पादन के लिये हमें समुचित मण्डियां मिल सकें। यदि हमारा ग्रामीण क्षेत्र आत्म निर्भर हो जाये तो हमारी बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I would like to congratulate the Ministry which has by evolving the high-yielding varieties of seeds, promoted our agriculture sector and has made the country self-sufficient in foodgrains.

Our agricultural production in 1968-69 was 94 million tonnes but now it has increased to 107.8 million tonnes and it will further increase in future. I also hope that we will completely stop the importance of foodgrains which will save our foreign exchange.

According to the statistics with me the developed countries like USA could not increase their agricultural production so much with the evolution of high-yielding varieties seeds as our country has done in five years. Government have also paid their attention towards the used of providing nutritions food to the children upon whom the nation depends in future. The Government has done admirable work in this direction.

In certain states, such as Maharashtra, Andhra Pradesh etc. drought has brought such misery to the people. The Government have sanctioned an amount of Rs. 44 crores as loan for irrigation purposes. In this context, I would like to suggest that Government should first undertake minor irrigation projects in the country. They should embark upon major irrigation projects after completing the minor irrigation schemes so that immediate benefit accrues to the people.

In view of the surpas production of foodgrains, I wou d like to suggest that Government should start diversified agricultural product on. Attention should also be paid to various commercial crops in order to earn more foreign exchange. I am sorry to observe that the Food Corporation has purchased cotton at vary low prices which will affect our economy. For achieving a balanced economy, Government should take all these aspects into consideration. I appreciate the policy of maintaining **status quro** regarding The prices of foodgrains but I am afraid Government would not be able to maintain it in coming years because of the increase in the production of foodgrains. They should be more cautions in this matter. Similarly, Government should also fix reasonable prices of Commercial Crops, like cotton and pulses so that farmers may not stop growing these crops. For example, the production of coffee has gone down considerably in certain areas. Countries, like those in the Latin America, would not be able t produce coffee. Therefore, Government may earn more foreign exchange if the production of coffee in the country is increased.

Due to roofless warehouses in certain places, the stocks therein are exposed to rain and dirt. The possibilities of committing pilferage are also much more there. It was proposed to construct warehouses of the capacity of 3.5 million tonnes of foodgrains during the Fourth Plan. Against this Government have made available the warehousing capacity for

only 1·6 million tonnes. This capacity is also utilised by the S.T.C. It is objectionable. They should constructs their own warehouses. In view of the low cost of production of wheat in other countries of the world. we are not able to compete with them in this regard. Government should find out certain ways and means to dispose of surplus foodgrains.

The serious problem of population explosion is also to be dealt with by Government. Attention should also be paid to the total land under forests. They should also see that the interests of marginal farmers are protected. The economic conditions of the marginal farmers in certain areas, in Hoshiarpur district for example, in deplorable. They are under debt.

In response to the observation made by an hon. Member of C. P. (M), I would like to refer to the statement made by the chief Minister of Punjab.

He had said that Punjab Government would act upon the recommendations of the Land Reforms Committee.

I would like to point out that 50 per cent of the national income is derived from agriculture while the percentage of bank credit to this sector is not more than one. The procedure regarding bank-loans is very complicated, as a result of which small farmers does not go in for bank-loans. Thus, the benefit of bank-credits is avoided of by the big farmers only. They have become big landlords and money-landers as a result thereof.

I, therefore, suggest that Government should make arrangements to see that financial assistance is made available to small farmers.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप और कितना समय लेंगे ?

श्री दरबारा सिंह : मुझे इस पत्र में बोलने का और कोई समय नहीं मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को केवल तीन घन्टे का समय दिया गया है ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कृपया इस मांग के लिये दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार समय नहीं बढ़ा सकता । कार्य मंत्रणा समिति तथा सदन ने यह समय निर्धारित किया है । मैं इसमें इस प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकता ।

Shri Darbara Singh . The rommendations of the Land Reforms Committee regarding the ceiling on land should be implemented with retrospective effect so that big land owners could not transfer their land in the name of their wives and children.

Jammu and Kashmir has played an appreciable role. Regarding the distribution of land. They have distributed the entri land of 45.000 acres. The distribution of land in other states in like this : 1,21,000 acres out of 2,41,000 acres in Uttar Pradesh, 65,000 acres out of 1,75.000 acres in Hariyana, 64,000 acres out of 1,76,000 acres in Punjab and so on. In this context I would like to suggest that all the State Government should be instructed to impose ceiling on land holdings through an Ordinance to avoid any loopholes in the implementation of the scheme.

Steps should also be taken to save the foodgrains from the rats menace which causes heavy loss.

Shri Vijay Pal Singh (Muzaffarnagar) ; First of all I would like to congratulate the farmers of the country and the Government for increasing the production of foodgrains and

making the country self-sufficient in this regard.

Much publicity is made over the Radio and press regarding the facilities to the farmers of spraying insectisrides over the crops. But actually the small farmers are not getting benefits of this programme. This programme is meant for the big agriculturists only.

There is a great need to make farm'ng reputable and dignified in order to encourage the farmers and to get increased agricultural production.

Injustice is being done to farmers by the Mill owners. They under-weigh their products and do not pay their dues in time. On the other hand, when farmers go to purchase fertilizers and seeds they never get the full quantity as mentioned on the bags supplied by the companies. The warehouses are hot-beds of corruption. Seeds and fertilizers worth thousands of rupees have been shown against the names of farmers who have never even seen them. Not only this, they are not able to get justice even in the courts of law if they go there. The plight of farmers and the landless labour is quite deplorable. With this attitude towards the farmers, Government can not remove poverty from the country.

It has been observed that certain persons have got mechanised farms of thousands of acres of land. But they have manipulated to transfer their in the name of them family members. For example, there are four mechanised farms in Muzaffarnagar. Who is the owner of such farms ? I may quote the name of Rajbahadur Nihalchand amongst such persons. In this context, I would like to suggest that the proposed ceiling on land should be introduced immediately or with retrospective effect so as to avoid su h manipulations in the transfer of land. A survey should also be conducted by the Government regarding the ownership of land to the actual tillers who have been ploughing them for the last ten years. It should be ensured before imposing ceiling on land that such land is transferred in the names of these tillers themselves.

I admit that various facilities regarding electricity, seeds etc. have been provided to the agriculturists. But it is also a fact that most of the facilities have gone to the big agriculturists. Regarding maintaining the price of wheat by the Government, I do not find it justified to give the same price of wheat to the big agriculturists who have availed of all the facilities and to the smell farmer. May I know whether Government propose to give more price of wheat to the small farmers who are forced to dispose of their products due to their indebtness and other privations ?

While concluding I would suggest that interruptions in the power supply to farmers must be checked to avoid several difficulties caused to them. They should be well informed regarding the time when power would be available to them.

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : I rise to support the demands of the Agriculture Ministry which is most important Ministry. With the efforts of the farmers, state Governments and the Central Government our country has become self-sufficient in food.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari in the Chair]

The various problems regarding the population increase, animal husbandry, maintanance of forests etc. are also connected with this Ministry. It is really a matter of pride that this ministry with their various programmes have succeeded in increasing the agricultural production within a period of a few years. I would like to congratulate the farmers of the country for this progress.

Inspite of the incidence of draughts, our agricultural production increased from 99

million tonnes in 19 9-70 to 107 million tonnes in 1970-71. With this increased production the problem of storing the foodgrains has arisen now. The problem should also be solved by Government. I also support the decision of Government regarding maintaining the price of wheat for this year.

We are not able to meet the full requirements of certain commodities like pulses and oil. In this context, I would like to suggest that the seeds of sun-flower should be imported from U.S.S.R. for the purpose of extraction of oil through their cultivation. Sunflower can replace the oil seeds and we can get much oil from them.

A developed variety cotton has been evolved in our country but due to inadequate publicity most of the farmers do not know anything about it. I suggest that Government should increase the acreage for this variety of cotton. Government should convene some comferences and the concerned authorities should be instructed to popularise this variety of cotton seeds. With these efforts we can save much foreign exchange.

To protects the interests of farmers as well as the consumers and industrialist; I suggest that Government should set up a Crop. Planning Board with its branches in all the States. This Board should dispense necessary information to farmers as to which crop should be grown at a particular time.

The acreage for various crops should also be fixed by the Board. It should also be well planned and ensure that farmers get this much price of a commodity while the consumers would get that commodity on this much price. Co-operation of co-operative marketing societies and other institution should also be sought by Government in this matter. Production should be fixed by crop-planning and prices should be fixed on marketing basis.

The six-point programme regarding the ceiling on land is appriciable but certain provisions should be made more clear. I also demand that all the state Government should be asked to frame their lows according to the programme immediately. They should also be instructed that the programme should be implenented without further delay. Fair distribution of surplus land should also be completed.

I am sorry to observe that the suggestions of the National Co-operative Development Corporation have not been implemented by the Government as yet. I think the marketing would be regulated more efficiently if the suggestion of the Corporation are implemented by Government. Attention should also be paid towards the prosessing system in order to strengthen the co-operative and agro-industrial sectors.

Much emphasis is being laid on the ecological balance by the Prime Minister. In this context I wuuld like to point out that a meagre sum of Rs. 50 lakhs was provided in the Budget for the drought-from areas, and even this meagre amount was not fully spent. There are four states which have deserts and Government should pay more attention to them. We have sent certain schemes to Government regarding the construction of tubewells for helping the people who own dairy farms. The Government should also take steps to increase our live stock.

The proposed commission for examining the affairs of community development and Panchayati Raj has not been appointed by the Government as yet with the result that all the schemes regarding the revival of co-operative societies, Panchayati Raj Institutions have been shelued. I, therefore, request that Government should set up a commission for this work as early as possible.

****श्री एम० राजंगम (डिंडीगुल)** : महोदय ! कृषि मंत्रालय की मांगों का सम्बन्ध देश के करोड़ों नागरिकों के उत्थान और कल्याण से है । (व्यवधान)

**तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised Hindi translation of English translation of the spech delivered in Tamil.

भारत एक कृषि-प्रधान देश है । कृषि के बारे में हमारे देश में आगे के अधिनियम हैं किन्तु उनमें से किसी को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया । इनसे केवल बड़े कृषकों को ही लाभ होता है । तीसरी योजना में कृषि विकास के लिये 230 करोड़ रुपयों के ऋण की व्यवस्था की गई थी जिसमें से थोड़े से बड़े कृषकों को ही 100 करोड़ रुपया मिल गया ।

पूंजी-निवेश वाले मुख्य उद्योगों की तुलना में कृषि ने आर्थिक विकास में कहीं अधिक योगदान किया है । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास की वार्षिक दर 5 प्रतिशत रखी गई थी और समीक्षाधीन वर्ष के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुआ है । कृषि उत्पादन 5·3 प्रतिशत बढ़ा ।

हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक सम्मेलन में योजना मन्त्री ने कहा था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के उपरांत भी इस देश के असंख्य छोटे कृषकों को समय पर अधिक उत्पादन वाले बीज, उर्वरक या ऋण की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती । चुनावों के समय जो भी आश्वासन दिये गये उन्हे पूरा नहीं किया गया । यद्यपि सतारूढ़ दल ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके तथा प्रिवी पर्सों की समाप्ति करके देश में समानता लाने का प्रयत्न किया है किन्तु आज तक इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उनका दल समानता स्थापित करने में सफल हुआ है ।

यदि कोई राज्य सरकार वास्तविक अर्थों में ग्राम राज्य स्थापित करना चाहती है तो उसका गलत अर्थ लगाया जाता है और कहा जाता है कि वह राज्य स्वतन्त्रता की मांग कर रहा है ।

ब्रिटिश राज्य के दौरान कांग्रेस दल सदा यह कहा करता था कि ब्रिटिश सरकार यहां से दस हजार मील दूर है वह जनता की भावनाओं को उसकी मांगों को कैसे समझ सकती है मैं यह जानता जाहता हूं कि आज दिल्ली के वातानुकलित कमरों में बैठे शासक वर्ग के ये लोग उन ग्रामीणों की भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं जो यहां से हजारों मील दूर हैं । हमारा औद्योगिक विकास कृषि विकास पर ही आधारित है ।

मांग संख्या 25, 26, 28, 29, 30, 31 और 114 के अन्तर्गत 50 लाख रुपया यात्रा भत्ते पर व्यय किया गया है मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दौरे पर जाने वाले व्यक्तियों ने कम से कम 5000 गांवों का दौरा किया था ।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने वहां भूमि की अधिकतम सीमा 15 एकड़ निर्धारित की है और इस विधान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात वह केन्द्र से परामर्श कर रहे हैं कि सम्पदाओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये । केन्द्रीय सरकार को अन्य राज्य सरकारों के समक्ष तमिलनाडु का उदाहरण रखना चाहिये तभी सभी राज्यों में समान रूप से भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी अधिनियम को समान रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

वन नीति के अन्तर्गत कुल भूमि का 33 प्रतिशत भाग वन के रूप में रखा जाना चाहिए । तमिलनाडु में यह न्यूनतम सीमा रखी गयी है । भाग संख्या 28 के अन्तर्गत 1971–72 के दौरान

32,20,000 रुपये की धन राशि को बचत के रूप में दिखाया गया है यदि केन्द्रीय सरकार इस आबंटित धन को व्यय नहीं कर सकती थी, तो यह धन तमिलनाडु सरकार को जिसने इसका उपयोग बनों के उत्पादों के विकास के लिए करना चाहा था, दे सकती थी।

मांग संख्या 115 कृषि के सम्बन्ध में पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत भी साढ़े आठ करोड़ रुपये की बचत हुई है। जब हमने उर्वरकों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो इस भारी बचत की सराहना करना कठिन है।

यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये के मूल्य का धान नष्ट किया जा रहा है और इस राष्ट्रीय उत्पाद को नष्ट होने से बचाने के लिये चौथी योजना की अवधि के दौरान 550 सहकारी परिष्करण कारखाने स्थापित किये जाने हैं। अब तक केवल 98 कारखाने स्थापित किए गए हैं जब यह स्थिति है तो मांग संख्या 26 के अन्तर्गत 30 लाख रुपये को, जो सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना था, बचत कैसे हो सकती थी।

मांग संख्या 25, 26 और 29 के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं साथ ही आबंटित धन का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। सरकार कृषि के साथ न्याय नहीं कर रही है।

यदि भारत सरकार नगरीय सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करती है तो मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि उन्हें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिये कि नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा और ग्रामीण भूमि की अधिकतम सीमा के बीच कुछ समानता अवश्य हो।

अन्त में यह कहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने ग्राम्य रोजगार के जोरदार कार्यक्रम के लिये 265·50 लाख रुपये की स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के स्थान पर 292·3 लाख रुपया व्यय किया। अब तक भारत सरकार द्वारा 260·54 लाख रुपये की कुल सहायता दी गई है। अभी भी 265·50 लाख रुपये की स्वीकृत केन्द्रीय सहायता में से भी 4·81 लाख रुपये की धनराशि दी जानी शेष है। सरकार को शेष 4·81 लाख रुपये की देय राशि की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करना चाहिए और उसे 1971-72 में 26·83 लाख रुपये के वास्तविक व्यय की भी स्वीकृति देनी चाहिये और इसे 1972-73 और 1973-74 के लिये इस राज्य के अंश में शामिल कर लिया जाना चाहिये साथ ही इन वर्षों के लिये 295 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी जानी चाहिये।

The Deputy Minister in the Ministry of agriculture (Shri Jagannath Pahadia) : Many important points have been raised while discussing the demands for grants in respect of the Ministry of Agriculture. I would like to draw the attention of the hon. members to only those factors which are very helpful in agricultural production.

The development in the country is being done very systemetically. The objective of one development activity is to improve the lot of weaker sections of society. We have started co-operative movement to achieve this very object. The main purpose of the movement is to provide maximum help to these people. They should not be deprived of social justice. The activies of the co-operative movement crores provision of agricultural inputs, including credit, marketing, processing and distribution of consumer goods etc. The Government has paid special attention to those sections of society which have hitherto been ignored. It is our endeavour to give maximum benefit to small and marginal farmers and landless labourers. The target for short and medium term credit during the 4th Plan is

Rs. 700 crores. The target for long term credit is 1500 crores. These schemes are for the benefit of small farmers and they cannot be implemented properly unless we get people's co-operation also. Th ir representatives will have to take interest in these schemes. They should understand these schemes and they should draw one attention to the draw backs of the scheme. It is their duty to ensure that these schemes are implemented. Government alone cannot do anything. cooperation is needed everywhere.

There has been general criticism that the cooperative movement is under the control of few person. We have discussed the matter with the chief ministers. We have suggested to them to ensure that cooperative institutions do not remain under the control of a few persons for more than a period of two years. We donot have any intention of removing these persons from the cooperative institutions. They are experienced persons because they have worked in the movement for years together. We will utilise their experience.

In some parts of the country, the cooperative movement is working very successful but these are certain areas of Rajasthan where the movement has fented badly. We are trying to see that it works efficiently.

It is being said that weaker sections are not getting their full share. We have given instructions to State Government in this regard. We want that the State and Central Governments should work with understanding and mutual consultation.

Those who have got land are barred from he benefits of these schemes but Government has taken steps to help the landless also. Loans will be given to share-croppers. The Government will give gauranttee upto two thousand and five hundred Rupees. This scheme is known as Credit Gauranttee Scheme. I hope these schemes will become popular.

We have started 87 Pilot Projects out of which 46 are for small farmers and 41 are for marginal and landless labourers. We have sanctioned 6 schemes for tribal blocks also, so that the people of tribal areas may benefit by them. All these schemes will cost nearly 112 crores. The overall approach of the Government is to help small farmers more and more. The term 'small farmer' is quite difficult to define but now we have identified the small farmers and it is hoped that the tempo of work of providing them assistance will increase.

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) ; It is a matter of regret that Government does not have a stable and systemetic policy on agriculture. Agricultural problems are being tackled on political level. Therefore correct policies are not being formulated.

A slogan of 'Jai Jawan Jai Kisan' was coined. We can fully understand the first part of it but what actually does the second part 'Jai Kisan' mean? Now a days, farmers are being converted into a criminal tribe. Farmers have been exploited in the name of Green Revolution. Our country has attained self-sufficiency because of the efforts of the farmer but now interest of farmers are being feopardized in the name of socialism. I am at a loss to understand the definition given by the ruling party about socialism. I think that 'socialism' according to them can be defined only in this manner "which the guilty shall never tell and the innocent shall never know."

As far as the question of land cieling is concerned, I would like to say that the agricultural policy should be made systematic and stable. Adhoc policies will not solve the problem. Government is considering the question of land-ceiling on land-holdings on the basis of acerage. No consideration is being given to net income of a farmer from his land. The Government should work out the cost of production and also keep in mind that the farmers should have economic holdings. If land-holdings are uneconomic, the farmers will find it difficult to make both ends meet. Government should allow the farmers to meet their basic needs.

In our country 70 percent people depend on agriculture This percentage is very low in countries—like Sweden, Japan and U.S.A. Government is making more and more people dependent upon agriculture because of its wrong policies. It has not encouraged small and cottage industrics in the rural areas. People who were previously engaged in weaving and shoe-making business have given up their occupations because they could not compete with big mills and big shoe-menufacturing companies like the Batas etc. and ultimately they resorted to agriculture with the result that the burden on agriculture is increasing.

Prices of different articles have increased two three-folds. But the Government is reluctant to pay proper price to the farmers for agricultural produce. According to calculations made by agricultural universities cost of production is Rs. 85 per quintal but the price that is being paid to the farmer is Rs. 76 only.

On the one hand the Government wants to have mechanised farming and increased use of tractors, but on the other hand they are covering the ceiling on land-holdings. How are these two things compatible ? Government should ensure parity between ceiling on land and urban property.

As far as sugar is concerned, Government has adopted a wrong policy in this regard and has created a very critical situation. Even the estimates committee has pointed towards this fact.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chhapra) : Since the abolition of Jamindari System the question of land ceiling has been hanging fire. Different states have different views about the ceiling of land holdings. It is gratifying that the Minister has expedited the impostion of ceilings on land. In this way the landless people will now get land and this land ceiling will lead to increased production. The hon. Minister deserves congratulations for this.

We are fortunate to have attained self-sufficiency in food for which Food and Agriculture Ministry deserves to be congratulated. The vested interests started to emphasize the need for fiecing the food prices when the farmers produced more with their labour.

Now there is a talk to impose agricultural Income tax. The argument advanced in favour of imposing agricultural income tax is that big business-houses were investing their black money in purchasing land. Thus it is proposed to penalise the farmers for the inefficiency of income tax machinery to unearth black money. 75 percent of the farmers are small farmers who owned 5 to 6 acres of land. They depend on the whtims of the weather for their crops. amposition of agricultural incometax will hit the small farmers the hardest. The assessment of incometax will also be a difficult job.

The Government proposes to exempt land of charitable trusts from ceiling on land-holdings. Government should ensure that such trusts utilise the land for the purpose for which it is meant and not for some other purpose.

The Chief Ministers, in their conference, agreed to exemptions in favour of plantations of tea, coffee, rubber etc. to continue. Government should either nationalilse these plantation or run them through cooperatives.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की विश्व में कृषि महत्वपूर्ण विषय रहा है। यह बात संतोषजनक है कि कृषि की पैदावार में अधिकतम वृद्धि हुई है।

(डा० सरदीश राय पीठासीन हुए) :

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि मन्त्री तथा उनका मन्त्रालय सचमुच बधायी के पात्र है।

किसान आज अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं भूमि की सीमाबन्दी का विरोधी नहीं हूं। कुछ राज्यों ने भूमि सुधार द्वारा सीमा बन्दी निश्चित नहीं की। आप ऐसे राज्यों को दण्डित कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसानों की आमदनी बढ़ रही है। योजना आयोग ने करनाल और लुधियाना जिलों में चलाये गये पैकेज प्रोग्राम के आधार पर कहा है कि वहां किसान की प्रति एकड़ आय 6000 रुपये हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तमिलनाडु में अधिक तम प्रति एकड़ आय 300 रुपये है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किसानों की आय बढ़ती जा रही है। न जाने किस आधार पर ऐसी गणना की जाती है।

अब कृषि मूल्य आयोग की बात लीजिए। यह आयोग प्रति वर्ष कृषि पैदावार की कीमत घटाने की ही सिफारिशें करता आ रहा है। इस वर्ष सहित किसी भी वर्ष सरकार ने इस आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं कीं। इसे 'कृषि मूल्य घटाओ आयोग कहना ही उचित होगा। इस आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये क्योंकि वही जानता है कि किसानों की कठिनाइयां क्या हैं, उनकी समस्यायें क्या है और क्या क्या समाधान किये जाने चाहिए।

आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि किसान के घर में जन्म लेना अपराध है। आप कहते हैं कि उसके पास सम्पत्ति है और उसकी भूमि की सीमा बांधी जानी चाहिये। ठीक है आप अपने रास्ते पर चलिये और सीमा निर्धारित कीजिये। हम अपनी फसलों के लिये वर्षा पर निर्भर करते हैं। हम यह सब नहीं सह सकते। देश भर के किसान मुश्किल से दो समय का भोजन जुटा पाते हैं लेकिन फिर भी ऐसी बातें खुली तरह से हो रही हैं।

छोटे किसानों के लिये ट्रेक्टर बनाने को मैं सरकार से अपील करता हूं। इनके लिए छोटे छोटे ट्रेक्टर बनाये जाने चाहिए। तथा इन्हें उपलब्ध किये जाने चाहिये।

किसानों को खाद सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये। यह भी बहुत जरूरी है। सरकार अब सूखी खेती की बात करती है। इसके लिये एक निश्चित योजना सरकार को बनानी चाहिये और यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि सूखी खेती का तात्पर्य क्या है और सरकार किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।

अन्त: में मैं यही कहूंगा कि किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाये। वह अपनी रक्षा खुद करेगा। हम सरकार से सहायता की आशा रखते हैं। कोई बाधा डालने की नहीं।

सरकार शुष्क खेती के बारे में बातें करती है। लेकिन शुष्क खेती से उनका क्या प्रयोजन है ? सरकार को इस सम्बन्ध में एक निश्चित प्रस्ताव पेश करना चाहिये और शुष्क खेती के बारे में एक स्पष्ट योजना पेश करनी चाहिए। जब तक समुचित सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक कृषक खेती करने में सफल नहीं हो सकते है। सरकार को इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये।

कृषि मूल्य आयोग, आधुनिकतम वामपंथियों और प्रतिक्रियावादियों, इन तीनों से मेरा अनुरोध है कि वे निर्धन कृपकों पर सहानुभूति का रुख अपनायें और इन्हें अपने हाल पर ही छोड़ दें।

सरकार से रुकावट की अपेक्षा, हम सहायता की आशा करते हैं। हम विभाग तथा कृषि मन्त्रालय से निर्धन किसानों को सहायता देने की आशा करते हैं।

कृषि मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
25	1	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**	मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए आवश्यक धन राशि की केन्द्र द्वारा व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
,,	66	,,	किसानों को गन्ने की कीमत समय पर देने की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
,,	67	,,	विभिन्न चीनी मिलों के लिये निर्धारित क्षेत्रों को किसानों के हित में समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	68	,,	दूर के गाँवों और छोटे किसानों को उन्नत कृषि सम्बन्धी जानकारी देन में उपेक्षा।	,,
,,	69	,,	किसानों को पशु और पशु चिकित्सा विज्ञान के लाभ उपलब्ध करने में असफलता।	,,
,,	70	,,	किसानों की उपज के लिये लाभदायक कीमत देने की नीति तैयार करने में असफलता।	,,
,,	71	,,	किसानों और जनता के प्रतिनिधियों को कृषि मूल्य आयोग में समुचित प्रतिनिधित्व देने में असफलता।	,,
,,	72	,,	विभिन्न कृषि विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को पर्याप्त सहायता देने में असफलता।	,,
,,	73	,,	कृषि स्नातकों को शीघ्र काम देने में असफलता।	,,
,,	74	,,	किसानों को सस्ती दरों पर उन्नत बीज, खाद, बीजली तथा अन्य कृषि उपकरण देने में विलम्ब।	,,
,,	75	,,	कृषि सम्बन्धी नीति में परिवर्तन की आवश्यकता को समझने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
,,	82	**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय**	गन्ना उत्पादकों के हितों को ध्यान में रख कर गन्ने की कीमत में वृद्धि करने में असफलता।	100 रुपये
,,	83	,,	उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि उपकरणों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए किसानों की गिरती हुई वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये उन्हें पर्याप्त सहायता देने में उपेक्षा	,,
,,	84	,,	किसानों के लिये आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को देने में असफलता।	,,
,,	87	,,	समस्त देश में सहकारी समितियों, विशेष रूप से मध्य प्रदेष की सहकारी समितियों की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने में असफलता।	,,
,,	88	,,	सहकारी समितियों के मामलों में सरकार के बढ़ते हुये हस्तक्षेप को रोकने में असफलता।	,,
,,	89	,,	उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को अनुदान देकर प्रोत्साहित करने की नीति निर्धारित करने में विलम्ब।	,,
,,	90	,,	उन्नत कृषि के बारे में प्रशिक्षण देने के लिए किसानों को सुविधायें देने की आवश्यकता।	,,
,,	96	,,	भारत के खाद्य निगम में गड़बड़ी रोकने में असफलता।	,,
,,	97	,,	गेहूं और चावल की वसूली के सम्बन्ध में भारत के खाद्य निगम के असावधानीपूर्ण तथा मनमाने रवैये के कारण किसानों में व्याप्त रोष दूर करने में असफलता।	,, ,,
,,	14	**श्री भोगेन्द्र झा**	अपनी भूमि पर खुद-काश्त सुनिश्चित करने तथा सभी प्रकार के अर्ध-सामन्तवादी और पूंजीवादी भू-स्वामित्व को समाप्त करने के लिये भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने हेतु विधान बनाने और उसे क्रियान्वित करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाए
,,	15	,,	पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों की तरह भारत के शेष राज्यों को भूमि की अधिकतम सीमा घटाने की सलाह देने में असफलता।	,, ,,

1	2	3	4	5
31	26	**श्री भोगेन्द्र झा**	खेतिहर मजदूरों और छोटे किसानों को सहकारी ऋण की सुविधा देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	27	,,	खेतिहर मजदूरों की सहकारी समितियों को सभी प्रकार के भूमि सम्बन्धी कार्यों का ठेका देने की आवश्यकता।	,,
,,	28	,,	भारत की सभी ग्राम पंचायतों में खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों की सहकारी समितियाँ खोलने के लिये उन्हें सुविधाएं देने में असफलता।	,,
,,	29	,,	बहुप्रयोजनीय और अन्य सहकारी समितियों को जमींदारों के पंजों से मुक्त कराने में असफलता।	,,
114	30	,,	पिछले साल की कीमत पर गेहूं की वसूली का फैसला करने और कृषि मूल्य आयोग द्वारा जिस कीमत की सिफारिश की गयी है उसके अनुसार आठ एकड़ सिंचित भूमि से अधिक भूमि रखने वाले लोगों पर कर लगाने में असफलता।	,,
,,	31	,,	गरीब किसानों को कम दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में असफलता।	,,
26	131	,,	गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत की बकाया राशि का पूरा पूरा भुगतान करने में असफलता	,,
29	132	,,	चीनी मिलों और चीनी के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
,,	133	,,	बिहार के दरभंगा जिले में रैयम स्थित रैयम चीनी मिल लिमिटेड को शीघ्र अपने हाथ में लेने में असफलता।	,,
,,	134	,,	देश में चीनी के समस्त स्टाक का एक ही नियंत्रित मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करने में असफलता।	,,
,,	135	,,	बिहार के गया जिला के वारसालीगंज स्थित चीनी मिल का अर्जन करने की आवश्यकता।	100 रुपये

1	2	3	4	5
,,	136	,,	देश में सभी उपभोक्ताओं को एक ही नियंत्रित दर पर चीनी उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	
30	137	,,	सामुदायिक विकास खंडों को पूर्णतः लोकतंत्रीय बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	138	,,	समस्त देश में तुरन्त पंचायती राज स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	139	,,	ग्राम पंचायतों और सामुदायिक विकास खंडों पर से नौकरशाही का नियंत्रण समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	140	,,	विभिन्न राज्यों में पंचायती राज्य में एक समता लाने की आवश्यकता ।	,,
,,	141	,,	ग्राम पंचायतों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
31	142	,,	एक उच्च वेतन प्राप्त अधिकारी को सुपर बाजार के महाप्रबन्धक के रूप मे नियुक्त करना ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
,,	143	,,	उच्च अधिकारी बोझिल और नौकरशाही प्रशासन जिसके कारण सुपर बाजार के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र दिया गया है ।	,,
,,	144	,,	गरीब किसानों को भूमि और प्रोत्साहन देकर बड़े पैमाने पर सहकारी फारम स्थापित करने में असफलता ।	,,
114	145	,,	खाद्यान्नों के थोक व्यापार का पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
25	16	श्री एम० राजंगम	समस्त देश में विभिन्न राज्यों में पशुपालन फारम स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	17	,,	कृषि आर्थिक अनुसंधान के क्षेत्रीय केन्द्रों को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
26	18	,,	छोटे किसानों को ऋण की सुविधा देने के लिए सहकारी बैंकों को अधिक अनुदान की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
	19	श्री एस० राजगज	आदिवासी विकास खण्डों में कृषि विकास के लिये और अधिक धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता	100 रुपये
,,	20	,,	कृषि विपणन संगठन को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	,,
,,	21	,,	उर्वरक संवर्धन परिषद् स्थापित न करने के कारणों की जांच करने की आवश्यकता।	,,
,,	22	,,	मत्स्य पालन कार्यक्रम से सम्बन्धित खाली पदों को न भरना, जिसके कारण कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं हो सका।	,,
,,	23	,,	पौध अनुरक्षण संघरोध और संग्रह निदेशालय के लिये कम धन की व्यवस्था।	,,
29	24	,,	भारतीय खाद्य निगम के लिये कर्मचारी स्थानांतरित करने और खाद्य विभाग के दोहरे काम को रोकने की आवश्यकता।	20,00,00,000 रुपये
,,	25	,,	खाद्य उत्पादों के विपणन और निरीक्षण सम्बन्धी संगठन को भारतीय खाद्य निगम को सौंपने की आवश्यकता।	5,00,00,000 रुपये
25	32	श्री डी० के० पंडा	अस्का सहकारी चीनी उद्योग, अस्का, की महासभा की 1970–71 की बैठक के निर्णयों को क्रियान्वित करने में असफलता।	100 रुपये
,,	33	,,	अस्का सहकारी चीनी उद्योग में कुप्रबन्ध।	,,
,,	34	,,	अस्का सहकारी चीनी उद्योग की गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के उपबन्धों के अनुसार गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य देने में असफलता।	,,
,,	35	,,	चीनी उद्योग के लिये प्रोत्साहन मूल्य निश्चित करने में असफलता।	,,
,,	36	,,	चीनी के मूल्य में असामान्य वृद्धि को रोकने में असफलता।	,,
,,	37	,,	भारत में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
25	38	श्री० डी० के० पंडा	समाजवादी देशों के साथ चीनी के निर्यात के लिए अधिक घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता।	100 रुपये
,,	39	,,	चीनी निर्यात सम्बन्धी एक लाभप्रद नीति अपनाने में असफलता।	,,
,,	40	,,	चीनी निर्यात के लिए अमरीका के साथ 1934 के व्यापारिक करार में संशोधन करने की आवश्यकता।	,,
,,	41	,	उड़ीसा में चीनी और जूट उद्योगों जैसे कृषि उद्योगों का विकास करने में असफलता।	
,,	42	,,	भूमिहीन कृषि मजदूरों, आदिवासियों और हरिजनों में कृषि-योग्य बेकार भूमि का निशुल्क वितरण करने में असफलता।	,,
,,	43	,,	भूमि की अधिकतम सीमा के उच्च स्तर को कम कर भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
,,	45	,,	गंजाम जिले में गांवों में रोजगार के त्वरित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष में लगातार 10 महीने तक के लिये रोजगार चलाने में असफलता।	,,
,,	46	,,	गांवों में रोजगार के लिये त्वरित योजना की असफलता।	,,
,,	47	,,	देश में छोटे किसानों की योजना की असफलता।	,,
,,	48	,,	गंजाम जिले में सोरदा, भानजा नगर, जगन्नाथप्रसाद, कोदाला और अस्का में छोटे किसानों की योजना की असफलता।	,,
,,	49	,,	नयागढ़ और पारले खिम्डी में एक चीनी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
,,	50	,,	गंजाम जिले में सामान्यता तथा अस्का में विशेष रूप से गन्ने की सघन खेती का विकास करने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
25	51	**श्री डी० के० पंडा**	विभिन्न राज्यों और अस्का जैसे गन्ना क्षेत्रों में गन्ने की फसल पर लगने वाली 'रेडरोट' बीमारी का उन्मूलन करने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	52	,,	नल कूपों तथा उठाऊ सिंचाई स्थलों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए नदी घाटों क्षेत्रों का पूरा सर्वेक्षण करने की आवश्यकता ।	,,
,,	53	,,	गंजाम जिले में ऋषिकुल्या, भगुवा, धौनाई और महानदी नदियों के नदी घाटी क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई करने की आवश्यकता ।	,,
,,	54	,,	किसानों को कृषि उपज का प्रोत्साहन मूल्य सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	55	,,	उपभोक्ताओं के हित में अत्यावश्यक वस्तुओं के व्यापार को हाथ में लेने में असफलता ।	,,
,,	57	,,	सहकारी संस्थाओं के विधि के उपबन्धों के अनुरूप सुनिश्चित रूप से लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने में असफलता ।	,,
,,	58	,,	उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन की असफलता	,,
,,	59	,,	अस्का सहकारी चीनी उद्योग में निदेशकों के बोर्ड के लिए निर्वाचन न कर तथा 1963 से 1972 तक नामनिर्दिष्ट बोर्ड का बने रहने में सहकारी, सोसायटी, अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और उप-नियमों का उल्लंघन करना ।	,,
,,	60	,,	सहकारी समितियों के प्रबन्ध से अफसरशाही को दूर करने में असफलता ।	
,,	91	**श्री आर० वी० बड़े**	कपास की पैदावार में गिरावट ।	,,
,,	92	,,	मध्य प्रदेश में सघन कृषि कार्यक्रम की आवश्यकता ।	,,
,,	93	,,	कृषि के लिये ऋण दिये जाने सम्बन्धी शर्तों और प्रक्रिया को सरल बनाने में असफलता	,,

1	2	3	4	5
25	94	श्री० आर० वी० बड़े	छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने में असफलता ।	100 रुपये
,,	95	,,	मध्य प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाइयां देने में असफलता ।	,,
25	101	श्री रामावतार शास्त्री	बुनियादी भूमि सुधारों को लागू करने में असफलता ।	,,
,,	102	,,	भूमि की हदबन्दी को कम करने में असफलता	राशि को घटाकर
,,	103	,,	गन्ने का न्यूनतम मूल्य 10 रु० प्रति क्विंटल निश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	104	,,	जोत सीमा के सम्बन्ध में 5 सदस्यों के परिवार की एक इकाई मानने के सिद्धांत से सभी राज्यों को सहमत कराने में असफलता	,,
,,	105	,,	भूमि हदबन्दी प्रयोजन के लिये सारे देश के लिये एक समान कानून बनाने की आवश्यकता	,,
,,	106	,,	कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि रोकने में असफलता ।	,,
,,	107	,,	कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निश्चित करने में असफलता ।	,,
,,	108	,,	किसानों को उनके उपभोग की वस्तुएं निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने में असफलता ।	,,
,,	109	,,	आलू अनुसन्धान केन्द्रों और कृषि फार्मों में काम कर रहे मजदूरों को मासिक वेतन-मान दिलाने में असफलता ।	,,
,,	110	,,	आलू अनुसन्धान केन्द्रों और कृषि फार्मों में काम करने वाले मजदूरों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
,,	111	,,	उर्वरकों और बीजों की कीमत कम करने में असफलता ।	,,
,,	112	,,	कुक्कट पालन योजना की असफलता ।	100 रुपये
,,	113	,,	बिहार में पटना अथवा रांची में एक माडर्न बेकरी खोलने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
25	114	श्री रामावतार शास्त्री	मत्स्य पालन योजना का विस्तार करने में असफलता	100 रुपये
,,	115	,,	चीनी मिलों से किसानों की बकाया राशि वसूल करने में असफलता।	,,
28	116	,,	आदिवासी किसानों द्वारा जंगल से जलाने की लकड़ी लाने के सनातन अधिकार का अपहरण।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी
	117	,,	वनों का विकास करने के लिये एक लोकोपयोगी नीति बनाने की आवश्यकता।	,,
29	118	,,	खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
,,	119	,,	देश में सूखाग्रस्त और अभावग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजने की आवश्यकता।	,,
,,	120	,,	मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता।	,,
,,	121	,,	चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
,,	122	,,	उड़ीसा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों और बिहार के संथाल परगना जिले के 170 गांवों में रहने वाले एक लाख से अधिक पहाड़ी किसानों को भुखमरी से बचाने में असफलता	,,
,,	123	,,	बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिये सरकारी दुकानों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य कम करने में असफलता।	,,
,,	124	,,	चीनी के मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफलता।	,,
30	125	,,	खण्ड विकास योजनाओं से मुख्यतः धनी किसानों को ही लाभ।	100 रुपये
,,	126	,,	गांवों की सड़कों की दुरवस्था सुधारने में असफलता।	,,
,,	127	,,	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के जोरदार कार्यक्रम की असफलता।	,,

1	2	3	4	5
31	128	**श्री रामावतार शास्त्री**	सहकारी समितियों की "कार्य प्रणाली को सरल बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	129	,,	किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने में अनावश्यक विलम्ब।	100 रुपये
25	146	,,	भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए केरल और पश्चिम बंगाल की तरह आदर्श विधान बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	147	,,	बेनामी वितरण को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
,,	148	,,	बिहार विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पास किये जाने के बावजूद भी टाटा जमींदारी को समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	149	,,	लघु सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ।	,,
,,	150	,,	बिहार को नलकूप लगाने के लिए अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
,,	151	,,	पटना जिला में दानापुर और मानेर के ढियारा क्षेत्रों में पम्पिंग सेटों की सहायता से मानसून से पहले मकई उगाने में असफलता ।	100 रुपये
29	152	,,	बिहार में वारीसलीगंज और गोरारु तथा अन्य राज्यों में बन्द चीनी मिलों को पुन: चलाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
,,	153	,,	राशन की दुकानों को साफ तथा अच्छा अनाज देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
,,	154	,,	राशन की दुकानों में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता ।	,,
,,	155	,,	भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त गड़बड़ी को रोकने में असफलता ।	,,
,,	156	,,	बिहार में दीघा और फूलवाड़ी के निकट सरकारी भाण्डागारों से गेहूं की चोरी रोकने मे असफलता ।	,,
,,	157	,,	बिहार में राशन की दुकानों से चावल की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
29	15॰	**श्री रामावतार शास्त्री**	पटना में राशन के दुकानदारों को निकट के गोदामों से अनाज की सप्लाई करने की आवश्यकता।	100 रुपये
30	158	"	बिहार में जिला परिषदों के गठन में विलम्ब।	"
25	160	"	उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में दिल्ली दुग्ध योजना का का दूध सप्लाई करने में असफलता।	"
"	161	"	दिल्ली दुग्ध योजना के घी तथा मक्खन की कीमत में कमी करने तथा किस्म में सुधार करने में असफलता।	"
"	162	"	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं को दूध न देकर अनधिकृत वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दूध की सप्लाई करने से रोकने की आवश्यकता।	" "
29	163	"	बिहार में भांडागार निगम के गोदामों में खाद्यान्न रखने में भारतीय खाद्य निगम की असफलता जिसके परिणामस्वरूप 15 गोदामों के बन्द हो जाने की संभावना उत्पन्न हो गयी है।	
"	164	"	बिहार में भांडागार निगम के 15 गोदामों के बन्द हो जाने की संभावना के परिणामस्वरूप 75 श्रमिकों की संभावित छटनी को रोकने की आवश्यकता।	"
"	165	"	भांडागार निगम द्वारा संचालित गोदामों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न रखने में असफलता।	"
"	166	"	भांडागार निगम के गोदामों में 40 प्रतिशत खाद्यान्न रखने सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन	"

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : कृषि मंत्रालय का निकटतम सम्पर्क हमारे समाज के कमजोर वर्ग के साथ रहना चाहिए। यदि यह मंत्रालय समाज के निर्धन और कमजोर वर्ग की ओर ध्यान नहीं देता है तो इससे हमारे समाज की समस्याओं में विषमतायें बढ़ने का खतरा है। इस मंत्रालय का वर्तमान दृष्टिकोण प्रत्येक वस्तु के लिए समिति को नियुक्त कर देने का रहा है। अब समय आ गया है जब कि इस मंत्रालय को समाज के कमजोर वर्ग की खेती की समस्या को

पूरी तरह से नया रूप देना है और यह परिवर्तन वर्तमान स्थिति को दूर करके किया जा सकता है जिसके लिये ये वस्तु संबंधी समितियां अथवा विभागीय समितियों की नियुक्ति ही जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं।

कृषि यन्त्रीकरण एक ऐसा विषय है जिस पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के गत 25 वर्षों से चर्चा की जा रही है। एक समय ऐसा था जबकि हमारे देश में ट्रैक्टरों का निषेध था परन्तु धीरे-धीरे अब ऐसा समय आ गया है जबकि हमारे देश में ही 60 हार्स पावर वाले ट्रैक्टरों का निर्माण होने लगा है। आज एक ओर तो भूमि की अधिक सीमा 18 एकड़ निर्धारित करने के लिये कानून बनाया जा रहा है तथा दूसरी ओर 100 एकड़ भूमि के फार्म पर खेती करने के लिए अनुकूल हार्स पावर वाले ट्रैक्टर का निर्माण किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के छोटे हस्त-ट्रैक्टर बनाने चाहिये जिनसे कि बीज भी डाला जा सके और जिसमें फसल काटने की व्यवस्था भी हो। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति कार्यकुशल बन जायेगा।

मैं दूसरी बात कृषि अनुसंधान के बारे में कहना चाहता हूं। अभी तक हम ने देश में गेहूं और चावल जैसी मुख्य फसलों के उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया है। मेरे राज्य के आदिवासी क्षेत्र में "कोदो" और "कुटकी" फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। मैं मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें सिधी और सरगुजा में विशेषज्ञों का एक दल भेज कर, यह पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये कि उस क्षेत्र के किसानों की सहायता किस प्रकार की जा सकती है।

खेतों में उपज बढ़ाने के लिये हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु किसान की न्यूनतम मानवीय सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये कुछ भी नहीं किया जा रहा। मैंने पिछले वर्ष भी यही बात कही थी कि छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों की समस्याओं पर पूरा-पूरा गौर किया जाना चाहिये।

इस समय हमारा प्रयत्न कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। परन्तु किसान की मानवीय पहलू की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा।

हमें प्रसन्नता है कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न फसलों के उत्पादन मूल्य का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यदि किसान के साथ आप मानवीय व्यवहार करना चाहते हैं तो यह कार्य स्थाई रूप से किया जाना चाहिये, देश के हर भाग में किया जाना चाहिये और किसानों द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिये।

जहां तक भूमि सुधारों का प्रश्न है, इन्हें सम्पूर्ण राष्ट्र स्वीकार कर चुका है तथा यह किये ही जाने चाहिये। मैं समझता हूं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये यह एक अच्छा राजनीतिक उपाय है। मैं समझता हू कि 'वैज्ञानिक पूल" की तरह ही एक "किसान पूल" भी बनाया जाना चाहिये।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार हमने अमरीका के समाज से लिया था। इसे हम अपने समाज के लिये अपनाना चाहते थे परन्तु यह विचार अब स्वयं समाप्त होता जा रहा है। इसके बारे में सुनते हुये हमें 15 वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि नौकरशाही किसी भी प्रकार से हमारे ग्रामीण समाज की

सेवा करने में सफल नहीं रही। मेरा विचार है कि हमारे ग्रामीण समाज को एटली जैसे राजनीतिक नेता की आवश्यकता है।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो वनों से भरपूर है। 10 वर्ष पूर्व वहां वन ही वन थे परन्तु अब वहां सभी वन समाप्त हो गये हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश के वनों की सुरक्षा के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि इन वनों को छोटे भागों में विभक्त कर, उनके पास रहने वाले छोटे किसानों को दे दिया जाना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहाँ खेती बाड़ी की जा सके। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यदि ऐसा किया गया तो उस क्षेत्र के वीरान पहाड़ फिर से हरे-भरे हो जायेंगे।

The Minister of State in the Ministry of Ag iculture (Shri Sher Singh) : Mr. Chairman, Sir I am indeed thankful to the Members who have congratulated the Agriculture Ministry for achieving self-sufficiency in foodgrains. As a matter of fact, the credit for this should go to our scientists and farmers. However, there are certain items like cotton, sugarcane and oilseeds etc. in which our production is lagging behind. We will have to achieve self-sufficiency in these things also.

Shri Darbara Singh has rightly stated that in order to increase agricultural production, every effort should be made to provide adequate irrigation facilities It has been rightly said that minor irrigation schemes would be of more value as compared to major irrigation schemes. Minor irrigation is one of the most important inputs of agriculture.

Sufficient provision for the same has been made in the Fourth Five Year Plan. It is expected that about 40 lakh acres of land will be irrigated by minor irrigation schemes during the year 1971-72. The Central Ground Water Board has already started a project for studying the water resources on the basis of river basins in different states to exploit them for irrigation purposes.

So far, the function of the Government was supposed to be limited to supplying water to the canals. But now we are trying to ensure utilisation of this water. We are also trying to ensure that there are water-sheds in our river valley projects and that the silting of soil may not reduce the life of the projects through soil er sion. We are thinking of covering the water-sheds by growing plants and grass. Reclamation of waste and water-lagged lands is also being done. Infact, the Government are doing their best to see that even a drop of water is not wasted.

A reference was also made to drought-effected areas by Shri Darbara Singh and Shri Mirdha. It is indeed an acute problem. There are about 54 drought—prone districts in the Country. Government have made a provision of Rs. 100 crores for drought relief measures to be taken up during the ensuing 2 or 3 years. Government also propose to start a Drought Proofing Programme shortly. In Jaisalmer and Jodhpur, Government have sanctioned construction of 420 tubewells to solve water problem. The Central Ground Water Board has already constructed 58 tubewells in three Blocks of Jodhpur.

Shri Mirdha made a special reference to animal husbandry. It is true that we have not succeeded in making full use of our live stock. Cattle in our country produce less milk as compared to the cattle in other countries. Our present milk production in the country is about 2.12 crore tonnes. Anyhow, we are trying to augment the milk supply through various programmes such as operatlon fund programme and crops breeding programme. Our object is to bring this level of milk production to 2.58 crore tonnes. We want to spend a sum of Rs. 95 crores on this account.

Now I would like take up the issue of Community Development Scheme aud

Panchayati Raj. It is true that these institutions have not made much headway. But at the same time it cannot be denied that these institutions have contributed much in increasing agricultural production in the country. The Government are taking several steps to activise these institutions so that they may benefit the down-trodden in rural areas.

It has been rightly stated that sugar production has gone down during this year. The sugar production was 37.4 lakh tonnes last year and this year's production is estimated to be 31 lakh tonnes. There are a number of reasons for this decline. In certain areas, the crop was affected by floods, while in other areas by drought. The Government are of the view that the farmer should be given adequate price for his produce and that is why the sugarcane price has been fixed at Rs. 7.37 per quintal. This time we have tried to give an incentive price to the farmers and, therefore, the area under sugarcane has increased We expect production of about 40 lakh tonnes of sugar next year.

I am sorry to state that during the last few years the farmers did not get their dues for sugarcane in time. There are still arears for 2 to 3 years. The Government are doing their best to get these arears cleared. n March last, Rs. 58 crores were outstanding as arears; but out of this amount Rs. 56 crores have been paid. This year, the outstanding arears are expected to be less, that is, about Rs. 30 crores. We are making efforts to see that no sugarcane arrears are there and exploitation of farmers by millowners is put to an end. The Reserve Bank has agreed to maintain separate account for payment of sugarcane price. If a millowner goes to the Reserve Bank for loan, first the sugarcane dues will be deducted and then the balance amount of loan will be paid to him. This will reduce the possibility of exploiting the farmer to the minimum.

We have also advised the State Governments to enact legislation to prosecute the millowners who fail to pay sugarcane dues in time. The necessary legislation has already been enacted by the states like U. P., Bihar, Punjab and Haryana.

Recently, we have initiated a Rural Employment Crash Programme to eleminate unemployment. It has been stated by hon. Member Shri Rajangam that Tamil Nadu Government has spent the entire amount given to them for the purpose. The Central Government is likely to give more money this year and next year for the purpose. Last year, a sum of Rs. 50 crores was sanctioned for Rural Employment. By 31st March, Rs. 34 crores were released to states. The complete figures from the States are still awaited, but according to available figures 564 lakh man-days worth jobs have been created so far against our minimum target of 525 lakh man-days and a maximum of 875 lakh man-days.

I wish to congratulate the officers and employees of my Ministry who have done a wonderful job by implementing this programme with good speed. Inspite of a good number of formalities, our achievements are satisfactory and we have gone a little higher than our minimum targe I hope we will be able to achieve our targets during the current year too and the states who are lagging behind will make up their defficiency.

In this programme, lakhs of people have got employment and several works which will be a permanent asset to the nation have since been started. Every attempt is being made to provide more jobs for unskilled labour. We have also increased the percentage of supervisory staff so as to provide jobs to educated persons also. It is also our aim to create more employment opportunities in the areas where there is wideshed unemployment. We are trying to ensure that unskilled labour should get atleast Rs. 100/— per month. The minimum employment ensuring Rs. 100/— per month should be given to every family in the country-according to Patna Resolution of Congress. Our achievements in this regard are quite encouraging and I am sure that we will achieve our aims.

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोकसभा बुधवार, 19 अप्रैल 1972/30 चैत्र, 1894 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 19, 1972/ Chaitra 30, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar